कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास
को समर्पित

वार्षिक मूल्य : 100 रुपये

वर्ष 53 अंक : 6 अप्रैल 2007 मूल्य : 10 रुपये

किसान
विकास

शिक्षा

ग्रामीण
विकास

रोजगार

बजट 2007–08

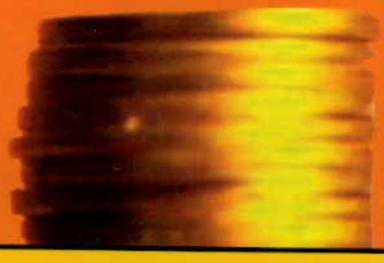

सिद्धांत वही

आशाएं नई!

30 जनवरी, शहीदी दिवस

सूचना एवं प्रचार निदेशालय

भागीदारी

दिल्ली सरकार
टीम दिल्ली – सपने करे साकार

मेरी दिल्ली
मैं ही संवाद

DIP-166-106-07

KH-04/07/02

वर्ष : 53 ★ मासिक अंक ★ पृष्ठ : 48

चैत्र–बैशाख 1929, अप्रैल 2007

प्रभारी सम्पादक

कैलाश चन्द मीना

संपादकीय पत्र–व्यवहार

संपादक, कुरुक्षेत्र

कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,

गेट नं. 5, निर्माण भवन

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली–110011

दूरभाष : 23061014, 23061952

फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास

वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in

ई–मेल : dpd@b.nic.in dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक

जगदीश प्रसाद

दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण एवं सज्जा

संजीव सिंह और रजनी दवे

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	550 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	750 रुपये (वार्षिक)

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

कुरुक्षेत्र

इस अंक में

• आम बजट 2007–08 एक नजर में	पुष्पेश पंत	3
• ऊंची विकास दर के बीच जारी रहा भारत निर्माण	हरवीर सिंह	6
• किसान हितैषी बजट	नवीन पंत	8
• यह बजट और आम किसान	दुष्यंत सिंह	10
• केन्द्रीय बजट एवं ग्रामीण विकास–एक वि श्लेषण	प्रोफेसर सी. एम. चौधरी	12
• बजट में शिक्षा इस बार है फील गुड	कादम्बरी	14
• भारत में सहकारिता और आर्थिक विकास	डा. सूर्य भान सिंह	16
• बैंकिंग प्रणाली: समतामूलक उपाय	विजय प्रकाश श्रीवास्तव	19
• ताकि जीवंत हो उठे सहकारी आंदोलन	प्रांजल धर	22
• सहकारिता आंदोलन और उसकी प्रगति	प्रतोष शुक्ला	27
• रेल बजट: 2007–08–सुहाना हुआ रेल का सफर	राजेन्द्र सिंह बिष्ट	30
• सूक्ष्म वित्त – समय की मांग	डा. बी.पी. गोयल एवं प्रभाकान्त मिश्र	32
• आम बजट – कुछ रोचक तथ्य	राकेश शर्मा "निशीथ"	34
• नाबार्ड द्वारा कृषि का औद्योगीकरण श्योपुर जिले के संदर्भ में	डा. बृजनाथ सिंह	37
• सबको मिला फायदा रेल बजट से	रश्मि निषाद और शिल्पी	39
• रेल बजट 2007–08 – मुख्य विशेषताएं	–	41
• पारंपरिक से आधुनिक खेती तक: क्या खोया, क्या पाया ?	डा. शिवाधर सिंह और डा. नरेश कुमार सिंह	43

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत–सम्मत

महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित मार्च 2007 के अंक का समग्रता से अध्ययन किया। सम्पूर्ण लेख जानकारी के दृष्टिकोण से प्रशंसनीय है। जिसमें महिलाओं के सार्वभौमिक विकास पर प्रकाश डाला गया है। महिला सशक्तिकरण हेतु कोशिशों पर केंद्रित नीरज कुमार जी का लेख अत्यंत आकर्षक रहा, जिसमें उन्होंने वर्तमान सरकार द्वारा महिलाओं की समस्याओं के समाधान से संबंधित प्रयासों पर प्रकाश डाला है और साथ ही आर्थिक पर निर्भरता, सामाजिक पूर्वाग्रस्त से ग्रसित पुरुष समाज को भी रेखांकित किया है। कुसुम तिवारी जी का लेख जहां महिला स्वास्थ्य व कुपोषण पर केंद्रित है वहीं पूनम द्विवेदी जी की कलम महिलाओं के सशक्तिकरण में कानूनी संरक्षण को रेखांकित करता है। वैविध्यपूर्ण भारतीय संस्कृति में सामान्य नारी जीवन से आदिवासी महिलाओं से संबंधित लेख भी ज्ञानवर्द्धक है।

अपेक्षित है कि – आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय महिलाओं की स्थिति को प्रकाशित कराएगें।

मनोज दूबे, कुशीनगर

कुरुक्षेत्र का मार्च 2007 अंक जो कि महिला सशक्तिकरण पर विशेष था, पढ़ा। इस अंक का आवरण पृष्ठ बेहद आकर्षक व प्रशंसनीय रहा तथा पूरी पत्रिका विकासोन्मुख लेखों को लिए मनभावन व अत्यंत हरी–भरी लगी। जिसकी सराहना शब्दों में करना अत्यंत कठिन है।

महिलाओं की समाज में स्थिति सुदृढ़ बनाने तथा जीवन स्तर ऊंचा उठाने के अंतर्गत इस अंक में प्रस्तुत लेख "आधी दुनिया : विकास की राह पर", "महिला सशक्तिकरण की कुछ कोशिशें", "महिलाएं : दशा और दिशा", "राजनीतिक सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण" और "महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां" इत्यादि अत्यंत प्रभावशाली लगे।

रुद्र प्रताप सिंह, अजमेरा

मार्च के महीने में महिला दिवस मनाया जाता है और इसी महीने के कुरुक्षेत्र को महिला को समर्पित करना एक अच्छा प्रयास रहा। सारे लेख बहुत रूचिकर थे खासकर के महिलाएं: दशा और दिशा – कुसुम त्रिपाठी एवं महिला सशक्तिकरण और वर्तमान कानून – पूनम द्विवेदी का लेख बहुत ज्ञानवर्द्धक था। महिलाएं समाज का आहार होती है। महिलाओं के शिक्षित एवं स्वावलंबी बनने से ही विकसित समाज का निर्माण होता है। सरकारी स्तर पर जितनी भी योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई गई हैं उन्हें सही ढंग से अमलीजामा पहनाया जाए तो बहुत हद तक महिलाओं की स्थिति में सुधार आ सकता है। आशा है आगे के अंकों में भी कुरुक्षेत्र में महिलाओं पर अच्छे अंक मिलते रहेंगे।

अमृता पांडेय, भारतीय पॉलीटैक्निक, दिल्ली

आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका कुरुक्षेत्र से मैं नया ही जुड़ा हूं। आपकी इस अमूल्य कृति के लिये में आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फरवरी 2007 का अंक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से संबंधित है। इस अंक में प्रकाशित ऊर्जा से संबंधित सभी लेख मुझे बहुत पसंद आये। आशा है कि इस क्षेत्र से संबंधित नवीन जानकारियां हमें आगे भी कुरुक्षेत्र पत्रिका के माध्यम से मिलती रहेंगी।

नवीन गुप्ता, मेरठ

महत्वपूर्ण सूचना

ग्रामीण विकास को समर्पित मासिक पत्रिका 'कुरुक्षेत्र' ने उत्कृष्टता और गुणवत्ता को लेकर पिछले कुछ वर्षों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसका सबसे कड़ा प्रमाण पाठकों द्वारा भेजे जाने वाले सैंकड़ों पत्र हैं। दूसरा प्रमाण है प्रसार संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि।

पत्रिका में विषय के आधार पर लेखों के चयन, संपादन व प्रकाशन में परिवर्तन हुआ है। इसके कवर डिजाइन, गेट अप, रंग–संयोजना, साज–सज्जा में भी आकर्षक बदलाव आया है। लेखों के साथ विषयानुरूप फोटो/चित्रों/रेखांकनों को भी समुचित स्थान दिया गया है। पत्रिका की गुणवत्ता, उपयोगिता, प्रसार संख्या तथा बढ़ती लागत को देखते हुए इसके मूल्य में वृद्धि की जा रही है।

अप्रैल 2007 माह के अंक से पत्रिका का मूल्य 7 रुपये प्रति से बढ़ाकर 10 रुपये किया जा रहा है। पत्रिका की एक वर्ष की सदस्यता के लिए 100 रुपये, दो वर्ष की सदस्यता के लिए 180 रुपये और तीन वर्ष के लिए 250 रुपये शुल्क होगा। वार्षिकांक का मूल्य 20 रुपये होगा। विदेशों में (हवाई डाक द्वारा) पड़ोसी देशों में 500 रुपये (वार्षिक) के स्थान पर 550 रुपये तथा अन्य देशों में 700 रुपये (वार्षिक) के स्थान पर 750 रुपये होगा।

आशा है कि सभी सुधी पाठक पत्रिका से अपना मधुर संबंध तथा सतत सहयोग पूर्ववत रखेंगे।

आम बजट 2007–08 एक नजर में

पुष्पेश पंत

पिछले दसेक सालों से बजट को लेकर आम आदमी के मन में कौतूहल एक बहुत बड़ी सीमा तक घट चुका है। गुजरे–भूले बिसरे जमाने में बजट प्रस्तावों को तिलस्म जैसे रहस्य के वातावरण में तैयार किया जाता था और लगभग सांस रोककर लोग प्रतीक्षा करते थे वित्त मंत्री के बजट भाषण की जिसके अनुसार रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम घटते–बढ़ते थे, सिगरेट–बीड़ी चाय–चीनी साबुन–टूथपेस्ट से लेकर डीजल–पेट्रोल कैरोसिन तक। उदारीकरण और भूमंडलीकरण के जादुई मंत्रों ने हमारे आर्थिक जीवन की दुनिया ही उलट–पलट दी है। अब सालभर बाजार खुद अपने आप बाजार भाव तय करते रहते हैं और सरकार भी इस बात से परहेज नहीं करती कि अपनी पूर्व घोषित प्रगति की दर को बरकरार रखने के लिए जरूरत के अनुसार कीमतों के बारे में हस्तक्षेप करे। कभी यह बात तय होती है कि बैंक दरों को घटा–बढ़ाकर तो कभी जरूरी वस्तुओं के मूल्य तय कर। इस सबका मिलाजुला प्रभाव यह हुआ है कि लोगों ने यह बात गांठ बांध ली है कि महंगाई या किफायत का कोई सीधा रिश्ता अब बजट प्रावधानों से नहीं रह गया है। भविष्य निधि की ब्याज दर हो या बैंकों की जमाखाते की, यह तय होती है लगभग सालभर बिना बजट की प्रतीक्षा के।

इसके साथ एक और बात निरंतर याद रखने की जरूरत है। जबसे भारत में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ है तब से यह बात पक्की हो चुकी है कि आर्थिक नीतियों में कोई नाट्कीय या बुनियादी परिवर्तन किसी एक खास बजट में नहीं देखने को मिल सकता है। फिर भी इस वर्ष के बजट को टकटकी बांधकर देखना अकारण नहीं था। कांग्रेस को कई राज्यों में चुनावी हार का सामना करना पड़ा है और यह बात इस राष्ट्रीय पार्टी की आलाकमान के सामने दर्दनाक ढंग से प्रकट हुई है कि यह बात आम आदमी तक पहुंचाने में उसके नेता और अर्थशास्त्री बिल्कुल असफल रहे हैं। तमाम आर्थिक सुधारों और बजट प्रस्तावों का मकसद आम आदमी की जिन्दगी में बेहतरी कई बार देश के चोटी के नेतृत्व को यह बात साफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि आर्थिक सुधारों का चेहरा मतदाता को अबतक भरोसेमंद रूप से मानवीय नहीं लग सका है। एक और पेचीदगी है। इस समय केंद्र में जो साझा सरकार काम कर रही है उसको बाहर से समर्थन देने वाला सबसे बड़ा घटक वामपंथी मार्क्सवादी दलों का है। साम्यवादी पार्टियों का बुनियादी और कर्कश मतभेद वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष से लगातार मुखर होता रहा है। और सबसे विकट चुनौती देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में आसन्न विधान सभा चुनावों की है। लोगों का यह मानना था कि इस चुनावी राजनीतिक दबाव का असर निश्चय ही इस साल के बजट में देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में सेज की परियोजना को लेकर जैसा बबंडर उठ खड़ा हुआ था उससे खुद मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी को दोहरे मानदंडों और पाखंड के आक्षेपों का सामना करना पड़ा है। एक सीमा तक इस आलोचना से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सहमत रही हैं और उन्होंने अपनी तथा पार्टी की छवि और असर को बरकरार रखने के लिए बारबार अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री से यह अनुरोध किया है कि वह आर्थिक नीतियों के निर्धारण और इनको लागू करते वक्त आम आदमी का ख्याल रखें।

जाहिर है कि वित्त मंत्री के बजट भाषण में कई बार आम आदमी का जिक्र सुनने को मिला और यह बात रेखांकित की गई कि बजट का कितना बड़ा हिस्सा वंचितों के और ग्रामीण क्षेत्र के भले के लिए निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री ने यह बात स्वीकार की कि अबतक देश में जो प्रशंसनीय प्रगति की दर दर्ज की है उसका आधार औद्योगिक उत्पादन और सेवाएं (वित्तीय तथा अन्य) ही है। इस क्षेत्र में भी भारत की जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय साख है वह दो–चार निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अपने उद्यम से कमाई गई है और इस बात को नजरंदाज करना कठिन होता जा रहा है कि यह बड़े प्रतिष्ठान भी अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ऐसी अत्याधुनिक टेक्नॉलोजी और प्रबंध प्रणाली का प्रयोग करते जा रहे हैं जिनसे भविष्य में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की कोई गुंजाइश नहीं। इन बड़े औद्योगिक घरानों के तेवर काफी कुछ दुधारू मवेशियों जैसे हैं। उन्हें अगर दूध–दही की नदियां बहानी है तो हरी घास और पोषक चारा तो चाहिए ही। इसके अलावा मालिक ग्राहक को पुचकारने–दुलारने के बाद भी दुलत्ती सहने को तैयार रहना चाहिए। निरंतर बढ़ती महंगाई के बोझ से पिसता वेतनभोगी

ऊंची विकास दर के बीच जारी रहा भारत निर्माण

हरवीर सिंह

भारत निर्माण के एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री पी.चिदंबरम ने आगामी साल (2007–08) के बजट में तेज आर्थिक विकास दर को बरकरार रखने की कोशिश की है। महंगाई पर अंकुश के लिए उन्होंने शुल्क दरों में कटौती के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपायों की रणनीति अपनाई है। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर तेज विकास के दौर में पीछे छूट गये लोगों को शामिल करने की कोशिश इस बजट में की गई है। इस बजट के केन्द्र में उनकी धारणा रही है कि उच्च विकास दर में ही सबका हित निहित है। लेकिन उन्होंने साफ संकेत दिया है कि विकास की हिस्सेदारी में आगे बढ़ गये सेवा और उद्योग की बजाय अब कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे लाने पर जोर दिया जाएगा।

यही वजह है कि बजट में उनका सबसे अधिक जोर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों पर रहा है। इसी के चलते संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम भारत निर्माण के लिए उन्होंने 2007–08 के लिए 24,603 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके मुकाबले नये बजट में 31.6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। भारत निर्माण के तहत 24 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता स्थापित की जाएगी। जबकि 73,000 आवासीय क्षेत्रों के पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राजीच गांधी पेयजल मिशन के तहत आवंटन को बढ़ाकर 5850 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आवासीय सुविधाओं पर जोर देते हुए नये बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लिए 15 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत तेजी से काम करते हुए अधिक गांवों तक बिजली पहुंचाने पर जोर दिया गया है। योजना के तहत अभी तक 19,758 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर जोर देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 9947 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई जबकि 2006–07 में इसके लिए 8207 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को 200 जिलों से बढ़ाकर 330 जिलों में लागू–करने की घोषणा बजट में की गई है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपये दिये गये हैं। लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि योजना रोजगार की गारंटी देती है और इसके लिए कानूनी प्रावधान है इसलिए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राशि मुहैया कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 2800 करोड़ रुपये और स्वर्ण जयंती ग्राम स्व–रोजगार योजना के लिए 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वही प्राथमिक शिक्षा के बाद बच्चे पढ़ाई न छोडें इसके लिए एक छात्रवृत्ति शुरू की गई है ताकि कमजोर वर्ग के बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इस बजट में एक बड़ा कदम ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की शुरूआत की गई है। वित्त मंत्री ने बजट में प्रावधान किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिक परिवारों के लिए एक बीमा योजना लागू की जाएगी और उसके प्रीमियम के एक हिस्से की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी। इसके तहत हर परिवार से एक सदस्य का बीमा किया जा सकेगा। आम आदमी बीमा योजना नाम की इस योजना का फायदा करीब 70 लाख लोगों को मिलने की संभावना है। सालाना 200 रुपये प्रति व्यक्ति के प्रीमियम में से केंद्र सरकार आधा प्रीमियम देगा। जबकि बकाया प्रीमियम राज्य सरकार से देने का अनुरोध किया गया है। शिक्षा पर जोर देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवंटन को 35 फीसदी बढ़ाकर 23,142 करोड़ रुपये कर दिया गया हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और दूसरी ढांचागत सुविधाओं के विकास पर जोर देने की कोशिश को जारी रखते हुए ग्रामीण ढांचागत विकास कोष (आरआईडीएफ) के तहत 12,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही इसके तहत ग्रामीण सड़कों के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

इसके साथ ही इस बजट में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनकी टीम ने यह बात स्वीकार करने की कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था की नौ फीसदी की ऊंची विकास दर को खेती के बिना लंबे समय स्थिर नहीं रखा जा सकता है। यही वजह है कि सिंचाई सुविधाओं और दूसरी ढांचागत सुविधाओं के साथ विस्तार और शोध कार्यक्रमों के लिए 2007–08 के बजट में आवंटन बढ़ाया गया है। बजट में खेती की विकास दर को दो फीसदी से चार फीसदी पर लाने का सपना पूरा

करने में सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी के साथ कर्ज में बढ़ोतरी का सहारा लिया गया है। लेकिन सरकार की यह कोशिश देश के 11 करोड़ किसानों का वाजिब हक दिला सकेगी यह आने वाले दिनों में ही पता लगेगा।

विश्व व्यापार संगठन के दबावों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों के बढ़ते व्यापार को देखते हुए सरकार ने उर्वरक सब्सिडी देने का सिलसिला इस बजट में भी जारी रखा है। उर्वरक सब्सिडी को 22,450 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों पर रखा गया है। यह प्रावधान चालू साल की सब्सिडी जरूरत से काफी कम है। इस बात को वित्त मंत्री भी स्वीकारते हैं और आने वाले दिनों में पिछले साल की तरह इस बार भी अधिक सब्सिडी देनी होगी। अन्यथा दूसरा विकल्प खाद के दाम बढ़ाना ही है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में सरकार राजनीतिक रूप से यह जोखिम लेगी इसकी संभावना काफी कम है। हालांकि इस बजट में वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों को सीधे खाद सब्सिडी देने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है और उसके लिए हर राज्य में एक प्रायोगिक योजना शुरू की जाएगी। उसके नतीजों के बाद ही आगे का कदम उठाया जाएगा।

संसद में अपने बजट भाषण के दौरान चिदंबरम ने कहा कि मैने अपने बजट भाषण के 15 से 20 मिनट कृषि पर लगाये हैं और इसके लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। एक लाख रुपये तक के फसल ऋण पर दो फीसदी की ब्याज सब्सिडी जारी रखी गई । इसके लिए 1677 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन बढ़ती ब्याज दरों में सात फीसदी पर किसानों को कर्ज मिलता रहेगा इस पर कुछ साफ नहीं कहा गया है। अगले साल के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 2,25,000 करोड़ रुपये कर दिया है। तीन साल में कृषि ऋण को 1,75,000 करोड़ रुपये पर पहुंचाने का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है। अधिकांश किसानों को संस्थागत ऋण व्यवस्था के तहत लाने का सरकार का प्रयास जारी है। सहकारी बैंकों की पूंजी जरुरतों के लिए छूट वाले 5000 करोड़ के बांड नाबार्ड जारी कर सकेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिक शाखाएं खोलने के लिए कहा है। किसानों की आत्महत्या से प्रभावित 31 जिलों में 16979 करोड़ रुपये के पैकेज को दोहराया है।

दालों की बढ़ती कीमतों से परेशान वित्त मंत्री ने इनकी उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसके बीज उत्पादन के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। दालों और मक्का के बेहतर बीज तैयार करने के लिए इफको और कृभको जैसी सहकारी संस्थाओं के साथ निजी क्षेत्र से भी कहा गया है कि वह इस काम में आगे आये और उसके लिए सरकार वित्तीय मदद देगी। कृषि के लिए आयोजना व्यय में मात्र 1010 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 8050 करोड़ रुपये किया गया है। वहीं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (अनएआईएस) को खरीफ और रबी 2007–08 में भी जारी रखने की घोषणा करते हुए इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन कृषि बीमा योजना में जिस आमूल–चूल परिवर्तन की लगातार बात की जाती रही है उस दिशा में कोई कदम इस बजट में नहीं उठाया गया है। हालांकि प्रायोगिता तौर पर एक मौसम आधारित फसल बीमा योजना को शुरू करने की घोषणा जरूर की गई है।

सिंचाई सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के तहत परिव्यय को बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपये कर दिया है जिसमें राज्यों को अनुदान का हिस्सा 3580 करोड़ रुपये होगा। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए बनाये गये प्राधिकरण के लिए मात्र 100 करोड़ रुपये का प्रावधान उन्होंने किया है। जल स्रोतों के पुनरुद्धार की अपनी योजना के लिए उन्होंने राज्यों को विश्व बैंक से कर्ज लेने का रास्ता दिखाकर उसे प्रोत्साहित करने की बात कही है। हालांकि छोटे और सीमांत किसानों को भूजल के अति उपयोग वाले इलाकों में 20 लाख कुएं खोदने के लिए 4000 रुपये की सब्सिडी देने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है । दूसरे किसानों को इसके लिए आधी सब्सिडी मिलेगी और इस योजना के तहत 1065 ब्लाकों में 20 लाख कुएं खोदने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नाबार्ड के पास 1800 करोड़ रुपये का एक कोष स्थापित किया जाएगा। कृषि विस्तार के ध्वस्त हो चुके ढांचे को पटरी पर लाने की कोशिश के तहत जल संरक्षण पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरणों को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है लेकिन इसका बहुत असर होगा इसकी गुंजाइश कम है। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कर राहत देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को बेहतर दाम दिलाने की कवायद की है। साथ ही खाद्य प्रस्संकरण उद्योग के उत्पादों को कर राहत देते हुए तैयार मिक्स को उत्पाद शुल्क से मुक्त कर इनका बाजार खड़ा करने की कोशिश की गई है।

नये बजट में वित्त मंत्री ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाने पर जोर दिया है। लेकिन कोई क्रांतिकारी बदलाव की योजना इसमें दिखाई नहीं देती बल्कि पहले से लागू कार्यक्रमों को ही आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ ही खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क में कटौती कर महंगाई पर अंकुश की कोशिश करने के साथ ही घरेलू उत्पादकों के लिए सरंक्षण भी कम कर दिया है। कीमतों पर काबू पाने के बाद इस दिशा में वित्त मंत्री को पुनर्विचार करना होगा।

किसान हितैषी बजट

नवीन पंत

वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट में कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक महत्व दिया है। उन्होंने सिंचाई और बीजों के विकास पर सर्वाधिक जोर दिया है। सिंचाई का परिव्यय 7,000 करोड़ रुपये से बढाकर 11,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है (35 प्रतिशत वृद्धि)। किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विकास से जुड़ी सभी प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं, बीज निगमों, कृषि विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र की कम्पनियों का सहयोग लिया जा रहा है। सरकार आगामी तीन वर्षों के दौरान प्रमाणित बीजों का उत्पादन दोगुना करना चाहती है।

किसानों को दिए जाने वाले ऋणों की राशि 1,90,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,25,000 करोड़ कर दी गई है। वित्त मंत्री के अनुसार कृषि ऋण का विस्तार होने और कृषि ऋण में सुधार के लिए वैद्यनाथन समिति की सिफारिशें लागू होने के बाद पुनर्वित्त की मांग बढ़ेगी। उसे पूरा करने के लिए वित्त मंत्री ने नाबार्ड को 5000 करोड़ रुपये के ग्रामीण बांड जारी करने की अनुमति प्रदान की है। इन बांडों को सरकारी गांरटी और करों में छूट प्रदान की जाएगी।

देश के 32 कृषि विश्वविद्यालयों में किसानों को जल प्रबंधन (वाटर हारवेस्टिंग) का शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए वहां शिक्षण सह-प्रदर्शन जल उपयोग माडल स्थापित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को तीन करोड़ रुपये ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा।

बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर

वित्त मंत्री ने अपने बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। उन्होंने कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का परिव्यय 32 प्रतिशत, स्वास्थ्य रक्षा का 21.9 प्रतिशत और शिक्षा का 34.2 प्रतिशत कर दिया है। इससे अर्थ व्यवस्था मजबूत होगी।

पिछले वर्ष अग्रिम अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद दर 9.2 प्रतिशत रही, जबकि वर्ष 2004-05 में यह 7.5 प्रतिशत और 2005-06 में 9 प्रतिशत थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है। लेकिन इसी के साथ दसवीं योजना अवधि में कृषि क्षेत्र की औसत विकास विकास दर 2.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। दसवीं योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कृषि क्षेत्र में प्राप्त विकास दर और निर्धारित विकास दर के बीच की यह खाई चिन्ता का विषय है। अर्थशास्त्रियों का मत है कि कृषि विकास दर को बढ़ाए बिना वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद दर को बनाए रखना अथवा दहाई की विकास दर को बनाए रखना अथवा दहाई की विकास दर की संभावना को तलाशना दिवा स्वप्न होगा।

वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने अपने बजट में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अनेक उपाय किए हैं। उन्होंने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक समय, 20 मिनट दिए। उन्होंने कृषि क्षेत्र के महत्व को प्रकट करने के लिए तमिल संत तिरुवल्लूवर और पंडित नेहरू को उद्धृत किया । तिरुवल्लूवर ने कहा था, 'उड़विनर कई मंडगिन इल्लइ विड़इवधूम विहम्मे' इम्बरकुम निलइ' यानी, यदि किसान हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं तो संसार का त्याग करने वाले संतों को भी मोक्ष नहीं मिल सकती। पंडित नेहरू ने कहा था, 'प्रत्येक वस्तु इन्तजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं।'

आजादी के बाद देश के नीति निर्माताओं ने कृषि क्षेत्र को समुचित महत्व दिया लेकिन इसके बावजूद कृषि क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। आज भी अधिकांश किसान गरीब, अभाव, अशिक्षा और कुपोषण का जीवन बिता रहे हैं। पिछले वर्ष देश के कुछ भागों में ऋण बोझ से दबे किसानों ने आत्महत्याएं कीं। आरोप था कि किसानों को मुनासिब ब्याज पर बैंकों से ऋण नहीं मिलता। उन्हें साहूकारों से अधिक ब्याज पर ऋण देना पडता है।

कृषि ऋण दोगुना

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को अपनी मुख्य चुनौती माना है और इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता सुधारने के अनेक उपाय शुरू किए हैं। वित्त मंत्री ने किसानों को बैंकों से ऋण न मिलने की शिकायत को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण तीन वर्ष में दोगुना कर देने का वचन दिया था। लेकिन सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप कृषि ऋण दो ही वर्ष में दूना कर दिया गया। वर्ष 2006-07 में किसानों को 1,75,000 करोड़ रुपये ऋण देने का प्रस्ताव था लेकिन अब इस ऋण के 1,90,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर 06 तक 53.37 लाख किसानों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिया गया था। वर्तमान वर्ष के दौरान 50 लाख नए किसानों को ऋण दिया जाएगा। इसके लिए 2,25,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

किसानों को मुनासिब ब्याज पर (7 प्रतिशत वार्षिक पर) ऋण मिले इसके लिए 2 प्रतिशत ब्याज सहायता वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान भी जारी रहेगी। इसके लिए 1,677 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने ऋण बोझ से दबे किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए डा. आर. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। सरकार इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करेगी।

देश के चार राज्यों के 31 संकटग्रस्त जिलों में जहां किसानों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं की थीं 16979 करोड़ रुपये की एक विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है । इसमें 12,400 करोड़ रुपये सिंचाई संबंधी कार्यक्रमों के लिए हैं। किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष योजना के अन्तर्गत दुधारू पशु खरीदने के लिए सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने इसके लिए बजट में 153 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

प्रमाणित बीजों की व्यवस्था

दालें और तिलहन हमारे भोजन का आवश्यक अंग हैं। दालें हमारे देश के अधिकांश लोगों की प्रोटीन और विटामिन आदि की मांग पूरी करती हैं। देश में तिलहनों का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता। अत: हमें भारी मात्रा में विदेशों से तिलहन (पाम आयल और अन्य तेल) मंगाने पड़ते हैं। अधिकांश दालें भारतीय उप महाद्वीप के अलावा अन्यत्र नहीं होतीं। अत: बाहर से काफी मात्रा में दालों का आयात नहीं किया जा सकता। सरकार देश में तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार एकीकृत तिलहनों, पाम आयल, दाल और मक्का विकास कार्यक्रमों का विस्तार कर रही है। इस कार्य में दलहन अनुसंधान केन्द्र कानपुर, बीज निगमों, कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केन्द्रों, कृभको, इफको, नाफेड और निजी क्षेत्र की कम्पनियों का सहयोग लेकर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। सरकार तीन वर्षों के भीतर प्रमाणित बीजों का उत्पादन दोगुना करना चाहती है । इसके लिए बीज उत्पादकों को अनुदान और सहायता की जाएगी।

देश में खेती का रकबा बढ़ाने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त भूमि नहीं है। देश की जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है। अत: खाद्यान्नों की मांग बढ़ रही है। खेती योग्य समस्त भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त नहीं है। इस स्थिति में सूखा पड़ने पर खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन बातों पर विचार करने के बाद देश के सामने उत्पादकता बढ़ाने की काफी गुंजाइश है।

उत्पादन बढ़ाने पर जोर

चीन में प्रति हेक्टेयर-4.25 टन गेहूं, फ्रांस में 7.58 टन और इंग्लैंड में 7.77 टन गेहूं होता है, जबकि भारत में मात्र 2.17 टन गेहूं प्रति हेक्टेयर होता है। इसी तरह इजिप्ट में प्रति हेक्टेयर 9.8 टन धान, अमरीका में 7.83 टन, कोरिया में 6.73 टन और जापान में 6.42 टन धान प्रति हेक्टेयर होता है, जबकि भारत में प्रति हेक्टेयर केवल 2.9 टन धान होता है। कपास, तिलहन और मक्का की उत्पादकता भी भारत में बहुत कम है। इस तरह देश में अच्छे बीजों, खाद, खेती के सुधरे तरीकों सिंचाई आदि को बेहतर प्रबंध करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में दूसरी हरित क्रांति में समस्त जोर उत्पादन बढ़ाने पर होना चाहिए। उत्पादन बढ़ाने में अच्छे बीजों, सिंचाई और उर्वरकों का विशेष महत्व है। वित्त मंत्री ने अगले तीन वर्षों के दौरान प्रमाणित बीजों का उत्पादन दोगुना करने की योजना पहले ही प्रस्तुत कर दी है। आशा है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष शुरू की गई 35 परियोजनाओं से 900,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इस वर्ष इस मद में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। बरानी खेती (वर्षा सिंचित क्षेत्रों) से संबंधित सभी स्कीमों के समन्वय हेतु कुछ समय पूर्व राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। वित्त मंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं।

जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली के लिए विश्व बैंक भी राज्य सरकारों को ऋण दे रहा है। विश्व बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार के साथ 5763 जल निकायों की मरम्मत आदि के लिए 2,182 करोड़ रु. के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। मार्च में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ इसी तरह के एक समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारें भी विश्व बैंक के साथ इसी तरह का समझौता करने का प्रयास कर रही हैं।

देश के कुछ भागों में भूजल का अत्यधिक दोहन होने के कारण या तो जल स्तर बहुत नीचे चला गया है या तो रिक्त हो गया है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने अत्यधिक संकटग्रस्त 1065 ब्लाकों की पहचान की है। इसके लिए बनाए गए प्रत्येक ढांचे की लागत 4000 रु. आएगी। वित्त मंत्री ने छोटे और मझोले किसानों को ऐसे ढांचे बनाये के लिए शत-प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए नाबार्ड को 1800 करोड़ रु. दिए जाएंगे जिसे अग्रणी बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों में वितरित किया जाएगा।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेन्सी इस समय 262 जिलों में चल रही है। इसका 300 और जिलों में विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने इसका प्रावधान 50 करोड़ रु. से बढ़ाकर 230 करोड़ रु. कर दिया है।

वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष उर्वरक सब्सिडियों के लिए 17,253 करोड़ रु. की व्यवस्था की थी। इस वर्ष इसे बढ़ाकर 22,453 करोड़ रु. कर दिया गया है। वित्त मंत्री सब्सिडी की वैकल्पिक पद्धति के पक्ष में हैं। इसके लिए प्रत्येक राज्य के कम से कम एक जिले में एक पायलट कार्यक्रम चलाया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्तमान वित्त वर्ष की खरीफ और रबी की फसलों के लिए जारी रहेगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है। कृषि बीमा निगम की खरीफ 2004 से चल रही बीमा योजना अच्छी योजना लगती है। राज्य सरकारों की सलाह से इसे दो या तीन राज्यों में पायलट आधार पर चलाया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने नाबार्ड के कार्पस को बढ़ाकर 12,000 करोड़ कर दिया है। नाबार्ड अपने 10,000 के कार्पस में से 8440 करोड़ रु. की स्वीकृतियां जारी कर चुका है। बढ़ी हुई निधियों का उपयोग राज्यों के संकटग्रस्त जिलों में किया जाएगा। वित्त मंत्री ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 4000 करोड़ रुपये के कार्पस के साथ एक अलग विंडो जारी कर दी हैं। इससे ग्रामीण सड़कों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने असंगठित कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इससे ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु एवं विकलांगता बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवारों को शामिल किया जाएगा। जिन्हें अभी तक कोई सुरक्षा कवच नहीं मिला है। परिवार के मुखिया या परिवार के एक कमाऊ सदस्य का बीमा किया जाएगा। केन्द्र सरकार प्रति परिवार 200 रुपये की किस्त का 50 प्रतिशत यानी 100 रुपये वहन करेगी। वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों से शेष 100 रुपये की किस्त वहन करने का अनुरोध किया है। वित्त मंत्री ने केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में इस निधि में 1,000 करोड़ रु. आंबटित किए हैं। इस योजना का संचालन एलआईसी-जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा।

यह बजट और आम किसान

दुष्यंत सिंह

वित्त मंत्री कृषि पर हुए मेहरबान, कॉरपोरेट क्षेत्र नजरअंदाज, शेयर बाजार लुढ़का, आयकरदाता मायूस – यह है आम बजट के दिन का हाल। एक आर्थिक समाचार पत्र में संसद में रखे गए वर्ष 2007–2008 के आम बजट को अगले दिन पाठकों के सामने इस तरह पेश किया गया।

तकरीबन सभी समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि वित्त मंत्री निर्माण और सेवा क्षेत्र के आलोक में उफान मारती अर्थव्यवस्था को भुनाने में असफल रहे और उन्होंने सावधानी से कदम बढ़ाते हुए कृषि को प्रमुखता दी। बजट की इस तस्वीर से इस बात पर नजर डालना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर कृषि को बजट से क्या मिला और उससे संबंधित देश की 60 फीसदी से भी ज्यादा आबादी के दैनिक जीवन में कितना बदलाव संभव है?

इस बार बजट में 24 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि क्षेत्र को सिंचाई की परिधि में लाने के लिए सिंचाई के लिए आबंटित राशि 54 प्रतिशत बढ़ा दी गयी। देश में कृत्रिम सिंचाई की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कदम प्रशंसनीय माना जा सकता है। वर्तमान में देश की कुल कृषि भूमि का करीब 40 प्रतिशत क्षेत्र ही कृत्रिम सिंचाई की पहुंच में है और बाकी 60 प्रतिशत हर वर्ष इन्द्र देवता की कृपा पर निर्भर रहता है। मौसम की बढ़ती अनिश्चितता किसान को और असहाय बना रही है, ऐसे में कृत्रिम सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि सराहनीय है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कृषि ऋण की वृद्धि दर पर भी संतोष जताते हुए आगामी वित्त वर्ष के लिए 2,25000 करोड़ रुपये कृषि ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके अलावा वर्ष 2006–07 के लिए 175,000 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य में भी 15000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद है। बजट भाषण में बताया गया कि दिसम्बर 2006 तक 53.37 लाख नए किसानों को संस्थागत ऋण व्यवस्था के दायरे में लाया गया। साथ ही आगामी वित्त वर्ष में नए 50 लाख किसानों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2007–08 अल्पावधि ऋणों पर राहत देने के लिए 1677 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भी 5000 करोड़ रुपये के कर मुक्त ग्रामीण बॉन्ड जारी कर सकेगा। नाबार्ड को भूमिगत जल संसाधन की योजनाओं के लिए 1800 करोड़ रुपया भी प्राप्त होगा। जल संचयन के लिए किसानों को सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा कृषि अनुसंधान पर बल देने के लिए दो कृषि विश्वविद्यालयों को भी 50–50 करोड़ रुपये मिले। ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास राशि में भी 200 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।

लेकिन यक्ष प्रश्न है कि इन सब प्रयासों में कितना कुछ नया है? आत्महत्या के लिए मजबूर किसानों की जटिल समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने कितनी पहल की है? पहल के नाम पर डा. आर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति मात्र बनायी गयी है जिसका काम कृषि ऋणों की जटिलताओं को जांचना है। इसको छोड़कर बाकी सब पुराने अप्रभावी प्रयासों को ही आगे और धक्का देने जैसी बात लगती है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी विदर्भ के किसानों को इसी तरह के प्रयासों से ऋण के जटिल जाल से मुक्ति दिलाने का वादा किया था। लेकिन वस्तुस्थिति किसी से छिपी नहीं है। यदि ये प्रयास इतने ही अच्छे हैं तो किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा?

आर्थिक समीक्षा से लेकर सरकार के मध्यावधि रिपोर्ट कार्ड तक सभी में पिछले तीन वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में औसतन 8.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ–साथ मजबूत होती मौद्रिक स्थिति की चर्चा बखूबी की गयी है लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि देश की एक अरब से अधिक आबादी का पेट भरने वाला किसान बुरी स्थिति में है।

यह भी माना गया कि अर्थव्यवस्था में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है उतनी तेजी से अभावों और अन्य चीजों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। और इससे आर्थिक स्थायित्व प्रभावित हो रहा है। लेकिन बजट में इस समस्या से निपटने के लिए रणनीति का अभाव नजर आता है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन के अनुसार इस समय देश में किसानों की जो हालत है उससे उन्हें उबारने के लिए एक सुस्पष्ट दीर्घकालीन रणनीति की जरूरत है। वित्त मंत्री ने उर्वरक के लिए किसानों को प्रत्यक्ष सब्सिडी देने के लिए पायलेट स्तर पर योजना की घोषणा की है लेकिन कृषि की मांग दूसरी हरित क्रांति रही है, न कि पायलेट स्तर की योजनाएं।

स्थानीय जल संगठनों को पुनर्गठित करना और भूमिगत जल संचयन के प्रयास सराहनीय हैं लेकिन सिंचाई जल के अधिकाधिक उपयोग के लिए कोई कदम नजर नहीं आता। आर्थिक समीक्षा में साफ कहा गया है कि छोटे किसानों के लिए न्यूनतम उत्पादन एक बड़ी समस्या है और इसके लिए सिंचाई जल के वैज्ञानिक ढंग से उपयोग के लिए एक विस्तृत योजना की खासी आवश्यकता है।

इन सब तकनीकी पहलुओं को छोड़ भी दें तो भारत के आर्थिक परिदृश्य पर कृषि कहां नजर आती है? जिस सकल घरेलू उत्पाद में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर की चमकती उम्मीद पर खुशी जाहिर की जा रही है उसमें कृषि का योगदान 2.73 प्रतिशत पर ही ठहरा हुआ है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से भी अधिक है जबकि कृषि 22 प्रतिशत के आसपास। इसका सीधा सा अर्थ है कि देश का वह क्षेत्र जो सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराता है उसकी विकास दर सबसे कम है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की विकास दर प्रति वर्ष मात्र 2.3 प्रतिशत रही है। यह नवीं पंचवर्षीय योजना से मात्र 0.1 प्रतिशत ही अधिक है। नवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर प्रति वर्ष 2.2 प्रतिशत ही थी। ये आंकड़े बयान करते हैं कि पिछले दस वर्षों में देश के किसानों को क्या मिला है।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में तमिल की प्रसिद्ध युक्ति का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसान अपने कार्य से पीछे हट जाएं तो संतों की मुक्ति भी संभव नहीं। लेकिन किसानों को उदारीकरण और वैश्वीकरण के दुश्चक्र से कब मुक्ति मिलेगी इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस पर विडम्बना यह कि कृषि के लिए इस बजट में जो भी थोड़े बहुत प्रयास किए गए उन्हें गुलाबी अखबारों ने किसानों की चिंताजनक स्थिति की बजाय दूसरे रूप में ही समझने और समझाने की कोशिश की। कहा गया कि तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में आपूर्ति पक्ष कमजोर पड़ रहा है और इसी से उबरने के लिए कृषि और आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए गए हैं। वित्त मंत्री से इस बार फिर छूटों की आस लगाए क्षेत्रों को कृषि को महत्व दिया जाना अखर रहा है पर उन्हें इस बात का संतोष है कि आखिर कृषि में विकास का लाभ उन्हें भी मिलेगा ही। भले ही दूसरे रूपों में।

यह माना गया है कि अर्थव्यवस्था के इस असंतुलित विकास में कृषि की धुरी टूट जाने से उद्योग और सेवा क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए कृषि पर वित्त मंत्री मेहरबान नजर आए। यह भी कहा गया कि महंगाई या मुद्रा स्फीति पर काबू पाने के लिए कृषि पर जोर दिया गया है। इसके बावजूद वित्त मंत्री ने कृषि के लिए जो प्रयास किए हैं उनसे किसानों की बदहाल स्थिति में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं दीखती। छोटी जोतों, भूमि का असंतुलित स्वामित्व, फसल के लिए बारिश पर निर्भरता, आधारभूत ढांचे की कमी, संसाधनों की निम्न उत्पादकता और इन सब से बढ़कर फसल के उचित मूल्य और ऋण के दुष्चक्र से उबरने का संघर्ष विदर्भ और तेलंगाना जैसे इलाकों के किसान आज भी 'मदरइंडिया' के 'सुख्खी लाला' के चुंगल में फंसे हुए हैं।

सरकारी सहायता और ऋण की अपनी अलग कहानी है। दिन प्रतिदिन के संघर्ष के पहाड़ों के ऊपर जब प्राकृतिक आपदाओं का कहर टूटता है और सरकार मदद की घोषणा करती है तब किसानों की बजाय सरकारी अधिकारियों की बांछें खिलती हैं। मशहूर ग्रामीण पत्रकारों ने यों ही इस तरह की मदद को 'अधिकारियों की फसल' नहीं कहा है। कहना गलत नहीं होगा कि किसान वर्ष में दो फसलें काटता है और सरकारी अनुदान की तीसरी फसल अधिकारियों की जेब में जाती है।

किसानों के लिए वित्त मंत्री के पास योजनाओं की कमी नहीं है और इसी बात का जिक्र उन्होंने अपने बजट भाषण में भी किया है, लेकिन किसानों तक उनका वाजिब हक पहुंचाने के लिए और भी ठोस पहल करनी होगी। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और गरीबी से निपटने के लिए बड़ी पहल है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इसे 200 जिलों से बढ़ाकर सवा तीन सौ जिलों के भी ऊपर पहुंचा देना सराहनीय प्रयास माना जाना चाहिए। गरीबी से निपटने में यह योजना सार्थक भूमिका निभा सकती है।

वायदा कारोबार की समीक्षा और मौसम में बदलाव पर विचार के लिए समितियां गठित करना भी सही समय पर सटीक प्रयास है। इसके साथ दालों के उत्पादन के लिए प्रस्तावित तकनीक के प्रयास भी समय के अनुरूप हैं लेकिन इस बात पर भी गौर करना होगा कि फसलों के उत्पादन में कमी का एकमात्र कारण उन्नत बीजों की कमी ही नहीं है, अन्य बातों के साथ–साथ इसके लिए लाभकारी बाजार भी चाहिए। यदि किसान बाजार में मिलने वाले लाभ के प्रति आश्वस्त हो तो उत्पादन में वृद्धि अपने–आप नजर आयेगी। दलालों से बचकर बाजार में फसल का उचित मूल्य प्राप्त करना किसानों के लिए बड़ी चुनौती होती है और छोटे किसानों के लिए यह चुनौती और बढ़ जाती है। ये चुनौतियां समाधानों की धूमिल लकीरों की राह देख रही हैं।

जोतों के आकार पर नजर डालें तो एक हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की जोतें कुल जोतों की संख्या के आधे से भी अधिक हैं। निश्चित तौर पर इन पर खेती करने वाले किसान गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। इन किसानों के लिए संस्थागत ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड जैसी आकर्षक योजनाएं कोई महत्व नहीं रखतीं, जोत का क्षेत्रफल कम रहने से उत्पादकता भी निम्न होती है।

बैंक भी छोटी जोतों के किसानों को ऋण देने में झिझकते हैं। यहीं से शुरू होता है महाजनी का दुश्चक्र। इसके अलावा सिंचाई, उन्नत बीज, जल संचयन तकनीक इत्यादि के लिए एक समग्र और ठोस रणनीति के बिना कृषि की गाड़ियों में कोई चामत्कारिक बदलाव नहीं होने जा रहा है। दो से तीन प्रतिशत की कृषि विकास दर से किसानों को क्या मिलेगा और उसमें भी छोटे किसानों की आर्थिक हालत में बदलाव की बात करना भी बेमानी होगा।

(लेखक पत्रकार हैं)

केन्द्रीय बजट एवं ग्रामीण विकास– एक वि श्लेषण

प्रोफेसर सी. एम. चौधरी

बजट अल्पकालीन राजकोषीय उपकरण है जिसके माध्यम से सरकार की दशा एवं दिशा इंगित होती है। इससे सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय प्रबंधन की स्पष्ट झलक मिलती है । विगत वर्ष में अर्थव्यवस्था की सफलताओं तथा विफलताओं की जानकारी मिलती है। देश की सरकार की राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप विभिन्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बजट में प्रावधान किया जाता है।

केन्द्रीय बजट 2007–08 भारत सरकार के केन्द्रीय वित्त मंत्री पी॰ चिदम्बरम ने 28 फरवरी 2007 को संसद में प्रस्तुत किया। इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए निम्न प्रावधान किये गये हैं :–

(1) कृषि विकास– दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत विकास दर 2.3 प्रतिशत रही है जो कि वांछित विकास दर 4 प्रतिशत से कम है। कृषि की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में घटकर 18.5 प्रतिशत रह गई है । 115 मिलियन परिवार कृषि में नियोजित हैं। कृषि को हमारे नीति निर्माताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। कृषि विकास के लिए इस बजट में निम्न प्रावधान किये गये हैं :–

• सिंचाई कार्यक्रम – इसके अन्तर्गत 900,000 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई का सृजन किया जायेगा। इसके लिए वर्ष 2006–07 के बजट में 7121 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस बजट 11000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशी 2350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3580 करोड़ रुपये की गई है। • कृषि साख – वर्ष 2006–07 में कृषि साख का लक्ष्य 175,000 करोड़ रुपये था जो दिसम्बर 2006 तक बढ़कर 190000 करोड़ रुपये हो गया है। इस बजट में इस मद में 225000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे 50 लाख अतिरिक्त कृषकों को बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत लाया जा सकेगा। 2 प्रतिशत ब्याज दर की रियायत इस बजट में भी चालू रहेगी इसके लिए 1677 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। • भूजल पुनर्भरण– केन्द्रीय भू जल मण्डल के अनुसार–1065 खण्डों में भू जल का अधिक दोहन होने से पानी की समस्या हो गयी है। इस समस्या के निदान के लिए छोटे एवं सीमान्त किसानों को कुओं का निर्माण करने के लिए शत प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। अन्य काश्तकारों को इसके लिए अनुदान 50 प्रतिशत होगा। इसके लिए 1800 करोड़ रुपये भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैक (नाबार्ड) को दिये जाएंगे। जल संसाधन मंत्रालय इस योजना को तत्परता से करेगा।

• कृषक प्रशिक्षण – कृषकों को प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन में सहभागी बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि अनुसंधानशालाओं को 3 करोड़ रुपये दिये जाने का प्रावधान है। जिससे प्रतिवर्ष 1000 कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। कृषि तकनीकी प्रबंधन हेतु 230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। • उर्वरक अनुदान – कृषि में उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग अधिक करने के लिए उर्वरक अनुदान की राशि 17253 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22452 करोड़ रुपये कर दी गई है। • कृषि बीमा – राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को जारी रखते हुए इस बजट में इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(2) आधारभूत ढांचा– ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए 12000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य सरकारों को और अधिक धन राशि उपलब्ध हो सकेगी। यह राशि अत्यधिक पिछड़े जिलों में आधारभूत संरचना तैयार करने के उपयोग में राज्य सरकारों द्वारा लाई जाएगी। ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु इस ग्रामीण आधारभूत विकास कोष में पृथक प्रावधान किया गया था जिसे चालू रखते हुए इस कार्य के लिए अलग से 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान वर्ष 2007–08 में किया गया है।

(3) सहकारी संस्थाओं को पुनर्वित्त – ग्रामीण साख सरकारी संस्थाओं से प्रदान करने के लिए नाबार्ड को 5000 करोड़ रुपये के ग्रामीण बांड जारी करने की अनुमति का प्रावधान किया गया है। सरकार इन बांडों पर गारन्टी देगी तथा कर छूट का प्रावधान भी होगा

(4) सामाजिक सुरक्षा – आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीनों को प्रति परिवार एक व्यक्ति मुखिया को बीमित किया जायेगा । बीमा की प्रीमियम राशि 200 रुपये वार्षिक होगी जिसका 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम के पास किया गया है। असंगठित श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी। मार्च 2007 तक वर्तमान योजना के अन्तर्गत 70 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

(5) ग्रामीण रोजगार – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना फरवरी 2006 में शुरू की गई थी। इसके लिए 2007–08 के बजट में 12000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया

गया है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों की संख्या 200 से बढ़कर 330 कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण रोजगार हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 1800 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। यह उन जिलों में व्यय की जायेगी जो राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण निर्धनों को स्वरोजगार प्रदान करने की एक सशक्त योजना है। इस योजना को और सशक्त बनाने के लिए 1800 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

(6) ग्रामीण आवास – दिसम्बर 2006 तक 783000 घरों का निर्माण हो चुका है तथा 914000 घरों का निर्माण हो रहा है तथा 1500000 घरों का लक्ष्य रखा गया है। ऋण सीमा 15000 रुपये से बढ़ाकर 20000 रुपये कर दी गई है।

(7) ग्रामीण विद्युतीकरण – राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 19758 गांवों में विद्युतीकरण कर दिया गया है। इस मद में वर्तमान राशि 3000 करोड़ रुपये कर दी गई है।

(8) ग्रामीण सड़कें – दिसम्बर 2006 तक 12198 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है तथा इस कार्य के लिए बजट में अलग से 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(9) ग्रामीण दूरभाष – 15054 गांव में टेलीफोन सेवाओं की आपूर्ति हो चुकी है जबकि लक्ष्य 20000 गांवों का था। इसकी आपूर्ति चालू वर्ष के अन्त तक करने की योजना है।

(10) पेयजल एवं सफाई – दिसम्बर 2006 तक 55512 निवासियों तथा 34000 पाठशालाओं में पेयजल की आपूर्ति की जा चुकी है। यह राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत हुआ है। इस मिशन के लिए बजट में 5850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 2006–07 में यह केवल 4680 करोड़ रुपये था। समग्र सफाई अभियान के लिए बजट में 720 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 954 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(11) ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र – ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा की जा रही है। सभी जिलों में स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार की जाती है जिसमें मातृत्व तथा बाल देखभाल पर अधिक जोर दिया जाता है। इस मद की राशि 8207 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2007–08 के लिए 9947 करोड़ रुपये कर दी गई है।

(12) एकीकृत बाल विकास सेवायें – छः वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा माताओं के लिए 4761 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें आंगनवाड़ी केन्द्र तथा उपकेन्द्र संचालित किये जाते हैं।

(13) सर्वशिक्षा अभियान एवं मध्यान्ह् भोजन – शिक्षा पर खर्च करते समय प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए 17133 करोड़ रुपये धनराशि बढ़ाकर 23142 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह 35 प्रतिशत वृद्धि है। सर्वशिक्षा अभियान के लिए 10671 करोड़ रुपये, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 450 करोड़ रुपये, 2 लाख शिक्षकों की भर्ती तथा 5 लाख कमरों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। मध्यान्ह् भोजन के लिए 7324 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 3427 शिक्षा में पिछड़े खंड सम्मिलित हैं।

सैकेंडरी शिक्षा के लिए बजट में दोगुनी राशि का प्रावधान है जो 1837 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3794 करोड़ रुपये कर दी गई है।

प्रारम्भिक शिक्षा कोष 8746 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10393 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(14) भारत निर्माण – इस के लिए वर्ष 2006–07 में 18696 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो इस बजट में बढ़ाकर 24603 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि 31.6 प्रतिशत अधिक है।

सुझाव – इस बजट में पिछले बजट की तुलना में कृषि, ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना, सामाजिक सेवाओं, उर्वरक अनुदान, रोजगार सृजन, शिक्षा जैसी मदों पर काफी वृद्धि की है। इनके विकास से रोजगार, आय एवं उत्पादन में वृद्धि करके ग्रामीण विकास को तेज गति प्रदान की जा सकती है। इसके लिए निम्न सावधानियां एवं सुझाव दिये जा सकते हैं :–

(1) लाभान्वित परिवारों का चयन सही किया जाये और उनको धन राशि की स्वीकृति एवं आवंटन सही समय पर तत्काल किया जाये।

(2) राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र से मिलने वाली धन राशि को प्राप्त करने के लिए तत्परता से कार्य योजना तैयार करें जिससे की धनराशि का सही समय पर उपयोग किया जा सके।

(3) विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि पर निरंतर निगरानी रखे जाने जिससे की धनराशी का मितव्ययता से उपयोग किया जा सके और लाभान्वित इकाइयां अपने संसाधनों के साथ आत्मनिर्भता की ओर बढ़ें।

(4) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों में आपसी सद्भाव एवं सद्विश्वास स्थापित कर प्रभावी ढंग से विभिन्न योजनाओं को लागू करने का पक्का इरादा होना आवश्यक है।

(5) प्रशासन के विभिन्न स्तरों का समन्वय स्थापित कर योजनाओं के लिए कार्य योजना तैयार करना तथा उनका प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।

(6) पांच दशक से अधिक आर्थिक नियोजन हमारे देश की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन गया है लेकिन अभी तंत्र तथा अपेक्षित जन सहयोग परमावश्यक है। इससे ग्रामीण विकास से कृषि क्षेत्र का विकास तेज किया जा सकेगा और सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी को बढ़ाना संभव होगा।

बजट में शिक्षा इस बार है फील गुड

कादम्बरी

बजट के अगले दिन तमाम अखबारों की सुर्खी यही थी कि इसमें आम आदमी का ध्यान नहीं रखा गया। उसे इसमें कोई राहत नहीं दी गई। दी भी गई तो मामूली। और वह मामूली राहत भी ऐसी थी कि दूसरी किसी जगह बराबर हो जाती थी। यानी आंकड़ों की बाजीगरी करके वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आम आदमी की हथेली पर एक हाथ से बताशा रखा और दूसरे से उठा लिया। वित्त मंत्री के जिस एक कदम की वजह से आम आदमी की जेब ने बुरा माना वह है एक प्रतिशत एजुकेशन सेस। लेकिन आम उपभोक्ता को बुरे लगने वाले इसी कदम से शिक्षा-हितैषी और शिक्षाविद खुश और कमोबेश संतुष्ट दिखते हैं। अब एजुकेशन सेस दो से बढ़कर तीन फीसदी हो गया है।

यह तो एक बात रही लेकिन अगर सम्पूर्णता और तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इस बजट में शिक्षा के मद में 34.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बेशक यह बढ़ोतरी स्वागत योग्य है। स्कूली शिक्षा के लिए पैसा बढ़ाकर 23,142 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले साल यह राशि 17,133 करोड़ रुपये थी। यानी 35 प्रतिशत की वृद्धि। प्राथमिक शिक्षा के लिए जो राशि आवंटित की गई है उसमें भी पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत की बढ़त हुई है। वैसे, सबसे ज्यादा पैसा सेकेंडरी शिक्षा के मद में दिया गया है। 2006-07 के बजट में इस मद में 1,873 करोड़ रुपये रखे गए थे जो अब बढ़कर 3,794 करोड़ रुपये हो गए हैं। यह बढ़ोतरी दोगुने से भी ज्यादा हुई। जहां तक आवंटन की बात है वित्त मंत्री ने इस बार शिक्षा क्षेत्र का पूरा-पूरा ध्यान रखा है। यहां फिलहाल आवंटन की ही बात की जा रही है, यह राशि कितनी खर्च हो पाती है या नहीं हो पाती या फिर किसके पास कितनी पहुंचती है ये अलग विमर्श के मुद्दे हैं। तो इस बार वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र का ध्यान रखा। इस 'ध्यान' में सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखलाई पड़ती है। यहां हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। आवंटन पर गौर करें तो हम पाएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से सरकार की प्राथमिकताएं बदली हैं। ये प्राथमिकताएं प्राथमिक शिक्षा से शिफ्ट होकर सेकेंडरी शिक्षा पर आ गई हैं। तभी इस मद में दोगुने से भी ज्यादा राशि आवंटित की गई है। इस बढ़ोतरी के पीछे एक गरज यह है कि आठवीं के बाद स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों को रोका जा सके। यानी ड्रॉप-आउट्स की कमी की जा सके। हालांकि यकीन के साथ यह कह पाना कठिन है कि बढ़े हुए पैसे से ड्रॉप-आउट्स की दर कम की जा सके। हालांकि यकीन के साथ यह कह पाना कठिन है कि बढ़े हुए पैसे से ड्रॉप-आउट्स की दर में कमी के बीच कोई नाता है। अगर इस बढ़े हुए पैसे को ढांचागत तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाया गया तब भी इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती कि ड्रॉप-आउट्स में किसी तरह की कमी आएगी। किसी भी स्तर पर बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं इसके मूल में पारिवारिक आर्थिक कारण तो होते ही हैं अन्य वजहें भी होती हैं।

यहां एक सवाल उठता है कि क्या पैसे का गुणवत्ता से ताल्लुक है? यदि ईमानदारी के साथ सुनियोजित तरीके से पैसा खर्च किया जाए तो बिल्कुल है। लेकिन सरकारी स्कूलों का सर्वाधिक नकारात्मक बिंदु अब शायद यही हो गया है। कम से कम जो पढ़ाने की स्थिति में है वह अब गुणवत्ता के प्रति सजग हो गया है। अगर शहरी परिवारों की बात करें तो उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए बाकायदा अपने बजट में जगह बढ़ाई है। अच्छी और गुणवत्तायुक्त पढ़ाई उपलब्ध कराना अब उनका मकसद है। अब यह आम धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता के लिहाज से शिक्षा ठीक नहीं है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइवेट स्कूलों का रुख कर रहे हैं। इस तथ्य पर आप बेकार की बहस कर सकते हैं लेकिन सच्चाई यही है।

असल चिंता का विषय है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट संस्थान, जो 1979-80 तक (देश भर में) प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा रहे थे, वे 8 प्रतिशत से भी कम थे लेकिन अब (2005) यह आंकड़ा 15 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया है। इससे समझा जा सकता है कि प्राइवेट संस्थान किस तेजी के साथ सरकारी शिक्षण संस्थानों की जगह ले रहे हैं। वैसे यह आंकड़ा देशभर का है। अगर शहर और महानगरों को देखेंगे तो पता चलेगा कि सरकारी और निजी संस्थानों में पढ़ने वालों का अनुपात बराबर है। लिहाजा सरकार को गुणवत्ता व ढांचागत सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हालांकि सरकार ने पैसा बढ़ाकर इस ओर ध्यान देने की कोशिश की तो है लेकिन हमारे देश में ऊपर से चलकर नीचे तक कितना पैसा पहुंचता है इस दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई का खुलासा राजीव गांधी पहले कर ही चुके हैं। हालात में बहुत परिवर्तन आया है, ऐसा नहीं लगता। सरकार ने आवंटन कम किया या ज्यादा यह विवाद और संतोष-असंतोष का कारण हो सकता है लेकिन जितना भी पैसा जिस भी मद में दिया गया है वह पूरा का पूरा वहां पहुंचे और ईमानदारी से खर्च हो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार नहीं हर उस व्यक्ति की है जो इस प्रक्रिया से जुड़ा है। इसी व्यावहारिक अहमियत को रेखांकित करते हैं इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस्ड

स्टडीज इन एजुकेशन (डीम्ड यूनिवर्सिटी) के कुलपति मिलाप डुग्गर। श्री डुग्गर के मुताबिक, जब तक हम विचार और व्यवहार में ईमानदारी और निष्ठा नहीं लाएंगे हमारे लिए बड़े-से बड़ा आवंटन भी कम पड़ेगा। सरकार जितने भी अनुदान या पैसे की घोषणा करती है यदि वह पूरी राशि ईमानदारी और व्यवस्थित तरीके से खर्च की जाएगी तो हम अपेक्षित परिणामों के निकट पहुंच सकते हैं।

मुद्दा यह भी है कि केंद्र या राज्य सरकारें जिस मद में जितना पैसा आवंटित करने की घोषणा करती हैं उतना कर नहीं पातीं। शिक्षा क्षेत्र इसका अपवाद नहीं है। मिसाल के तौर पर इस साल से सर्व शिक्षा अभियान में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 20 फीसदी की होगी। जाहिर है यह राज्य सरकारों की मुश्किलें बढ़ाने वाला कदम है। सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटिबिलिटी (सीबीजीए) का विश्लेषण बताता है कि जब इस सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी में क्रमशः 75:25 का अनुपात था (जून 2006 तक) तब भी राज्य सरकारें सर्व शिक्षा अभियान में हुए कुल खर्चे का मात्र 9 फीसदी पैसा ही जारी कर सकीं। यहां दो तरह की स्थितियां हैं। एक, सरकारों द्वारा घोषित पैसा जारी न करना। दूसरे, जो पैसा जारी हुआ उतना खर्च न करना। यही स्थिति अक्सर विधायकों और सांसदों के कोश को लेकर भी देखने को मिलती है।

जहां तक इस बजट का सवाल है कम से कम शिक्षा के लिहाज से तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ शिक्षाविदों का कहना है कि बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है लेकिन आम आदमी और अन्य मोर्चों से तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि मामला फील गुड है।

(लेखिका स्वंतत्र पत्रकार हैं)

पलायन पर रोक–साहूकार से छुटकार रोजगार गारंटी योजना बनी सहारा

अपरोक्त पंक्तियां किसी कविता की पंक्तियां नहीं है बल्कि उन मजदूरों की हकीकत बयान कर रही हैं जिन्हें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से न सिर्फ एक वर्ष में सौ दिन का रोजगार मिला बल्कि साहूकार से कर्ज भी नहीं लेना पड़ा और काम की तलाश में अन्य स्थानों और राज्य के बाहर भी नहीं जाना पड़ा। ये कहानी बदनावर तहसील से 25 किलोमीटर दूर निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए प्रस्तावित ग्राम जाबड़ा के निवासी हीरा लाल और बाबूलाल भूमिया की है।

हीरा लाल ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पिछले वर्ष जॉब कार्ड बनवाया था तथा आवेदन करने पर काम भी मिला। इस योजना से उसे 100 दिन का काम करने का 6300 रुपए प्राप्त हुए। वह और उसका परिवार इससे खुश है। खुश इसलिए भी है कि उन्हें काम की तलाश में गुजरात, कोटा, भोपाल और इंदौर की ओर रुख नहीं करना पड़ा। हीरा लाल बड़े फख्र से कहते हैं पहले सुबह 8 बजे से 12 घंटे काम करने पर 30–40 रुपए तक ही मिल पाते थे लेकिन इस बार यही पर काम मिल गया और मजदूरी भी पहले से लगभग दूगुनी। उसने बताया इस बार खाद–बीज के लिए साहूकार से कर्ज भी नहीं लेना पड़ा। हालांकि हीरा लाल के पास 5 बीघा जमीन है लेकिन पर्याप्त फसल न होने के कारण परिवार के भरण–पोषण के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। इस वर्ष ग्रामीण रोजगार गारंटी से उसने खाद–बीज का बंदोबस्त किया। पिछले वर्ष अच्छी वर्षा होने से उसने टमाटर और मिर्च की फसल लगाई और इससे उसे करीब 25 हजार रुपए की आमदनी भी हुई। जाबड़ा गांव का ही बाबूलाल भूमिया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अपने लिए वरदान मानता है। बाबूलाल ने पिछले वर्ष जॉब कार्ड बनवाया और उसे 100 दिनों का रोजगार मिला। उसने बताया कि हमें मार्च से जुलाई तक काम की अधिक जरूरत होती है। उसे अब इंतजार है कि जल्दी से इस वर्ष भी काम शुरू हो और उसे योजना के तहत चलाये जाने वाले कार्यों के लिए बुलाया जाये।

ग्राम जाबड़ा की सरपंच सुश्री राजकुंवर जाट ने बताया कि गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 316 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं जिनमें से 296 लोगों ने रोजगार की मांग की। इनमें से 230 परिवारों को काम उपलब्ध कराया तथा शेष परिवार काम मांगने के बावजूद काम पर नहीं आये। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत जाबड़ा को 29.44 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई इस राशि से ग्राम पंचायत द्वारा 30 कार्य स्वीकृत किए गए जिनमें से 27 कार्य पूर्ण हो गये तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं। इनमें पहुंच मार्ग, सीमेंट कांक्रीट, वृक्षारोपण, कंटीले तार और फेंसिंग तथा खेत–तालाब कार्य शामिल हैं। ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना भी बनाई गई है। इसके अन्तर्गत 2.03 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के 207 कार्यों का प्रस्ताव किया गया है। इनमें तालाब का जीर्णोद्धार, 72 हेक्टेयर में वृक्षारोपण, रतनजोत के पौधों का रोपण, एक सौ स्टाप डेम, फार्म पौण्ड, तालाब का गहरीकरण, परकोलेशन टैंक आदि कार्य शामिल हैं।

सरपंच सुश्री राजकुंवर जाट बड़े गर्व से कहती हैं कि इस वर्ष हमारे गांव से एक भी परिवार ने काम की तलाश में पलायन नहीं किया। वास्तव में यह योजना ग्रामीणों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है।

भारत में सहकारिता और आर्थिक विकास

डा. सूर्य भान सिंह

सहकारिता का आर्थिक विकास से गहरा सम्बन्ध है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहकारिता का योगदान बहुत ही महत्व का है। किसी भी अर्थ व्यवस्था में सहकारिता के जन्म के पीछे अत्यधिक गरीबी, पूंजीपतियों द्वारा अत्याचार, ग्रामीण समाज का शोषण और उत्पीड़न तथा अत्यन्त निम्न उत्पादकता जैसे तत्व रहे हैं जो आर्थिक विकास की गति में अवरोध पैदा करते हैं। इंग्लैंड में सहकारिता का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब श्रमिक वर्ग घोर कष्ट का अनुभव कर रहा था जर्मनी में पूंजीपतियों एवं ऋणदाताओं द्वारा किया जाने वाला कृषकों के तीव्र शोषण ने सहकारिता को जन्म दिया। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत साधन हतोत्साहित होता है तो उस समय सहकारिता आर्थिक क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहकारिता केवल लाभ को ध्यान में रखकर पूंजी निवेश नहीं करता बल्कि निवेश का आधार सामाजिक आवश्यकता एवं समृद्धि होती है। सहकारिता पूंजीवाद के दुर्गणों को छोड़कर समाजवाद के पथ पर अग्रसारित होता है। सहकारिता के माध्यम से आर्थिक निर्माण के क्षेत्र में सामाजिक हित, न्यायपूर्ण विचार एवं सामाजिक बन्धुत्व को ध्यान में रखा जाता है। कृषि प्रधान देशों की आर्थिक प्रगति के लिए सहकारिता के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है जो कृषि अर्थ व्यवस्था को मजबूत कर सके। सहकारिता केवल उत्पादन उपभोग विनिमय व वितरण तक सीमित नहीं है बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उत्पादन एवं रोजगार के विकास में सहायक है। अतः सहकारिता ऐसी व्यवस्था है जो आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। आर्थिक विकास के बहुत से साधन सहकारिता के माध्यम से सम्भव हो सकते हैं।

आजादी के बाद भारत के आर्थिक उत्थान में विशेषकर ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय में सहकारिता का प्रमुख योगदान है। आज की लोकतांत्रिक प्रणाली में अधिकतम लोगों की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति सहकारिता से ही सम्भव है इसलिए सहकारिता का विकासोन्मुख आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे–जैसे विकास की योजनाओं में वृद्धि होती गई वैसे–वैसे सहकारिता की व्यापकता बढ़ती गई और सम्भावना व्यक्त की जाने लगी कि सहकारिता का एक ऐसा क्षेत्र होगा जो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बीच एक सन्तुलन क्षेत्र विकसित करेगा। सहकारिता की आर्थिक विकास में भूमिका जहां शोषणमुक्त समाजवादी अर्थव्यवस्था का सपना साकार करेगी वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र की विकास की धुरी बनकर कृषक परिवारों को लाभान्वित करेगी। भारत जैसे विकासोन्मुख देश के लिए सहकारिता अपरिहार्य है क्योंकि लोकतान्त्रिक प्रणाली में अधिकतम लोगों की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति सहकारिता से ही संभव है। ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की कार्यरत सहकारी समितियां सभी वर्गों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर आय एवं उत्पादन वृद्धि में अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीण सहकारी समितियों ने उन क्षेत्रों में योगदान दिया है जहां सरकार द्वारा सर्वाधिक ध्यान कृषि वित्त में एवं गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर है। आज पूरे देश में 5 लाख 49 हजार के लगभग सहकारी समितियां कार्यरत हैं जिनकी सदस्य संख्या 22 करोड़ 95 लाख है। भारत में सहकारिता के अन्तर्गत सभी गांव शामिल किये गये हैं। इसमें लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारी संस्थाओं के सदस्य हैं। कृषि से सम्बन्धित कार्यों में सहकारिताओं ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। दुग्ध उत्पादन एवं वितरण में सहकारी समितियों ने अनुपम योगदान कर ग्रामीण क्षेत्र में अंशकालिक रोजगार में अत्यधिक वृद्धि की है। भारत में सहकारी समितियों का विकास आगे तालिका में दिया गया है:–

देश के उर्वरक उत्पादन में सहकारिता का योगदान महत्वपूर्ण है। "भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्थान" सम्पूर्ण एशिया में सबसे बड़ी सहकारी समिति है जो देश के उर्वरक उत्पादन में 40 प्रतिशत योगदान देती है। देश में 60 प्रतिशत उर्वरक, सहकारी संस्थाओं द्वारा वितरित किया जाता है। देश के चीनी उत्पादन में सहकारिता का योगदान 58 प्रतिशत है। देश के अन्तर्राज्यीय तथा विदेशी व्यापार में सहकारी विपणन संस्थायें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। वर्तमान समय में 101 कताई मिलें सहकारी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। सहकारी क्षेत्र

सहकारी समितियों का विकास

क्र.स.	विवरण	1970–71	1980–81	1990–91	2000–01	2003–04
1.	सहकारी समितियों की संख्या (लाख में)	3.20	3.26	3.35	4.53	5.49
2.	सहकारी सदस्यों की संख्या (करोड़ में)	6.44	11.76	15.90	20.15	22.95
3.	सहकारी समितियों की अंश पूंजी (करोड़ में)	851	2088	5285	9000	10000
4.	सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी (करोड़ में)	6810	25119	63385	125000	145210

में मध्यम स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 18 सहकारी प्रशिक्षण कालेज हैं और कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 95 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहें हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन अधिनियम 2002 के पारित हो जाने के बाद राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का कार्यक्षेत्र और अधिक बढ़ गया है। इसमें पशुधन, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प तथा कुछ अधिसूचित सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी समितियों को और ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। भारत में आज सहकारिता का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि इस समय चार लाख पचास हजार से अधिक सहकारी समितियों की स्थापना हो चुकी है इनमें 65 प्रतिशत समितियां केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की संक्षिप्त विवेचना से इसके लाभों तथा विस्तार को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है।

सहकारी साख समितियां

किसानों को ऋणग्रस्तता की समस्या से छुटकारा दिलाने तथा विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दिलाने के लिए सहकारी साख समितियों की स्थापना की गई है। ये समितियां कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए बहुत कम ब्याज दर पर कृषकों का ऋण प्रदान करती हैं। ऐसी साख समितियां सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए ऋण प्रदान नहीं करतीं बल्कि केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि करने तथा पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए ऋण प्रदान करती हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कार्यक्षेत्र केवल ग्राम स्तर तक ही सीमित है जिला स्तर पर ऋण देने का कार्य सहकारी बैंकों द्वारा किया जाता है जबकि राज्य स्तर पर यह कार्य केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा किया जाता है।

सहकारी कृषि समितियां

सहकारी कृषि समितियों का उद्देश्य कृषि के प्रत्येक क्षेत्रों में कृषि के विकास में योगदान देना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज कृषि, सिंचाई एवं विक्रय के लिए अलग–अलग सहकारी कृषि समितियां कार्य कर रही हैं। सहकारी कृषि समितियां गांव की भूमि पर कृषि करने के लिए उन्नत बीजों, खादों तथा नवीन कृषि उपकरणों की सुविधाएं प्रदान करती हैं। सहकारी सिंचाई समितियां खेतों में सिंचाई के लिए कुंआ खोदने, नलकूप लगाने में सहायता देती हैं। यह सहायता ऋण के अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं नवीन ज्ञान के रूप में दी जाती है। कृषि के क्षेत्र में सहकारी विक्रय समितियां आज अत्यधिक लोकप्रिय हैं। ये समितियां व्यापारियों एवं दलालों के शोषण से किसानों की रक्षा करती हैं तथा किसानों के उपज की वास्तविक कीमत दिलाना, अच्छे बाजारों के लिए ज्ञान प्रदान करती हैं। सहकारी कृषि समितियों के कारण ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

औद्योगिक सहकारी समितियां

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना तथा ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में औद्योगिक सहकारी समितियों का योगदान महत्वपूर्ण है। ये समितियां किसानों को लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कच्चे माल की सुविधाएं प्रदान करती हैं तथा उद्योगों से सम्बन्धित विधियों का ज्ञान देकर उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं के विक्रय के लिए विक्रय की व्यवस्था करती हैं। भारत में इस

समय 50 हजार से अधिक औद्योगिक सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। इन समितियों द्वारा बनाये गये सामान का विक्रय करने तथा उसका निर्यात करने के लिए "राष्ट्रीय फेडरेशन" की स्थापना की गई है। औद्योगिक सहकारी समितियां चमड़े के उद्योगों, साबुन उद्योग, तेल उद्योग, ताड़ उद्योग आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं को उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। यह समितियां प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुओं का विक्रय करने के साथ ही दूध की पूर्ति, मछली पालन, एवं मुर्गीपालन आदि जैसे कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। भारत में इस समय 456 केन्द्रीय तथा थोक उपभोक्ता सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। जबकि प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या 18 हजार से अधिक है। इन समितियों के द्वारा ग्रामीण जनता को उचित कीमत पर उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त होती हैं।

सहकारी आवास समितियां

सहकारी आवास समितियों की स्थापना सीमित साधनों वाले व्यक्तियों को सस्ते दर पर आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा गृह निर्माण के लिए बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इन समितियों द्वारा ग्रामीण निर्धनों को नई आवास योजना में प्राथमिकता दी जाती है तथा सहकारी समितियों के माध्यम से बिजली, पानी एवं सड़कों आदि की व्यवस्था की जाती है। इस समय भारत में लगभग 30 हजार प्राथमिक सहकारी आवास समितियों की स्थापना की जा चुकी है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार करने तथा निर्धन वर्गो को आवास की सुविधाएं प्रदान करने में यह समितियां अत्यधिक योगदान दे रही हैं।

बहु उद्देश्यीय जनजातीय सहकारी समिति

भारत में जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय समितियों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है जिससे जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों की सभी प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मुख्य रूप से इनका कार्य जनजातीय कृषकों को अल्प माध्यम एवं लम्बी अवधि के लिए ऋण प्रदान करना, उनके कृषि उपजों एवं जंगलों से प्राप्त पदार्थों को एकत्रित करके उनके विक्रय की समुचित व्यवस्था करना तथा जनजाति के लोगों को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं से सम्बन्धित वस्तुयें उपलब्ध कराना है ताकि जनजातीय लोगों का जीवन स्तर उठाया जा सके।

आज सहकारी समितियों के द्वारा निर्धन ग्रामीणों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना तथा ग्रामीणों को चहुमुखी विकास प्रदान करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सहकारिता का उद्देश्य उन्नत खेती, उन्नत व्यापार और उन्नत जीवन बनाना है। सहकारी समितियां इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करके ग्रामीणों की आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास करने का प्रयत्न कर रही हैं। ग्रामीणों के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन किया गया है। निगम का मुख्य उद्देश्य कृषि सहकारी समितियों को विकसित करना तथा उनकी आय एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुविधाएं मुहैया कराना है। निगम ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपजों, प्रसंस्करण, भंडारण एवं कृषि उत्पादों के विपणन सम्बन्धी कार्यक्रम का विकास कर रहा है। निगम गैर–कृषि क्षेत्रों में कमजोर तबकों को प्रोत्साहन देने के लिए हथकरघा, मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन पर विशेष ध्यान दे रहा है।

सहकारी समितियों की असफलता के पीछे उनके सदस्यों की निष्क्रियता एवं प्रबन्धन में सक्रिय सहभागिता का अभाव रहा है। सहकारी समितियों में स्वार्थी लोगों के छाये रहने के कारण आम ग्रामीण जनता तक सहकारी आन्दोलन का प्रभाव महसूस नहीं होता। सहकारी साख समितियों का उधार का बाकी रहना, आन्तरिक संसाधनों को इकठ्ठा करने की इच्छाशक्ति का अभाव, सरकारी सहायता पर अधिक निर्भरता एवं व्यावसायिक प्रबन्ध तन्त्र का अभाव आदि कारणों के कारण अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहे हैं। अतः सहकारी समितियों में सम्बद्धता, व्यवहारशीलता एवं सहभागिता का समावेश होना आवश्यक है। ग्रामीण एवं किसानों के विकास के सपने साकार करने के लिए सहकारिता को पारदर्शी बनाना आवश्यक है क्योंकि सहकारिता कृषि ऋण देने के लिए अच्छा माध्यम है। सहकारिता से ही ग्राम का सर्वांगीण विकास, न्यूनतम अभावों का अन्त, आर्थिक विकास से उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि तथा ग्रामों के अंतिम व्यक्ति के विकास से जुड़ी हुई है। अतः इस दिशा में सहकारिता ग्राम विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है।

बैंकिंग प्रणाली: समतामूलक उपाय

विजय प्रकाश श्रीवास्तव

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय विकास के एक अभूतपूर्व दौर में है और दुनिया की सबसे तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आने वाले वर्षों में देश की विकास दर 8 से 10 प्रतिशत के बीच बने रहने का अनुमान है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को अपनाने के बाद से देश के आर्थिक क्षितिज पर अनेक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। निर्यात बढ़ रहा है विदेशी मुद्रा का भंडार नई उंचाई पर है और विदेशी निवेशक भारत में पूंजी लगाने को काफी उत्सुक हैं। विश्व में भारत की एक नयी पहचान स्थापित हो रही हैं।

पर देश में एक बड़ा वर्ग हैं जो इन परिवर्तनों एवं विकास के लाभों से वंचित हैं। गरीबी की समस्या भारत के लिए अभिशाप बनी हुई है। एक प्रकार से कहा जाय तो विकास के लाभों के वितरण में घोर असमानता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देश की आबादी का 70 प्रतिशत लगभग 5,50,000 गांवो में निवास करता है जो बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से महानगरों एवं शहरों की तुलना में काफी पीछे हैं पर गरीबी सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं हैं। शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों में भी गरीबों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक असमानताओं को कम करने एवं गरीबी उन्मूलन के लिए नीतियों का समावेश किया जाता रहा है। इनसे काफी फर्क भी पड़ा है पर कुल मिलाकर देखा जाय तो स्थिति अभी भी चिंतनीय है। देश में अमीरी और अमीरों की संख्या बढ़ रही है पर गरीबी इतनी कम नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिए थी। अभी भी भारतीय जनसंख्या में 40 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे विपन्नता में जीवनयापन कर रहे हैं।

आजादी के बाद से भारत ने आर्थिक विकास का लम्बा रास्ता तय किया है पर उन्मूलन पर तथ्य यही बताते हैं कि आर्थिक विकास गरीबी उन्मूलन की गांरटी नहीं हैं। अब इस वास्तविकता को स्वीकार किया जा रहा है कि देश में गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए जो औपचारिक एवं संस्थागत प्रयास अब तक किए गए हैं वे कहीं न कहीं अपर्याप्त रहे हैं। इस धारणा को भी मान्यता मिल रही है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र का दर्जा पाने के लिए गरीबी की समस्या से और गंभीर रूप से निपटना होगा। वित्तिय समावेश अर्थात फायनेंशियल इन्क्लूजन इसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है।

किसी भी स्तर पर विकास की प्रक्रिया वित्त एवं वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता से शुरू होती है। इन सेवाओं से वंचित होना विकास के रास्ते में बड़ी रुकावट हैं। वित्तीय समावेश के अंतर्गत यही सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे वित्तीय सेवाओं की वास्तव में जरूरत हो, ऐसी सेवाओं से वंचित न रहे।

वित्तीय समावेश पर भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब काफी जोर दिया जा रहा है। उनके द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार वित्तीय समावेश से आशय बैंकिंग सेवाओं को अल्प एवं वहनीय लागत पर वचिंतों एवं अल्प आय समूह के विशाल वर्ग तक पहुंचाना है। यदि किसी समाज में सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं तक सभी की अबाधित पहुंच नहीं है तो इसे पूरी तरह मुक्त एवं सक्षम समाज नहीं कहा जा सकता. चूंकि बैंकिंग सेवाएं भी सार्वजनिक प्रकृति की हैं, बगैर किसी भेदभाव के बैंकिंग एवं भुगतान सेवाओं को आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचाना सार्वजनिक नीति का मुख्य उद्देश्य है।

विशेषरूप से विगत दो दशकों के दौरान बैंकिंग कारोबार की मात्रा और जटिलता में बहुत अधिक वृद्धि हुई हैं हालांकि वित्तीय सुदृढ़ता, लाभप्रदता एवं प्रतिस्पर्धा के मोर्चे पर बैंकों ने अच्छी प्रगति की है पर वे अभी भी जनसंख्या के एक बड़े वर्ग खासकर समाज के साधनहीन वर्ग को प्रांरभिक बैंकिंग सेवाओं कें दायरे में नहीं ला पाए हैं। भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 100 वयस्क जनसंख्या के पीछे बैंक खातों की संक्ष्या लगभग 31 है जबकि ब्रिटेन में यह प्रतिशत 90 है। यदि 69 प्रतिशत भारतीय आबादी अभी भी बैंकिंग सेवाओं से वंचित है तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वित्तीय समावेष के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

भारतीय रिजर्व बैंक की पहल

वर्ष 2005–06 हेतु वार्षिक नीति घोषणा में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी बैंकिंग प्रथाओं पर चिंता जाहिर की जो जनसंख्या

के एक बड़े वर्ग को शामिल करने की बजाय वंचित रखे हुई हैं। बैंकों से कहा गया कि वे अपनी मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करें ताकि इस वर्ग को वित्तीय समावेश के जरिए बैंकों से जोड़ा जा सके।

2005–06 के लिए नीति की मध्यावधि समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को ऐसे सरल बैंक खाते (नो फ्रिल अकाउंट) उपलब्ध कराने को कहा जिन्हें 'शून्य' अथवा अत्यल्प राशि से खोला जा सके, इनमें न्यूनतम जमा शेष की शर्तें उदार रखी जायं और इन खातों में लिया जाने वाला शुल्क भी अत्यंत कम हो। खातों में लेन–देन की संख्या सीमित रखी जा सकती है जिसके विषय में खाताधारकों को पहले से बता दिया जाना चाहिए। सभी बैंकों को ऐसे खातों को व्यापक प्रचार–प्रसार करने को कहा गया ताकि वित्तीय समावेश का दायरा बढ़े। ऐसे खाते खोलने हेतु पहचान कागजातों के मामले में भी ढील दी गई है।

बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी योजनाओं के संबंध में लिए जाने वाले प्रभारों की सूची अपनी शाखाओं में एवं अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। इन दरों को अद्यतन करते रहना भी बैंकों की जिम्मेदारी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक को शिकायत मिलती रही है कि कुछ बैंक ग्राहकों से मनमाने ढंग से सेवा प्रभार वसूल रहे हैं। कारोबार में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी इन निर्देशों की सराहना की जा रही हैं।

क्रेडिट कार्ड

भारत में क्रेडिट कार्ड का व्यवसाय लगभग 30 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड संस्कृति अब तक मुख्यतः महानगरों एवं शहरों तक ही सीमित हैं लेकिन यह मान लेना कि गांवों एवं ग्रामीणजनों के लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, गलत होगा। बैंक की ग्रामीण शाखाओं ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों, काश्तकारों, शिल्पकारों आदि को उनकी जरूरत के समय एक निश्चित सीमा तक वित्त उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया है। इस कार्ड से सुविधा यह है कि कार्डधारकों को जरूरत के समय एक निश्चित सीमा तक वित्त आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बार–बार ऋण सीमाओं को बढ़ाने, इनका नवीनीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती एवं इस प्रकार कई औपचारिकताओं से छुटकारा मिलता है। इस कार्ड की सफलता को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करने को कहा है। यह कार्ड ऋण एवं बचत राशि दोनों को निकालने के लिए होगा। कार्ड जारी करने में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। ग्रामीण इलाकों के लिए कम लागत वाले, सौर ऊर्जा चालित एवं बायोमेट्रिक प्रणाली से कार्य करने वाली आटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) स्थापित करने के कार्य में भी प्रगति हो रही है। इससे कार्डों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा एवं उपभोग में सुविधा भी होगी। प्रौधोगिकी का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए यह एक व्यावहारिक उपाय है।

लघु वित्त

वास्तव में लघु वित्त अर्थात माइक्रोफायनेंस को वित्तीय समावेश का एक निहायत कारगर जरिया माना जाता है। इसे न केवल भारत बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी अपनाया गया है। वर्ष 2005 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मोहम्मद युनूस को लघु वित्त के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। लघु वित्त के उनके ग्रामीण बैंक माडल ने बंगला देश में आज लाखों वंचित लोंगों को आर्थिक सामाजिक रूप से समर्थ, सक्षम एवं आत्मनिर्भर बना दिया है।

लघु वित्त से आशय ग्रामीण, अर्द्धशहरी, शहरी एवं महानगरीय क्षेत्रों के गरीबों को छोटी राशि की बचत, ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है जिनकी मदद से वे अपनी आय में वृद्धि कर जीवन स्तर को उन्नत बना सकें। लघु वित्त को जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए भारत में मुख्य रूप से स्वंय सहायता समूह माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह एक जैसे हालात वाले निर्धन लोगों को एक छोटा समूह होता है। जिसमें लोग स्वेच्छा से एकत्र होते हैं। प्रत्येक समूह 15–20 सदस्यों तक का हो सकता है। समूह अपने सदस्यों की बचत को एकत्र करता है और इस प्रकार एकत्र की गई राशि से सदस्यों को उनकी आवश्यकता के आधार पर ऋण देता है। समूह के संचालक हेतु नियमादि इसके सदस्यों द्वारा आपसी सहमति से तय किए जाते हैं। शुरू में समूह के भीतर वित्तीय लेन–देन को प्रोत्साहित किया जाता है और आगे चलकर पूरक वित्तीय सहायता हेतु समूह को किसी बैंक से संबद्ध कर दिया जाता है। महिला सदस्यों वाले स्वयं सहायता समूहों के गठन पर अधिक जोर दिया गया है।

स्वयं सेवी संगठन स्वयं सहायता समूहों के गठन में मदद करते हैं उन्हें प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। स्वयं

सहायता समूह जब संगठनात्मक तौर पर मजबूत हो जाता है तो स्वयंसेवी संगठन इससे अलग होकर नए स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं विकास में जुट जाता है। लघु वित्त के वितरण के कई और तरीके हैं।

लघु बीमा

बीमा को एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में मान्यता मिली हुई है। बीमा कंपनियां अपनी योजनाओं के दायरे में उच्च एवं मध्य वर्ग को शामिल करने के प्रयासों में पहले से जुटी रही हैं पर अब उनका ध्यान साधना हीन एवं गरीब लोगों पर भी गया है। इसके लिए लघु बीमा अर्थात माइक्रोइन्श्योरेंस की पद्धति विकसित की गई है। प्राकृतिक आपदाओं, शारीरिक बीमारियों एवं दुर्घटनाओं से उत्पन्न विपत्ति का सामना करने हेतु गरीब लोगों के लिए लघु बीमा एक बड़ा सहारा है। इसमें फसल संबंधी जोखिम से बचाव का प्रावधान भी है। लघु बीमा में प्रीमियम अत्यंत कम रखा जाता है। चूंकि इसमें सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में लोगों का बीमा कराया जाता है। बीमा कंपनियां इसके जरिए ज्यादा कारोबार हासिल कर सकती है। लघु वित्त एवं लघु बीमा को मिले–जुले रूप में भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

उपर्युक्त तरीकों के साथ अन्य तरीकों से भी वित्तीय समावेष के संगठित प्रयासों में अब गति देखने को मिल रही है. अनेक अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों का प्रतितिधित्व करने वाले विश्व बैंक द्वारा गठित गरीबों की सहायता हेतु परामर्श दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं को गरीबों की पहुंच के भीतर लाने की अत्यधिक संभावनाएं मौजूद हैं जिनका लाभ उठाया जाना अभी बाकी है। सिर्फ इस कारण से कि निर्धन लोग प्रतिभूति या जमानत नहीं उपलब्ध करा सकते उन्हें ऋण सुविधाओं से दूर रखना ठीक नहीं है। ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाओं के जरिए उन्हें उत्पादक कार्यों में संलग्न होने, जीविकापार्जन करने, बचत जुटाने एवं अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। हमेशा लाभप्रदता की दुहाई देकर इस वर्ग को वित्तीय सुविधाओं से वंचित रखना राष्ट्र के दूरगामी हित में नहीं होगा। शुरू में इस वर्ग के साथ कारोबार में भले ही अधिक लाभ न हो परन्तु समयोपरान्त यह वर्ग खपत एवं लाभप्रदता हेतु मजबूत आधार बन सकता है।

वित्तीय समावेष के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जागरुकता को देखते हुए हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में विशेषकर विकासशील असमानता में काफी कमी आएगी, संसाधनों का वाजिब वितरण होगा और अब तक आर्थिक रूप से वंचित रहे लोग एक महत्वपूर्ण, शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरेंगे।

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर *निदेशक, प्रकाशन विभाग* को नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

..... पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

ताकि जीवंत हो उठे सहकारी आंदोलन

प्रांजल धर

भूमण्डलीकरण, उदारीकरण और तकनीकी उन्नति के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपने पांव जमाने में कामयाबी हासिल की है और आज हम परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र भी बन चुके हैं। दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार सेंसेक्स को नई गति और दिशा दे रहे हैं, कारपोरेट सेक्टर और उसके मुनाफे का विस्तार हो रहा है और हमारी कई कंपनियां 'टाइम' या 'फोर्ब्स' जैसी पत्रिकाओं में अपना स्थान बनाने में कामयाब रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों में हमारी बात गौर से सुनी जाती है। हम महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर हैं और संचार, परिवहन या अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में हमारी कामयाबी हमें खुश भी कर देती है। लेकिन विकास की इस रोशनी और प्रगति की इस चकाचौंध के पीछे एक दुनिया और भी है। इस दुनिया में बड़े–बड़े महानगरों में किसी कोने–किनारे पर बसी झुग्गियां हैं जहां गांवों से रोजगार की तलाश में आए लोग रहते हैं, जहां बिजली, पानी या स्वास्थ्य की सुविधाएं खस्ताहाल हैं, जहां मानवाधिकारों की हालत चिंताजनक है और जहां देश का भविष्य कहे जाने वाले नौनिहाल शिक्षा से फिलहाल वंचित हैं। सहकारिता का ताल्लुक शायद इसी दुनिया से है।

सहकारिता पर बातें करने से पहले कुछ परस्पर विरोधी तस्वीरों की चर्चा क्यों की जा रही है ? इसका उद्देश्य क्या है ? क्या ये विसंगतियां कृषि पर निर्भर आबादी या सहकारिता से किसी प्रकार संबंधित हैं ? ऐसा हो भी सकता है। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। 'हां' और 'न' के सीमित बुद्धिमत्तापूर्ण जवाबों पर रुकने से पहले इन विरोधी चित्रों की श्रृंखला को जानना भी जरूरी है। यह ठीक है कि पिछले कुछ सालों से सहकारी आंदोलन की तीव्रता और रफ़्तार तेज हुई है। लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने की कोशिशें भी की गईं हैं। जागरूकता फैलाने के ये प्रयास बेशक प्रशंसनीय हैं। इनकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए। लेकिन क्या यह एक सत्य नहीं कि अपनी ज़िंदगी के शुरुआती चार या पांच दशकों तक सहकारी आंदोलन के विकास की गति बहुत धीमी रही ? काफी धीमी। शायद इसीलिए अनेक विद्वानों और समितियों ने सहकारी आंदोलन की कमजोरियों की जांच की। कुछ ने तो इसके सुधार या इसकी पुनर्रचना के सुझाव भी दे डाले। बहरहाल ज्यादा गौरतलब यह है कि इन समितियों में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति भी शामिल है।

जिस तरीके से विकास कुछ दूसरे क्षेत्रों में एकांगी हो गया, कुछ उसी तरीके से सहकारिता क्षेत्र में भी हुआ। मसलन, खेल को ही लें। तमाम छोटी–बड़ी और सरकारी–गैरसरकारी कोशिशों के बावजूद क्या हम क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी विश्वस्तरीय पहचान बना पाए ? हो सकता है कि एकाध खिलाड़ियों ने विश्व–स्तरीय नाम कमाया हो (मसलन–लिएंडर पेस या महेश भूपति या फिर सानिया मिर्जा)। लेकिन क्रिकेट के सूर्य के आगे ये शायद कुछ–कुछ जुगनुओं की ही तरह हैं। क्या वजहें हो जाया करती हैं कि हम फुटबाल के विश्व कप में प्रदर्शन नहीं कर पाते सवाल जनता में लोकप्रियता का है। और यह छोटी बात नहीं। इसी तरह हमारे यहां सहकारी आंदोलन जनता के बीच सहज रूप से विकसित नहीं हुआ। स्वेच्छा से प्रेरित न होने की वजह से जनता ने अपनी ज़रूरतों के लिए समितियों के गठन में तेजी नहीं दिखाई। इनका स्वरूप कुछ ऐसा रहा कि एक आम किसान मानता रहा कि सहकारी साख समितियां आमतौर पर कर्ज देने वाली सरकारी एजेंसियां ही हैं। अगर आम किसान इन समितियों से लगाव महसूस करता तो हमारी स्थिति भी सहकारिता के मामले में वेनेजुएला जैसी होती। ह्यूगो शावेज के अधीन तेल–समृद्ध राष्ट्र वेनेजुएला ने सहकारिता के चलते काफी विकास किया है। वहां के किसान भी समृद्धि हुए हैं।

कुछ आगे बढ़ने से पहले सहकारिता विभाग के कार्य, इसकी संरचना और नीति पर संक्षेप में जान लिया जाय। कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के तीन संघटक विभागों में से एक है। दो दूसरे विभाग हैं– पशुपालन एवं डेयरी विभाग और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। राज्य मंत्री की सहायता से कृषि मंत्री विभाग का काम–काज देखते हैं। कृषि एवं सहकारिता सचिव इस विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं और विभाग में नीति और प्रशासन संबंधी सभी मामलों में मंत्री के प्रमुख सलाहकार हैं।

इस विभाग में चौबीस प्रभाग और एक तिलहन, दलहन तथा मक्का से जुड़ा प्रोद्योगिकी मिशन है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग देश की भूमि, जल, मिट्टी और पौध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के जरिये तेज कृषि वृद्धि और विकास हासिल करने के लिए प्रयास करता है। यह किसानों को आदानों और सेवाओं (जैसे कृषि ऋण, उर्वरक, कीटनाशक, बीज, कृषि उपस्कर वगैरह) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास भी करता है। फसल बीमा से संबंधित योजना चलाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना या किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना कुछ दूसरी बातें भी हैं जिनसे विभाग जुड़ा है। पर सहकारिता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग समुचित नीतिगत उपायों तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.) जैसे संगठनों के माध्यम से सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के उपाय भी करता है।

सहकारी समितियां क्या हैं? इनके उद्देश्य क्या हैं? ये उद्देश्य कहां तक हासिल किए जा सके हैं? और फिर अल्पविकसित या अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों की सहकारी समितियां..... पूर्वोत्तर क्षेत्र.? या फिर कृषि में महिलाओं पर कितना ध्यान दिया गया है? सहकारिता को शुरू में ग्रामीण इलाकों के दलित वर्गों की प्रगति के एक उपाय के रूप में देखा गया था। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और एक आम किसान की जिंदगी और जीविका खेती–किसानी से ही चलती है। सहकारी समितियां हमारी खेती–किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पद्धति हैं। बेहद महत्वपूर्ण संस्थानिक पद्धति। ये तमाम आर्थिक गतिविधियों में लगी हुई हैं। मसलन – कर्जों के वितरण में; बीजों, उर्वरकों या कृषि आदानों के वितरण में या फिर कृषि उत्पादों के विपणन, भण्डारण या प्रसंस्करण में।

सहकारिता समितियों का शोषण रहित चरित्र या 'एक आदमी, एक वोट' का सिद्धांत कुछ ऐसी बातें थीं जो इन्हें चौतरफा विकास का एक उपकरण बना सकती थीं। पर ऐसा हुआ नहीं। आज सरकार खुद स्वीकार करती है कि इनमें संगठनात्मक दुर्बलताओं और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी कुछ कमियां रह गई। हमारी सरकार मानती है कि ऐसी कमियों का कारण अत्यधिक संख्या में सुषुप्त या निष्क्रिय किस्म की सदस्यता, सरकारी सहायता पर निर्भरता और बढ़ती हुई अतिदेयताएं हैं। हालांकि कमियों की वजहें सिर्फ इतनी ही नहीं हैं। कुछ दूसरे कारण भी हैं। इन्हें जानना इसलिए जरूरी है ताकि इन कारणों को दूर किया जा सके और फिर धीरे–धीरे कमियों से छुटकारा पाया जा सके। सदस्यों से कम डिपाजिट की व्यवस्था कर पाना या व्यावसायिक प्रबंध का अभाव कुछ दूसरे कारण हैं।

सरकार का यह कदम प्रशंसनीय है जिसमें सहकारी समितियों के पुनरोद्धार के लिए ठोस उपाय किए गए हैं। इसमें इन समितियों को जीवंत लोकतांत्रिक संगठन बनाने के साथ–साथ सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया दिया गया था। यू.पी.ए. सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यू पी ए सरकार सहकारी समितियों की लोकतांत्रिक, स्वायत्तशासी और व्यावसायिक कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करेगी। प्रस्ताविक संवैधानिक संशोधन करने और सहकारी समितियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए दिसंबर 2004 में राज्य सहकारी मंत्रियों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। सम्मेलन में जिन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है, वे निम्नलिखित हैं–

1. संविधान में संशोधन करना
2. सहकारी आंदोलन के सामने खड़ी विभिन्न चुनौतियों पर विचार करने के लिए और आंदोलन को नई दिशा प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करना।

राज्यों के वर्गीकरण की हालिया समीक्षा के मुताबिक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को सहकारी रूप से अल्पविकसित राज्यों के वर्ग में रखा गया था। इसी तरह झारखंड, बिहार और जम्मू एवं कश्मीर को विद्यमान राज्यों के अतिरिक्त सहकारी रूप से अल्पतम विकसित राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अब दस राज्यों और दो संघ शासित्र क्षेत्रों को अल्प विकसित के रूप में और ग्यारह राज्यों को अल्पतम विकसित राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पर सवाल वर्गीकरण का नहीं है। सवाल इसके लाभों को दूर–दूर तक के गांवों और असहाय किसानों तक पहुंचाने का है।

बहरहाल साझा न्यूनतम कार्यक्रम की प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में सहकारी समितियों में संवैधानिक संशोधन करने वाला प्रस्ताव अभी कृषि एवं सहकारिता विभाग के विचाराधीन है। सहकारी समितियों संबंधी एक उच्च अधिकारिता समिति का भी गठन किया गया है। यह इसकी सांस्थानिक मौजूदगी के सौ सालों के दौरान सहकारी आंदोलन की उपलब्धियों, इसके समक्ष की चुनौतियों और उनको पूरा करने के लिए उपायों की समीक्षा करेगी। समिति आंदोलन को दिशा देने के लिए यथोचित नीति और कानूनी उपायों के लिए भी सुझाव देगी।

भारत का सहकारी क्षेत्र संसार के सबसे बड़े सहकारी क्षेत्रों में आता है। आंकड़ों की बात करें तो ताजी जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2003 की स्थिति के हिसाब से हमारे यहां तकरीबन साढ़े पांच लाख सहकारी समितियां हैं। इनकी सदस्यता 22.95 करोड़ से ज्यादा है और कार्यशील पूंजी करीब 382749600 हजार रुपये है। सहकारिता के अंतर्गत लगभग सौ फीसदी गांव कवर किए गए हैं और करीब तीन –चौथाई ग्रामीण परिवार सहकारी संस्थाओं के सदस्य हैं।

पर करीब सौ फीसदी गांवों को कवर किए जाने के बावजूद कुछ बातें गौर करने लायक हैं। सहकारी समितियों की उपलब्धि यह है कि इसने खेती के आधुनिक तरीकों के इस्तेमाल में मदद दी है पर कमजोरी यह है कि साहूकारों को अभी तक समाप्त नहीं किया जा सका है। इनकी उपलब्धि यह है कि एक समय ऐसा भी था जब 1990–91 में इन समितियों ने कुल कृषि ऋणों का 43.4 फीसदी मुहैया कराया। कमजोरी यह है कि वित्त की कमी का सामना इन्हें बुरी तरीके से करना पड़ रहा है। उपलब्धि यह है कि इससे किसानों को भण्डार सुविधाएं मिलीं लेकिन कमजोरी यह है कि यह आंदोलन उधार विपणन और विधायन के पारस्परिक संबधों को समझने में नाकाम रहा। उपलब्धि यह है कि इसने शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए जमीन और मकान की व्यवस्था की लेकिन कमजोरी यह है कि इन्हें गैर–सरकारी अभिकरणों और निहित स्वार्थों से गलाकाट प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ी। उपलब्धि यह है कि अक्सर यह कमजोर वर्गों को सेवाएं उपलब्ध कराने का ज़रिया बनीं लेकिन कमज़ोरी यह है कि इनका प्रबंध और नेतृत्व प्रायः अकुशल और दोषपूर्ण ही रहा। उपलब्धि यह....कमजोरी वह....।

खैर। यह निष्कर्ष निकालना एक पहेली बूझने जैसा है कि इनकी उपलब्धियों और कमजोरियों में से किसका पलड़ा भारी है। जो भी हो, लेकिन अनुत्तरित मौन के दायरे के भीतर का उबलता सवाल यह है कि उपलब्धियों और कमज़ोरियों में इतना जबर्दस्त द्वन्द्व क्यों ? इतने सारे सवाल क्यों? बहरहाल इतना तय है कि सहकारी आंदोलन की मजबूती का रास्ता इन सवालों के जवाबों से होकर ही जाता है। यह भी कि सहकारी क्रय और विक्रय समितियों से लेकर चकबंदी समितियों तक और सहकारी विपणन समितिों से लेकर उन्नत कृषि समितियों तक–प्रत्येक पर पुनर्विचार कने की ज़रूरत है। हां, कृषि साख सहकारिता, प्रत्येक पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। हां, कृषि साख सहकारिता, साख–भिन्न सहकारिता और कृषि–भिन्न सहकारिता जैसे मोटे–मोटे विभाजनों या रूपों पर भी ध्यान देना होगा।

जिस एक और बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वह है सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण। अल्पविकसित राज्यों में तो खासतौर से। भारत सरकार प्रयास भी कर रही है लेकिन इन प्रयासों में तेजी लाने की गुंजाइश अभी बनी हुई है। सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ को सहकारिता की दृष्टि से अल्पविकसित राज्यों में सहकारी शिक्षण में गति लाने से संबंधित विशेष स्कीम हेतु शत–प्रतिशत और अनुमोदित गतिविधियों हेतु बीस फीसदी सहायता अनुदान दिया जा रहा है। ये गतिविधियां हैं – राज्य के सहकारी संघों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले सहकारी शिक्षण कार्यक्रमों की मानीटरिंग, सहकारिता के विकास के लिए प्रकाशन निकालना या सम्मेलनों का आयोजन वगैरह।

सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति क्या है ? जाहिर है कि आधी दुनिया को छोड़कर कोई क्षेत्र विकास नहीं कर सकता। महिलाओं के संबंध में विकासात्मक गतिविधियों की दरकार है। अनौपचारिक दृष्टिकोण के जरिए महिलाओं का निचले

सहकारिता के आधार पर चल रही चीनी मिलों, कोल्ड स्टोरों, इफको और कृभको के विशाल उर्वरक कारखानों ने किसानों कों आश्वस्त जरूर किया है लेकिन वास्तविक सुधारों की गुंजाइश अभी बनी हुई है। हां, यह तसल्ली की बात जरूर है कि गुजरात के अमूल दुग्ध उत्पादन ने सहकारी क्षेत्र में अपनी धाक जमा रखी है। यह भी कि आपरेशन फ्लड सहकारिता से ही संभव हो पाया है।

स्तर से सहकारी क्षेत्रों में लाने की ज़रूरत है। इसके साथ–साथ सामूहिक गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना भी अनिवार्य है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सहकारिता की दृष्टि से अल्पविकसित राज्यों में सहकारी शिक्षण में तेजी लाने से संबंधित विशेष स्कीम भी चला रहा है। चार विशेष महिला विकास परियोजनाएं शिमोगा (कर्नाटक), बहरामपुर (उड़ीसा), मणिपुर (इम्फाल) और भोपाल (मध्य प्रदेश) में चलाई जा रही हैं। इनका लक्ष्य चुनिंदा प्रखंडों में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय परियोजना में एक–एक महिला विकास घटक भी शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को स्व–सहायक दलों के रूप में संगठित किया जाता है और उनको सहायता दी जाती है जिससे उनमें बचत पैदा करने की प्रवृत्ति पैदा हो सके। महिलाओं को ऐसा सफल और प्रगामी प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है ताकि वे अपने संसाधनों से या सहकारी समितियों से उधार लेकर आमदनीपरक काम कर सकें। परियोजना के कर्मचारी उनके उत्पादों को स्थायी बाजारों में या मेलों और प्रदर्शनियों में आयोजन करके और उत्पाद को बेचकर उनकी मदद कर सकते हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता प्राप्त करने के लिए विशेषतौर पर महिला सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया गया है। ज्यादातर तादाद में महिला सदस्य मात्स्यिकी, फलों और सब्जियों वगैरह से संबंधित सहकारिता से जुड़ी हुई हैं। एन सी डी सी द्वारा वर्ष 2004–05 के दौरान जिन महिला समितियों को वित्तीय सहायता दी गई, उनमें प्रमुख इस प्रकार हैं:–

1. जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र की एक फल एवं सब्जी सहकारी समिति को 32580 हजार रुपये की वित्तीय सहायता
2. जिला कोलार, कर्नाटक में मूंगफली प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करने के लिए महिला बहु–उद्देश्यीय सहकारी समिति को 1105 हजार रुपये की वित्तीय सहायता
3. आई सी डी पी कार्यक्रमों के तहत तमिलनाडु के जिले धेनी में और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी, बिजनौर और बाराबंकी में प्रत्येक में चार महिला सहकारी समितियों (5890 हजार रुपये) और 34888,20 हजार रुपये सजावटी मत्स्य पालन परियोजना के लिए निर्मुक्त किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त एन सी डी सी ने सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण करने पर भी बल दिया। इसके लिए 218 सहकारी समितियों को ताजी जानकारी के मुताबिक सामूहिक रूप से 190721 हजार रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी और मार्च 2005 के अंत तक 158592.50 हजार रुपये निर्मुक्त कर दिये गये थे।

पर इन सारी कोशिशों के बावजूद राष्ट्रीय सहकारिता नीति को और अधिक कुशल,संगठित, लक्ष्योन्मुखी या प्रभावी बनाने की ज़रूरत क्यों है ? शुरुआत में दिये गये खेल वाले उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। क्रिकेट में विश्व कप का फाइनल खेलना अगर हमें ऊर्जा से भर देता है तो फुटबाल के विश्व कप में हमारी टीम का न होना हमें मायूस भी करता है। क्या एक प्रकार की मायूसी की भरपाई हम दूसरे तरीके की किसी खुशी से कर सकते हैं? जवाब जरा मुश्किल है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था की दूसरी उपलब्धियां हममें गौरव का संचार कर सकती है। लेकिन इनसे उन क्षेत्रों की पीड़ा कम नहीं हो सकती जो विकास की बेतहाशा दौड़ में पीछे छूट गए।

यह बात उन किसानों की वेदना से भी जुड़ी हुई है जिन्हें फसल से अपनी लागत तक वसूल पाने का भरोसा नहीं। जो तपती दुपहरी में कांधों पर हल लेकर निकल पड़ते हैं। जो कड़कती सर्दियों में कुदाल और फावड़ा लेकर खेत सींचने निकलते हैं। जो तब दिन भर पानी से तर–बतर होकर खेतों की नालियां बनाते रहते हैं जब ठिठुरन के कारण कोई पानी को छूना भी नहीं चाहता। जिनके लिए कृषि आजीविका का सिर्फ एक साधन भर नहीं है। वह साधन से आगे बढ़ कर भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ....।

सहकारिता के उज्ज्वल भविष्य के लिए सहकारिता सुधार ज़रूरी क्यों हैं ? सिर्फ इसीलिए नहीं कि सहकारी संस्थाओं की इमारत भूमंडलीकरण और उदारीकरण की तेज आंधी से हिलकर डगमगा रही है। बल्कि इसलिए भी कि इन संस्थाओं को आमतौर पर संसाधनों की कमी, प्रबंधन में कुशलता का अभाव और आर्थिक अव्यावहार्यता का भी सामना करना पड़ा है। हमारी सरकार भी यही मानती है।

लंबी–लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरी और हिडिम्बा या चित्रांगदा की भूमि पूर्वोत्तर भी सहकारी आंदोलन की सफलता की बाट जोह रही है। सहकारिता शिक्षण को लेकर सरकार ने शत–प्रतिशत सहायता देकर पूर्वोत्तर में विशेष योजना चला रखी है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल पचास क्षेत्रीय परियोजनाओं में पूर्वोत्तर अंचल की आठ परियोजनाएं भी शामिल हैं। एन.सी.यू.आई. के बीस प्रशिक्षण संस्थानों में से दो सहकारी प्रबंध संस्थान इम्फाल (मणिपुर) और गुवाहाटी (असम) में ही स्थित हैं। फिर भी चाय बागानों, अनन्नास और तांबूलों की यह ज़मीन पर्याप्त विकास नहीं कर पाई है। खेती–किसानी या सहकारिता का यह पिछड़ापन क्यों ?

ताजा नेशनल सैंपल सर्वे अगर भयंकर बेरोजगारी की उलझनों को रेखांकित करता है तो दूसरे आंकड़े गांवों की घटती संख्या पर सोचने को मजबूर करते हैं। राष्ट्रपिता के भारत में जहां गांवों की तादाद सात लाख के करीब थी, वहीं आज के उदारीकृत और आधुनिकीकृत इंडिया में इनकी संख्या सिर्फ छह लाख उनतालीस हजार ही रह गई है। क्या सहकारिता का ताल्लुक घटते गांवों या बढ़ती बेरोजगारी से नहीं? यह जानना भी 'रोचक' है कि सिर्फ पांच लाख चौरानबे हजार गांवों में ही आबादी रहती है। जाहिर है कि सरकार द्वारा सजग, संगठित और शक्तिशाली प्रयासों की ज़रूरत है।

यह बात समझनी पड़ेगी कि हमारी दो–तिहाई से भी ज़्यादा आबादी गांवों में ही रहती है। सिर्फ सरकार को ही नहीं, प्रत्येक नागरिक को समझनी पड़ेगी। हर शहरी को समझनी पड़ेगी! गांवों में ऐसी आबादी की बहुतायत है जिनके लिए 'काला अक्षर भैंस बराबर' है। जिन तक विकास की रोशनी अभी उतनी नहीं पहुंच पाई है जितनी सोची गई थी। जो पिछड़े गए हैं।

पर जरा सोचिए! क्या ये गांव सिर्फ पिछड़ेपन के ही प्रतीक हैं? सिर्फ अशिक्षा के ही प्रतीक हैं? नहीं। बिल्कुल नहीं। ये वही गांव हैं जिन्हें लेकर गांधीजी चिंतित रहा करते थे, जिन्हें भारत की समृद्ध लोकसंस्कृतियों का गढ़ कहा जाता है.... जहां भारत की आत्मा रची–बसी है... जहां एक शहरी कहा जाने वाला आदमी भी अपनी जड़ें महसूस करने के लिए छटपटाता है.. और जिनके बूते पर संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र चल रहा है। बात गहरी है। और फिर ये रूरल–अरबन डिवाइड.... डिजिटल डिवाइड...?

सहकारिता पर ध्यान देना तो जरूरी है ही। कृषि का खयाल रखना भी अनिवार्य है। हमारे गरीब किसान भाइयों के लिए कृषि, गेहूं, धान या दूसरी फसलें सिर्फ जीवनयापन का एक साधन भर नहीं। जीवन–मरण का प्रश्न है! क्या सहकारिता और कृषि या ग्रामीण विकास एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं? सहकारिता पर सोचना – समझना तब और जरूरी हो गया जब किसानों ने गरीबी या कर्जों से तंग आकर आत्महत्याएं करना शुरू कर दिया था।

आदिवासी सहकारिता (ट्राइफेड) और खाद्य सहकारिता (फिश कापफैड) के प्रयास बेशक सराहनी हैं लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड के आदिवासी अभी भी समतामूलक विकास की परिधि में नहीं आ सके हैं। वर्ष 1900 में मद्रास में एडवर्ड मैक्लेगन और डुपरनैक्स की कोशिशों से लेकर 1904 में सहकारिता साख अधिनियम बनने से लेकर आज तक की मात्रा उतनी धीमी नहीं रहीं जितनी अधिनियम बनने से लेकर आज तक की तय की गई पूरी की पूरी एक शताब्दी की महायात्रा। पर कमजोरियां समझी गईं। एन.सी.डी.सी. संशोधन अधिनियम 2002 पारिता हुआ ताकि कवि नागार्जुन के 'बुद्धू' और 'खुदेरन' भी कुछ फायदा हासिल कर सकें। एन.सी.डी.सी. का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया। अब इसमें पशुधन, ग्रामीण उद्योग और हस्तशिल्प वगैरह भी आ जाते हैं। पर इतनी कोशिशें ही काफी नहीं है। कोशिशें और करनी होंगी और उनमें तेजी भी लानी होगी ताकि सहकारी आंदोलन जीवंत हो उठे। ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एक बड़े वर्ग का उत्थान हो सके। ताकि बड़े सार्वजनिक भागीदारी और समृद्ध हो उठें गांव। ताकि जीवंत हो उठे सहकारी आंदोलन!

भारत में आधुनिक रूप में सहकारिता का उद्भव आजादी के बाद शुरू की गई सामुदायिक विकास योजनाओं में देखने को मिलता है। ये योजनाएं सहकारिता के सिद्धान्तों पर आधारित थीं। छोटी–छोटी कोशिशें मिलकर जब एक बड़ी शक्ति के रूप में काम करती हैं तो उनका आधार परेशानियों को झेलने में कहीं ज़्यादा सक्षम हो सकता है। हम बांग्लादेश के नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद युनस से प्रेरणा ले सकते हैं। उनकी कोशिश साबित करती है कि अगर गरीब और अभावग्रस्त लोगों के साथ आर्थिक सहयोग किया जाए तो वे भी अपनी गरीबी और अपने अभावों से छुटकारा पा सकते हैं।

सहकारिता आंदोलन और उसकी प्रगति

प्रतोष शुक्ला

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की दो–तिहाई से भी ज्यादा आबादी गांवों में रहती है। यह कृषि, छोटे–मोटे उद्योगों, हथकरघा या सहकारिता जैसी चीजों पर निर्भर है। कृषि और सहकारिता पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये क्षेत्र पूरे तरीके से विकास नहीं कर पाए हैं। सहकारिता का लाभ भी किसानों तक पहुंचाना जरूरी है ताकि वे भी विकास में सहभागी बन सकें। भारत की लगभग 64 प्रतिशत कार्यकारी जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में इसका योगदान 2003–04 के मुताबिक केवल 22.1 प्रतिशत ही बैठता है। इससे कई निष्कर्ष निकलते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे शब्दों में कहा जाय तो देश की करीब 36 प्रतिशत आबादी (कार्यकारी जनसंख्या) गैर–व्यवसायों या कामों में लगी हुई है। इसका देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 78 प्रतिशत है। इस प्रकार गैर–कृषि क्षेत्रों में प्रति श्रमिक उत्पादन की तुलना में कृषि क्षेत्र में प्रति श्रमिक उत्पादन का औसत लगभग आधे से भी कम है। यह गौर करने वाली बात है क्योंकि इससे ग्रामीणों और उनकी जीविका के आधार कृषि का पिछड़ापन स्पष्ट हो जाता है।

जनसंख्या के लगातार बढ़ने से भी कृषि, ग्रामीणों या सहकारिता से जुड़ी समस्यायें थोड़ी गहरी हो गयीं हैं। जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप देश में कृषि जोतों का औसत आकार छोटा होता जा रहा है। जितनी जमीन पहले एक आदमी के हिस्से में आती थी, उतनी जमीन में एक पूरा परिवार ही गुजर–बसर करने को मजबूर है। इससे संबंधित कुछ आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। वर्ष 1985–86 में कुल कार्यशील जोतों की संख्या 972 लाख थी। यह वर्ष 1990–91 में बढ़कर 1066 लाख हो गयी। जोत का औसत आकार 1970–71 में 2.3 हेक्टेयर से घटकर 1980–81 में 1.84 हेक्टेयर और वर्ष 1990–91 में 1.55 हेक्टेयर हो गया है। वर्ष 1985–86 में देश में जब जोतों का औसत आकार 1.69 हेक्टेयर था। तब राजस्थान में यह सबसे ज़्यादा 4.34 हेक्टेयर था। इसके बाद पंजाब में यह 3.77 हेक्टेयर था। इसके विपरीत लगभग पूर्ण साक्षर राज्य केरल में जोतों का औसत आकर न्यूनतम 0.36 हेक्टेयर थे। इन सारी विषमताओं पर ध्यान देकर ही किसानों का कल्याण किया जाना संभव है।

कृषि आय बीमा योजना और दीर्घकालीन अनाज नीति के अलावा ट्राइफेड भी एक प्रशंसनीय कदम है। जनजातियां और आदिवासी उपेक्षित रह गये थे। इसी बात को रेखांकित करते हुए सरकार ने ट्राइफेड कार्यक्रम शुरू किया था। जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से मुक्त कराने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का बेहतर मूल्य दिलाने के लक्ष्य से अगस्त 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। 'ट्राइफेड' भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का संक्षिप्त रूप है। ट्राइफेड को पेड़ों और वनों के उत्पादों के एकत्रीकरण, भण्डारण, प्रसंस्करण और विकास की मुख्य एजेंसी भी घोषित किया गया है। ट्राइफेड ने 1988 से कार्य करना शुरू किया। गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए यह भारतीय खाद्य निगम के एजेंट और मोटे अनाजों, तिलहनों और दालों की सरकारी खरीद में कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में काम करता है। इसके अलावा मूल्यों के उतार–चढ़ाव से होने वाले अचानक

सहकारिता के आधार पर चल रही चीनी मिल, कोल्ड स्टोर, इफ्को और कृमकों किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं। लेकिन देश में सहकारी आंदोलन की असफलता के पीछे इसके सदस्यों की निष्क्रियता एवं प्रबंधन में सक्रिय सहभागिता का अभाव रहा है। सहकारी साख समितियों की उधारी बाकि, आन्तरिक संशाधनों को इकट्ठा करने की इच्छा शक्ति की कमी, सहकारी सहायता पर अधिक निर्भरता, व्यवसायिक प्रबंध तंत्र का अभाव या प्रबंधन में अनावश्यक दखलंदाजी भी इसकी असफलता के लिए कम दोषी नहीं हैं। जाहिर है कि इस आंदोलन को जन–जन तक पहुंचाने के लिए समुचित वैधानिक और नीतिगत उपाय करने होंगे।

नुकसान की भरपाई के लिए कृषि मंत्रालय ट्राइफेड को अनुदान भी देता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ) के मुताबिक सहकारिता समिति समान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो समान अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के आधार पर स्वेच्छा से मिलकर उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। वे इस संस्था को एक से अधिक ऐसे कामों का जो उनकी सामूहिक जरूरतों से संबंधित होते हैं, हस्तांतरण करके उसका संचालन अपने जोखिम पर करते हैं ताकि सम्मिलित सहयोग द्वारा उसका उपयोग किया जा सके और उनका भौतिक एवं नैतिक लाभ सम्मिलित रूप में प्राप्त किया जा सके। भारत में सहकारिता का उद्भव खेती और उसके सहायक क्षेत्रों से हुआ। सहकारिता आंदोलन की शुरुआत लोगों को थोक का फायदा दिलाने के लिए उनके मामूली संसाधनों को इकट्ठा करने के तरीके के तौर पर हुई। वर्ष 1900 ई0 में मद्रास में एडवर्ड मैक्लेगन और डुपरनैक्स ने प्रयास कर सहकारिता के आधार पर ऋण समिति बनाई। इन्हीं दिनों भारत में जबरदस्त अकाल पड़ा। इसके आकलन के लिए अकाल आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 1901 ई0 में अकाल आयोग की रिपोर्ट एवं एडवर्ड मैलेगन की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में सहकारी साख समितियों के गठन के लिए सहमति दी गई। वर्ष 1903 में सेंट्रल असेंबली में इससे संबंधित एक बिल लाया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1904 में सहकारी साख अधिनियम बना। इस अधिनियम से ही भारतीय सहकारिता आंदोलन की विधिवत शुरुआत हुई।

इस अधिनियम का उद्देश्य किसानों, कारीगरों तथा सीमित साधनों वाले व्यक्तियों में बचत स्व–सहायता तथा सहकारिता की भावना को जागृत करना था जिससे वे गरीबी से समृद्धि की ओर आगे बढ़ सकें। सहकारी आंदोलन का विकास वर्ष 1912 से 1918 ई0 के बीच तेज रफ्तार से हुआ। 1904 में पारित कानून के दोषों को दूर करने के लिए सहकारी समिति अधिनियम 1912 पारित हुआ। सहकारी आंदोलन के मूल्यांकन, विकास आदि के संबंध में दिशा–निर्देश हेतु वर्ष 1914 में एडवर्ड मैक्लेगन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने एक साल बाद 1915 में अपना प्रविदन दिया। इसमें यह उल्लेख किया गया कि किसी समिति की स्थापना करते वक्त पूरी सावधनी बरती जानी चहिए। वर्ष 1919 के मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन में सहकारिता को राज्यों के विषय के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा राज्यों को अपनी सुविधानुसार कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। यहीं से सहकारिता आंदोलन नियोजन विकास के दौर में पहुंचा।

तालिका : उत्तरपूर्वी राज्यों के कार्यक्रम

क्र. स.	अनुमोदित योजना / कार्यक्रम / कार्यकलाप	स्कीमों / कार्यक्रमों / किये गये कार्यकलापों के ब्यौरे	लक्ष्य 2005–06	दिस., 2005 तक उपलब्धि	वर्ष 2005–06 के लिए बजट आबंटन हजार रु. में	31 दिसम्बर. 2005 तक खर्च की गई धन राशि हजार रु. में
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहकारी शिक्षण	1) सहकारी शिक्षण कार्यक्रम 2) फार्म मार्गदर्श कार्यक्रम 3) सहकारी प्रशिक्षण 4) महिला शिक्षा तथा विकास	53960	48180	7500	5551
		कुल	**53960**	**48180**	**7500**	**5551**
2.	सहकारी प्रशिक्षण	सहकारी विभागों / संगठनों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण	4820 व्यक्तियों को प्रशिक्षण	दिसम्बर, 05 तक एनई में आईसीएम 4414 व्यक्तियों को सहकारी प्रशिक्षण दिया गया	12500	9100

सहकारी समितियों की बात करें तो भारतीय सहकारिता आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सहकारी समितियों का देश भर में जाल फैला हुआ है। हर्ष की बात है कि भारत का सहकारी क्षेत्र संसार के सबसे बड़े सहकारी क्षेत्रों में आता है। 31 मार्च 2003 तक 5.49 लाख सहकारी समितियां इस क्षेत्र में थीं जिनकी सदस्यता 22.95 करोड़ है। सहकारिता के अंतर्गत शत–प्रतिशत गांव कवर किए गए हैं। इसमें लगभग पचहत्तर प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारी समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के सदस्य हैं। विशाल सहकारी आंदोलन को सरकारी समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन किया गया है। निगम का मुख्य उद्देश्य कृषि सहकारी समितियों को सुदृढ़ और विकसित करना है और उनकी आय को बढ़ाने के लिए फसलोपरांत सुविधाएं मुहैया कराना है। निगम ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आदानों, प्रसंस्करण, भंडारण एवं कृषि उत्पादों के विपणन तथा उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी कार्यक्रम पर ध्यान दे रहा है। गैर–कृषि क्षेत्र में कमज़ोर तबकों को प्रोत्साहन देने के लिए भी निगम कोशिशें कर रहा है। इसके लिए वह हथकरघा, कुक्कुट पालन, मछली पालन, अनुसूचित जाति/जनजाति की सहकारी समितियों से संबंधित कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दे रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2002 के पारित हो जाने के बाद राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का कार्यक्षेत्र और बढ़ गया है। इसमें ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प, पशुधन, कुक्कुट और कुछ अधिसूचित सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सहकारी समितियों को और अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई है ताकि समाज में इसका लाभ अधिकाधिक हो सके। इसी दिशा में एक और पहल के रूप में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की है। इसका लक्ष्य देश में सहकारिताओं के चहुंमुखी विकास को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य देश में सहकारिताओं को जरूरी समर्थन, प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी ताकि वे स्वायत्तशासी, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में काम कर सकें। जिससे वे अपने सदस्यों के प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेह हो सकें। वे राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान दे सकें।

हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और विकास की अपार संभावनाओं को अपने अंचल में समेटे हुए है खुशी की बात है कि भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र पर बराबर ध्यान दे रही है। सरकार भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के माध्यम से शत–प्रतिशत सहायता देकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एक विशेष योजना क्रियान्वित कर रही है। कृषि एवं सहकारिता विभाग की ताजी रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर की प्रगति तालिका में दर्शायी गई है। इसके अलावा कृषि एवं सहकारिता विभाग ग्रामीण सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए बहुद्देश्यीय इकाइयों के रूप में प्राथमिक सहकारी समितियों के विकास के लिए क्रमबद्ध रूप से प्रयास कर रहा है। इसी लिहाज से राष्ट्र सहकारी विकास निगम चुन्निदा जिलों के पिछड़े हुए ग्रामीण अंचलों में संमेकित सहकारी विकास परियोजनाओं की आई.सी.डी.पी. स्कीम चला रहा है। वर्ष 2004–05 के दौरान निगम द्वारा नौ आई.सी.डी. परियोजनायें 597824 हजार रूपये के परियोजना लागत पर स्वीकृत की गई थी। इसमें से 478227 हजार रुपये की ऋण राशि और 67466.50 हजार रुपये की राज सहायाता थी। आई.सी.डी.पी. के.पी.आई.टी. कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 292.80 हजार रुपये की सहायता तथा हरियाणा तथा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 6 जिलों की परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और विभिन्न आईसीडीपी के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुल 963900 हजार रूपये की राशि निर्मुक्त की गई। वर्ष 2005–06 (31 जनवरी 2006 तक) के दौरान 2164908.40 हजार रुपये की परियोजना लागत पर उन्नीस परियोजनायें (हिमाचल प्रदेश में दो,उड़ीसा में दो, कर्नाटक में एक उत्तर प्रदेश पांच और आंध्र प्रदेश में नौ) स्वीकृत की गई हैं जिसमें एनसीडीसी का हिस्सा 2032774.20 हजार रुपये है।

इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के संघों को मजबूत बनाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ नेतृत्व संबंधी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से अधिकांश संघों का स्वरूप प्रोत्साहनात्मक है। कुछेक ऐसे भी हैं जो वाणिज्यिक क्रिया कलापों में लगे हुए हैं। भारत सरकार इन संघों को नीतिगत तथा वित्तीय दिशा–निर्देश ओर सहायता दे रही है। लेकिन सहकारी समितियों पर बाकायदा ध्यान देने की जरूरत कमोबेश बनी हुई है जिससे कृषि के साथ–साथ ग्रामीण इलाकों में भी विकास की लहर पहुंच सके। ऐसा करके ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विशेषकर देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एक बड़े वर्ग, जिनके लिए सार्वजनिक भागीदारी और सामुदायिक प्रयासों की जरूरत होती है, के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। यह भी ध्यान रखने लायक बात है कि सहकारी समितियों में समयबद्धता, पारदर्शिता, व्यावहारिकता और सहभागिता का समावेश भी आवश्यक है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

रेल बजट: 2007–08

सुहाना हुआ रेल का सफर

राजेन्द्र सिंह बिष्ट

हो इजाजत तो करूं बयां दिल अपना, संजो रखा है मैंने रेल का एक सपना। बात मैं कायदे की करता हूं देश के फायदे की करता हूं। जिस तरह पेड़ छाया देता है, हर मुसाफिर का ध्यान रखता हूं। इन चंद शेर के साथ दरियादिल रेल मंत्री ने शायराना अंदाज में सदन में चौथा रेल बजट यानी 2007–08 का रेल बजट पेश किया। रेलवे के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने इस सुहाने दौर में सबको शरीक किया। चाहे वह गरीब–गुरबा हों, अमीर उमरा हों, बड़ी–बड़ी कंपनियां हों या दूध के डिब्बे वाले, बुजुर्ग हों या जवान इस बजट में सभी के साथ दरियादिली का जीता जागता सबूत पेश किया। रेल बजट को देखकर ऐसा लगा कि अब रेल मंत्री दुधारू गाय को अच्छी तरह दूहने के बाद दूध जरूरतमंदों में बांटने के मूड में थे। उन्होंने माल व यात्री कारोबार बढ़ाने के नए–नए उपाय तो घोषित किए ही, साथ ही किराये भाड़े में चौतरफा राहत भी दी। उन्होंने न केवल द्वितीय साधारण श्रेणी से स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड ऐसी और यहां तक कि एसी फर्स्ट क्लास के किरायों में कुछ न कुछ कमी की घोषणा कर डाली। इतना ही नहीं, इंटरनेट टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस पर वसूले जाने वाले चार्ज की चुभन को भी कम करने में गुरेज नहीं किया। उधर माल यातायात के मोर्चे पर भाड़ा श्रेणियों को घटाकर तथा उच्चतम श्रेणी को नीचे लाकर लालू ने उद्योग जगत की तालियां बटोरीं। मुद्रास्फीति की आग पर पानी डालने के लिए उन्होंने पेट्रोल–डीजल, लौह अयस्क, लाइमस्टोन पर तो भाड़ा घटाया ही, सीमेंट, गेहूं, खाद जैसी बुनियादी ढांचा व रोजमर्रा के उपयोग से जुड़ी वस्तुओं की ढुलाई पर तरह–तरह की रियायती स्कीमों का अंबार लगा दिया। लगेज दरों में कटौती कर लालू ने रियायतों की एक नई अदा दिखाई। हर बार की तरह ट्रेनों का तोहफा बांटने में लालू ने किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं दिखाई। उन्होंने कुल मिलाकर 40 नई ट्रेनों का ऐलान किया जिनमें से आठ सस्ती गरीब रथ भी शामिल की। सेकंड क्लास की टिकटों पर सुपरफास्ट चार्ज 20 प्रतिशत घटाकर 10 से 8 रुपये कर दिया। सेकंड क्लास में सफर करने वाले आम आदमी को अब लकड़ी की सीटों के बदले कुशन सीटों पर बिठाने की बात भी की। हर नई ट्रेन में अब चार के बदले छह अनारक्षित डिब्बे भी लगेंगे। कोशिश होगी कि मौजूदा ट्रेनों में भी संख्या बढ़ाई जाए। 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं और बुजुर्गों को रिजर्वेशन में लोअर बर्थ मिलेंगी। विकलांगों के लिए भी स्पेशल कोच होंगे। संघ लोकसेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को टिकट में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। आरक्षण सुविधा बेहतर करने के लिए टीटीई को छोटे कंप्यूटर यानी पॉम टॉम दिए जाएंगे। इससे खाली पड़ी रिजर्व सीटों को बीच रास्ते में दूसरे यात्रियों को दिया जा सकेगा। इसके अलावा देशव्यापी ट्रेन पूछताछ कॉल सेंटरों की स्थापना होगी। डी और ई क्लास स्टेशनों से भी रिजर्वेशन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। रोजाना पांच लाख से ज्यादा रिजर्वेशन टिकटें रेलवे के 1300 रिजर्वेशन आफिसों में बने तीन हजार से ज्यादा काउंटरों से जारी की जाती हैं। इन दफ्तरों के बाहर लगी लंबी लाइन को कम करने के मकसद से अगले दो साल में डी क्लास के सभी स्टेशनों व ई क्लास के कुछ स्टेशनों से भी रिजर्वेशन कराया जा सकेगा। पोस्ट आफिसों, डिफेंस दफ्तरों के अलावा पेट्रोल पंपों में रिजर्वेशन काउंटर खोले जाएंगे। साथ ही एटीएम काउंटर से भी ई टिकट ले सकेंगे। अगले दो साल के अंदर देश के बड़े शहरों में छः हजार ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनें लगाये जाने का भी प्रावधान है। अनारक्षित टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाकर आठ हजार की जाएगी। इसके अलावा सेंट्रल रेलवे बहुउद्देश्यीय स्मार्ट कार्ड जारी करेगा। इस पॉयलट प्रोजेक्ट के जरिये उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए टिकट जारी होंगे। इस प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर ऐसे स्मार्ट कार्ड अन्य ट्रेन सेवाओं के लिए भी जारी किये जाएंगे। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनने की योजना के तहत गाड़ियों के आवागमन संबंधी सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिये लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड वाली ट्रेनों की सम्भावना पर स्टडी की बात भी कही और यह भी कहा गया कि यह जब अमल में आएगा तब दिल्ली से लखनऊ की दूरी महज तीन घंटे में पूरी की जा सकेगी। तकरीबन 31 हजार करोड़ रुपये की अगली वार्षिक योजना को अब तक की सबसे बड़ी योजना बतायी लालू यादव ने। उन्होंने 7611 करोड़ रुपये राजकोष से, 17,323 करोड़ रुपये आंतरिक संसाधनों से तथा 5740 करोड़ रुपये गैर बजटीय संसाधनों से जुटाने की बात भी कही। 30 हजार करोड़ की लागत वाली ईस्ट–वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर का निर्माण अगले वित्त वर्ष में शुरू किए जाने तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसके पूरा हो जाने की बात कही। पूर्व–दक्षिण, उत्तर–दक्षिण एवं पश्चिम–दक्षिण फ्रेट कारिडोरों के लिए फीजिबिलिटी सर्वेक्षण कराने

के साथ ही रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन की तर्ज पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गाड़ियों के परिचालन के लिए हाईस्पीड पैसेंजर कारिडोर के निर्माण की घोषणा भी की। रेल मंत्री को भरोसा है कि यात्री किराए और मालभाड़े की दरों में कमी के बावजूद इन्हीं स्रोतों से 2007–08 में आमदनी 12.25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

रेल मंत्री ने 2007–08 को रेलवे स्वच्छता वर्ष घोषित किया है। इस दौरान स्टेशन परिसर, यात्री गाड़ियों, रेलवे लाइनों और प्रतीक्षालयों पर एक अभियान के रूप में साफ सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। जनता के ऐश में इजाफा करते हुए एसी में चलने वालों की मौज भी कर दी। हिफाजत के लिए आठ हजार फौज देने की बात की। यानी सुरक्षा पर 500 करोड़ रूपया खर्च का वायदा भी कर ड़ाला। योजना में ट्रैफिक की उच्चतर वृद्धि दर के लिए उच्च ट्रैफिक घनत्व वाले मार्गों पर थ्रुपुट संवर्धन, ट्रैफिक फैसिलिटी, नेटवर्क के विकास पर जोर दिया। मुम्बई उपनगरीय रेल सेवा का भी विस्तार किया जाएगा। मधेपुरा में बनेगा रेल इंजन कारखाना तो होगा 300 स्टेशनों का आधुनिकीरण और सौंदर्यीकरण। दूधियों और सब्जी बेचने वालों के लिए वेंडर्स कोच होंगे वहीं नए कोच में 72 की जगह होगी 84 सीटें। देश की राजधानी दिल्ली को भी आधा दर्जन नई ट्रेनों का झुनझुना दिया। अब देशभर में यात्री रेलवे संबंधी जानकारी टेलीफोन नंबर 139 से हासिल कर सकेंगे। देश के किसी भी स्थान से इस नंबर पर डायल करके ट्रेनों के आने जाने का समय, सीटों की उपलब्धता आदि की जानकारी स्थानीय कॉल की दर पर हासिल की जा सकेगी।

चलत मुसाफिर मोह लियो रे...की तर्ज पर रेल मंत्री ने मुसाफिरों को सचमुच मस्त कर दिया। यह भी सही है कि पिछले कुछ समय से रेलवे की सूरत बदली है और इस साल तो 20 हजार करोड़ रुपये का रिकार्ड मुनाफा भी इस बात का जीता–जागता सबूत लगता है कि मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर को जमकर दुहने और उसमें कमाई के लिए नए मौके तलाशने का तरीका पूरी तरह सीख लिया है।

अपने बजट प्रावधानों से पहले पिछले रेल बजट की घोषणाओं पर हुए अमल और उपलब्धियों का विवरण पेश करते हुए शायद पहली बार आउटकम बजट पेश करते हुए उन्होंने उपलब्धियां गिनाईं और इनका श्रेय रेलवे के 14 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया। रेलवे की कायापलट के लिए जितना भी श्रेय हो सकता था हर हाल में लालू यादव को मिलता ही है, उन्होने हमेशा ही पॉपुलिस्ट बजट ही पेश किया। उन्होंने किराये घटाए, मालभाड़े को थामे रखा और नई लाइनों और ट्रेनों की भी हमेशा नई लिस्ट पेश की। लेकिन इसके बरअक्स कि सिर्फ एक मॉडर्न और प्रोग्रसिव रेलवे की लाइन बिछाने की भी है, लिहाजा इस नजरिये से इसके कुछ खास पहलू भी होने चाहिए जैसे रेलवे दुधारू गाय होने के बावजूद अभी भी साफ सफाई, सुविधा, असुरक्षा में क्यों पिछड़ी है। जरूरत है इंडियन रेलवे को न सिर्फ किफायती बनाने की बल्कि चुस्त, तेज और व्यापक भी। लालू जी की रेल भले ही मुनाफे में अव्वल होने का ड़ंका बजा रही है मगर सुविधा, सुरक्षा, मुस्तैदी और शक्लो सूरत के मुकाबले आज भी भाप इंजन ही नजर आती है।

यात्रियों का फायदा

- एसी फर्स्ट क्लास का किराया बिजी सीजन में 3, लीन सीजन में 6 फीसदी कम, एसी सेकंड क्लास में 2 और 4 फीसदी की कमी, नए डिजाइन के स्लीपर कोच का किराया 4 फीसदी कम।
- अनरिजर्व्ड सेकंड क्लास सवारी ड़िब्बों में लकड़ी की बजाये गद्देदार कुशन सीटें।
- लोअर बर्थ में सीनियर सिटीजंस, महिलाओं का कोटा ।
- केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जाने वाले छात्रों के लिए सेकंड क्लास किरायें में 50 फीसदी डिस्काउंट।

स्मार्ट फंडा

- नए डिब्बों में स्लीपर क्षमता 72, से 84, एसी चेयरकार 67 से 102 एसी थर्ड 64 से 81, एसी सेकंड की 46 से 48, और एसी फर्स्ट की 18 से 22, सीटें होंगी ।
- साधारण श्रेणी में 4 के बजाय 6 डिब्बे, 8 नए गरीब रथों समेत 40 नई गाड़ियां, 23 ट्रेनों के मार्ग का विस्तार।
- टीटीई को मिलेगा पॉम टॉप, वेटिंग लिस्ट पूरी करने की होगी आसानी।
- 139 होगा ट्रेन इनक्वायरी का नया नंबर, पूरे देश में कहीं से भी करें डायल।

किस तरह लुभाया

- मालभाड़े में बढ़ोतरी नहीं, पेट्रोल–डीजल का भाड़ा 5 फीसदी कम।
- मिनरल, आयरन की ढुलाई भी हुई सस्ती।
- डीजल रूट पर कम ऊंचाई वाले कंटेनर के साथ तीन मंजिला कंटेनर ट्रेन।
- 2011–12 तक कंटेनर ट्रैफिक 2 करोड़ टन से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का मिशन।
- 2007–08 से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम।

क्या मिला

32 नई ट्रेनों के साथ फिर मिला गरीब रथ एक्सप्रेस

- सिकंदराबाद यशवंतपुर गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन)।
- जयपुर–बांद्रा टर्मिनल (सप्ताह में 3 दिन)।
- कोलकाता–पटना गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन)।
- भुवनेश्वर–रांची गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन)।
- तिरुवनंतपुरम–लोकमान्य तिलक टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन)।
- कोलकाता–गुवाहाटी गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन)।
- नई दिल्ली–देहरादून गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन)।
- रायपुर–लखनऊ जंक्शन गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन)।

सूक्ष्म वित्त – समय की मांग

डा. बी.पी. गोयल एवं प्रभाकान्त मिश्र

सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म वित्त वह छोटी–छोटी ऋण राशियां होती हैं जो अत्यधिक गरीब लोगों को दी जाती है। जिससे वह अपनी जीविका चलाने के लिए कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सके। सामान्यतः इसमें वह लोग शामिल होते हैं, जिनके पास बैंकों से ऋण पाने के बदले गिरवी रखने के लिए कुछ भी नही होता है, बैंकों की प्रतिभूति की समस्या से निपटने के लिए सूक्ष्म वित्त प्रणाली में ऋण पाने वाले लोगों को एक समान बनाया जाता है। समूह की तरफ से सामूहिक गारंटी दी जाती है। इस प्रकार व्यक्तिगत गारंटी या प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है। सामूहिक गारंटी के कारण सूक्ष्म वित्त में कर्ज की वापसी दर बेहतर होती है।

सूक्ष्म वित्त दुनिया के सर्वाधिक गरीब लोगों विशेष कर महिलाओं को भयावह गरीबी से मुक्ति दिलाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। आज से 30 वर्ष पहले दुनिया के लिए सूक्ष्म ऋण की अवधारणा बिल्कुल अनजानी–सी थी, लेकिन आज दुनिया के न सिर्फ विकासशील देशों बल्कि कुछ विकसित देशों में भी गरीबी उन्मूलन और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में इनकी पहचान बन चुकी है। आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 1.2 अरब गरीब लोगों को छोटे छोटे ऋण मिल रहे हैं।

सूक्ष्म वित्त पर पिछले दो दशकों से सकारात्मक और नकारात्मक की प्रतिक्रियायें हुई हैं। लेकिन इन दोनों पहलुओं के बीच में एक प्रमुख बात यह आती है कि सूक्ष्म वित्त की बदौलत गरीबों को तो पूंजी सूलभ हो जाती है लेकिन उनकी गरीबी कम करने के लिए इसके साथ साथ अन्य गैर वित्तीय संस्थाओं को भी जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन जो भी हो वर्तमान समय में गरीबी घटाने और लघु व छोटे उद्यमों के विकास में लघु वित्त कार्यक्रमों एवं संस्थानों का महत्व बढ़ता जा रहा है।

सूक्ष्म वित्त का महत्व इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नोबेल पुस्कार प्रदान करने वाली समिति ने बांगलादेश के मुहम्मद युनूस को उसके ग्रामीण बैंक को अर्थशास्त्र के बजाय नोबल शान्ति पुरस्कार के लिए चुना। जब लोगों का सशक्तिकण होता है तो भविष्य के लिए एक सकारात्मक और सृजनशील सोच का निर्माण होता है और संघर्षों की सम्भावना में कमी आती है। नोबल सशक्तिकरण की यह टिप्पणी सूक्ष्म वित्त को और भी महत्वपूर्ण बना देती है कि ''दुनिया में स्थायी शान्ति तब तक हासिल नहीं की जा सकती है जब तक कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी के जाल से बाहर नहीं निकलता, सूक्ष्म वित्त इससे निजात दिलाने का एक माध्यम है। इससे निचले तबके के विकास के साथ ही लोकतंत्र और मानवाधिकारों की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है।

सूक्ष्म ऋण समूहों अथवा व्यक्ति को प्रदान किये जाते हैं। समूहों में स्वयंसहायता समूह साख संघ, संयुक्त देनदारी समूह आदि शामिल है। विश्व के अलग–अलग देशों में अलग अलग विधि अपनायी जाती है, लेकिन उद्देश्य यही होता है कि गरीब लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके ताकि ये अपनी आय बढ़ाकर अपना जीवन स्तर बेहतर कर सकें। विश्व बैंक के हाल के एक अध्ययन के अनुसार भारत के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश में 87 फीसदी जरूरतमंदो तक ऋण की पहुंच नहीं है। विश्व बैंक ने अपने अध्ययन के लिए इन दोनों राज्यों के 6000 परिवारों को शामिल किया था। भारत में कुल 500 अरब रुपये की सूक्ष्म वित्त की मांग है। जबकि अभी तक

भारत में स्वयंसहायता समूह बैंक सम्पर्क कार्यक्रम के रुझान

वर्ष	ऋण से जुड़ी स्वयंसहायता समूहों की संख्या	बैंक के द्वारा निर्गत ऋण राशि (करोड़ रुपये में)
1998–99	32995	57.07
1999–00	114775	192.98
2000–01	263825	480.87
2001–02	461478	1026.34
2002–03	717360	2048.67
2003–04	942000	3240.38
2004–05	1618476	6898.00
2005–06	2200000	11398.00

स्रोत– नाबार्ड, आर.बी.आई. की वार्षिक रिपोर्ट 2005–06

सिर्फ 18 अरब रुपये सूक्ष्म वित्त के रूप में उपलब्ध कराये जा रहे है।

स्वयं सहायता समूहों को बैंकिग प्रणाली के साथ जोड़नें का कार्यक्रम 1992 में एक प्रायोगिक योजना के रूप में शुरू किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिर्पोट 2005–06 के अनुसार कुल 22 लाख स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त के साथ जोड़ा गया और 11398 करोड़ रुपया इन स्वयंसहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त के रूप में दिये जा चुके हैं।

इस तालिका से स्पष्ट है कि लगभग 22 लाख स्वयं सहायता समूहों को लगभग 11398 करोड़ रुपये की ऋण राशि उपलब्ध करायी गयी। इनकी वापसी दर भी लगभग शत प्रतिशत रही है। इससे पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पर और इतनी अच्छी वापसी दर रिकार्ड के साथ सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

भारत में वर्ष 2006–07 के बजट में अन्य 385000 स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। नाबार्ड के अनुसार भारत में करीब तीन करोड़ महिलाओं ने सूक्ष्म ऋण योजना का लाभ उठाकर 22 लाख छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किये हैं।

भारत ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूटीआई बैंक, और एसबीआई बैंक सूक्ष्म ऋण के क्षेत्र में काम कर रहे है, जिन बहुराष्ट्रीय बैंकों द्वारा इस प्रकार की आईसीआईसीआई बैंक इस क्षेत्र में लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। बैंक ने यह सुविधा प्रदान करने के लिए रूरल फाउंडेशन यूएस और आईटीसी ओटी कंसल्टिंग के साथ मिलकर ग्रामीण कैपटल इंडिया (जीसीआई) का गठन किया है।

भारत में एक दशक से ज्यादा समय से चल रहा सूक्ष्म ऋण अभी भी बृहद स्तर पर लोगों को लाभ पंहुचाने में सफल नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक दिये गये सूक्ष्म ऋण प्रति जरूरत मंद को आवश्यकता से बहुत ही कम ऋण (लगभग 2000 रु. प्रति जरूरत मंद) मिल पाया है जो कि किसी भी व्यक्ति को गरीबी के जाल से बाहर निकालने में असमर्थ होती है क्योंकि एक छोटा उद्यम शुरू करने के लिए भी व्यक्ति के पास कम से कम 20–25 हजार रु. की आवश्यकता पड़ती है।

सूक्ष्म ऋण का विस्तार कुछ राज्यों तक सीमित है, इसकी 60 फीसदी सेंकेन्द्रण आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में ही है। जिन राज्यों को इसकी सर्वाधिक जरूरत है वे इससे लगभग अछूते हैं। विश्व बैंक का मानना है कि भारत में इस प्रकार की प्रणाली की सफलता के लिए निम्नलिखित दशायें आवश्यक हैं– बेहतर प्रशासन, पेशेवर तरीके से इस प्रणाली का प्रबंधन, तंत्र में पारदर्शिता। ऋण की उपब्धता को निर्धारित कर ही ग्रामीण पुनर्निमाण के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। भारत में ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक के रूप में या व्यापारिक बैंकों के रूप में भी अपनी गतिविधियों को लगातार बनाये हुये है तथा सरकार द्वारा भी उन्हें समुचित सहायता लगातार प्रदान की जा रही है। इसके बावजूद भी गरीबों की गरीबी उसी तरह बनी हुई है तथा अमीरों एवं गरीबों के बीच की खाई बढ़ी है, कृषक आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता जा रहा है और इन सबके फलस्वरूप लोगों का व्यवस्था से मोहभंग हो रहा है। लघु ऋण की अवधारणा इसी व्यवस्था के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। एक ऐसी प्रतिक्रिया जो ऋणों को लोकप्रिय आधार से जोड़ना चाहती है।

(प्रभाकांत मिश्र "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ग्रामीण ऋण ग्रस्तता पर प्रभाव" विषय पर डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में शोध के लिए पंजीकृत हैं।)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों और सीडी **(Font - AA Text)** में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। कुरुक्षेत्र में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, कुरुक्षेत्र कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

है। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग को 1 करोड़ 43 लाख 29 हजार 500 रुपयों के 8 कार्यों के लिए, जल संसाधन संभाग श्योपुर को 1 करोड़ 91 लाख 93 हजार के 11 कार्यों के लिए तथा जल संसाधन संभाग सबलगढ को 1 करोड़ 46 लाख 77 हजार रुपयों के सात कार्यों के लिए निर्माण एजेन्सी नियुक्त किया गया है। योजना के तहत श्योपुर विकास खण्ड में 40 विजयपुर विकास खण्ड में 70 तथा कराहल विकास खण्ड में 24 कार्य संचालित हैं। योजना का उद्देश्य जिले के सभी बड़े ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ना, जल संरक्षण करना, भूमिगत जल के स्तर को ऊपर करना तथा हर गांव में कम से कम दो–दो तालाब बनाना है।

जिले में समविकास योजना के तहत 45 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त हो गया है। सर्वेक्षण का कार्य जारी है। इस योजनाओं के तहत जिले में सभी स्कूल भवन, अस्पताल भवन आंगनवाड़ी भवन, पशु चिकित्सालय भवन, आदि बनाए जायेंगे। योजना का उद्धेश्य इस मध्यप्रदेश के सबसे पिछड़े जिले को अन्य विकसित जिलों के बराबर करना है।

जन जागरण, शिक्षा, दूर दृष्टि, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत के बगैर शासन की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जायेगी। इनके क्रियान्वयन में प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनसहयोग विकास रथ के दो पहिये हैं। इनके बिना विकास संभव नही। सदियों से पिछड़े, दबे–कुचले शोषित इस जिले की विकास गंगा कहीं दिवा स्वप्न न रह जाये। किसी कवि ने ठीक ही कहा है–

सूत हर रेशम नहीं, वस्त्र हर खादी नहीं
हर नजर साधु नहीं, हर बसर गांधी नहीं

नई गाड़ियां

- श्री छत्रपति साहू महाराज टर्मिनल, कोल्हापुर–अहमदाबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
- हावड़ा–रामपुरहाट एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
- झांसी–कानपुर एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
- पुणे–गोरखपुर एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
- दिल्ली–शामली डेमू (प्रतिदिन)
- बापूधाम मोतिहारी–बनारस एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
- बीकानेर–जैसलमेर एक्सप्रेस वाया कोलायत (प्रतिदिन दो जोड़ी)
- मुंबई–औरंगाबाद जनशताब्दी एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)
- भागलपुर–नई दिल्ली एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
- बीजापुर–बागलकोट एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)
- इलाहाबाद–मथुरा एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
- नासिक–पुणे एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
- कोयम्बटूर–नागरकोइल एक्सप्रेस वाया मदुरै (प्रतिदिन)
- भुवनेश्वर –रामेश्वर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) (आमान परिवर्तन के बाद)
- गोरखपुर–यशवंतपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
- यशवंतपुर–चेन्नै एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
- फर्रूखाबाद–कासगंज एक्सप्रेस (प्रतिदिन दो जोड़ी) (आमान परिवर्तन के बाद)
- इंदौर–अमृतसर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
- चेन्नै एग्मोर–नागौर एक्सप्रेस (प्रतिदिन) (आमान परिवर्तन के बाद)
- रीवा–जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
- नई दिल्ली–साहिबाबाद ईएमयू (प्रतिदिन)
- बांका–भागलपुर पैसेंजर (सप्ताह में 6 दिन)
- चेन्नै एग्मोर–रामेश्वरम एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन) (आमान परिवर्तन के बाद)
- छपरा–छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (मुबंई) जनसाधारण एक्सप्रेस वाया सीवान, गोरखपुर (साप्ताहिक)
- मुंबई–अजमेर व उदयपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन)
- सोलापुर–बागलकोट एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)
- अजमेर–रतलाम एक्सप्रेस (प्रतिदिन दो जोड़ी) (अमान परिवर्तन के बाद)
- वड़ोदरा–भीलाड़ एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
- पटना–डेहरी ऑन सोन इंटरसिटी एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
- गांधीधाम–पालमपुर एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
- लखनऊ जंक्शन–सहारनपुर एक्सप्रेस (प्रतिदिन) (लखनऊ सहारपुर लिंक एक्सप्रेस के बदले)
- जबलपुर–दिल्ली वाया इटारसी (सप्ताह में दो दिन)

सबको मिला फायदा रेल बजट से

रश्मि निषाद और शिल्पी

बढ़ती महंगाई पर काबू पाने की अपनी सरकार की कोशिशों में हाथ बटाते हुए रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस बार के रेल बजट में मालभाड़े में कोई इजाफा न करने का प्रस्ताव किया है। रेलवे को भारी मुनाफे में चलाने की अपनी उपलब्धि के कारण प्रबंधन गुरु कहलाने वाले लालू प्रसाद यादव ने तीन साल के अपने रेकॉर्ड को कायम रखते हुए इस बार यात्री भाड़े में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की । इसकी जगह उन्होंने सभी श्रेणियों के टिकटों की दर में कमी कर दी । जनसाधारण और जरूरतमंदों के प्रति अपनी छवि को बनाए रखते हुए दूध वालों से लेकर सब्जी वालों, उम्रदराज महिलाओं और छात्रों के लिए भी बहुत–सी रियायतों की घोषणा की है ।

यात्री सुविधाएं

वर्ष 2007–08 के रेल बजट में यात्री किराये में कमी की गई है जिसके तहत सभी श्रेणी के उच्च क्षमता वाले नये डिजाइन के आरक्षित कोचों के किराये में कमी की गई है । एसी 3–टायर और एसी चेयर कार में व्यस्त सीज़न में 4 प्रतिशत और लीन सीजन में 8 प्रतिशत की कमी की गई है । इसके अलावा शयनयान श्रेणी के किराये में 4 प्रतिशत और द्वितीय श्रेणी की टिकट पर सुपर फास्ट चार्ज में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है । मुम्बई उप नगरीय सेवाओं में असीमित यात्रा करने वाले पर्यटक टिकट की सुविधा मुहैया करायी गई है । इन्टरनेट पर बुक की गई ई–टिकटों के चार्ज में भी रियायत की घोषणा की है ।

रेल बजट में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं , विद्यार्थियों और विकलांगों के लिए भी कई सुविधाओं की घोषणा की गई है । विकलांगों की सुविधा के लिए एसएलआरडी और एसआरडी सवारी गाड़ियों का निर्माण किया गया है । इन डिब्बों में विशेषरूप से डिजाइन किए गए कम्पार्टमेंट में चौड़े दरवाजे, कुशनवाली चौड़ी सीटें, सीटों के बीच फासला और विशेषरूप से निर्मित शौचालय हैं जिनका उपयोग व्हील चेंयर के साथ किया जा सकता है । अब तक ऐसे 1250 डिब्बों का निर्माण कर लिया गया है और अगले दो वर्षों में सभी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में ऐसे कोच लगाने की योजना है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए लोअर बर्थ के आरक्षण की सुविधा मुहैया कराई गई है ताकि उनकी रेल यात्रा अधिक सुखद हो सके ।

केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित प्रधान परीक्षाओं में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को द्वितीय श्रेणी के किराए में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी ।

यात्री सुविधाओं को प्रोत्साहन

इस वर्ष के रेल–बजट में रेल यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गई है । देशभर में रेलवे पूछ–ताछ कॉल सेंटरों की स्थापना की योजना है जो जून से सितम्बर 2007 के दौरान देश के सभी चारों क्षेत्रों में काम करना शुरु कर देंगे । यात्री 139 नम्बर डायल कर के स्थानीय कॉल दरों पर देश के किसी भी हिस्से से गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान व सीट की उपलब्धता के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं । भविष्य में कॉल सेंटरों से फोन पर रेलवे टिकट, टैक्सी बुकिंग, होटल बुकिंग जैसी सुविधाएं भी मुहैया करवाने की योजना है । इसके अलावा टीटीई को हैंड हेल्ड कम्प्यूटर टर्मिनल दिए जाने की पायलट योजना भी चलाई जा रही है जिससे रेल गाड़ी में रिक्त सीटों की सूचना के आधार पर आगे के स्टेशनों पर यात्रियों को आरक्षण उपलब्ध कराया जा सके ।

आरक्षित टिकट सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा । डाक घरों और रक्षा कार्यालयों में पीआरएस काउंटर खोले जाऐंगे । इनका संचालन भी इन्हीं काउंटरों द्वारा किया जाएगा। आगामी दो वर्षों में अनारक्षित टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाकर 8000 कर दी जाएगी।

यह वर्ष रेलवे स्वच्छता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा । इस दौरान स्टेशन परिसर, यात्री गाड़ियों, रेलवे लाइन और प्रतिक्षालयों पर एक अभियान के रूप में साफ–सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी । पिछले वर्ष प्रत्येक डिविजन में पांच रेलवे स्टेशनों को आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य किया था । मार्च 2007 तक ऐसे 225 स्टेशनों पर यह कार्य सम्पन्न हो जाएगा।

रेलवे का लाभ

रेलवे गत वर्ष के 14,700 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपये का लाभांश पूर्व कैश सरप्लस अर्जित करने का एक नया इतिहास रचने जा रही है । रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने बताया कि वर्ष 2001 में रेलवे डिविडेंट का भुगतान करने से चूक गई थी। और इसका फंड बैलेंस गिर कर 365 करोड़ रुपये रह गया था ।

वर्ष 2007–08 के दौरान फ्रेट लोडिंग का लक्ष्य 785 मीलियन टन और फ्रेट आउटपुट का 516 मिलियन टन किलोमीटर रखा गया है । प्रगति दर 2 अंकों में बनाए रखते हुए माल यात्री अन्य कोचिंग आमदनी के बजट अनुमान क्रमशः 46 हजार 943, 20 हजार 75, 2 हजार 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं ।

इस वर्ष के लिए साधारण संचालन व्यय 42 हजार 687 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 12 प्रतिशत अधिक है । मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में 5 हजार 496 करोड़ रुपये, पेंशन निधि में, 8 हजार 683 करोड़ रुपये का प्रावधान है । इस प्रकार कुल संचालन व्यय 56 हजार 687 करोड़ रुपये होगा । इससे शुद्ध यातायात प्राप्तियां 14 हजार 631 करोड़ रुपये होंगी । रेलवे की लाभांश पूर्व अतिरिक्त नगदी 21 हजार 578 करोड़ रुपयों और ऑपरेटिंग रेशियो 79.6 प्रतिशत होने की आशा है ।

वार्षिक योजना 2007–08 परिव्यय 32 प्रतिशत अधिक रखा गया है और कुल परिव्यय का तीनचौथाई भाग आंतरिक एवं बजटेतर संसाधनों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माण के लिए 1330 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । नई लाईन के लिए 1610 करोड़ रुपये, आमान परिवर्तन के लिए 2404 करोड़ रुपये, विद्युतिकरण के लिए 300 करोड़ और महानगर परिवहन परियोजना के लिए परिव्यय 722 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

नई गाड़ियां

रेल मंत्री श्री यादव ने 8 और गरीब रथ , 32 नई गाड़ियां ,23 गाड़ियों के विस्तार और 14 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि के साथ आठ सौ अतिरिक्त डिब्बे लगाने और अनारक्षित डिब्बों में लकड़ी की सीटों की जगह गद्देदार सीटें लगाने का ऐलान किया है ।

रेल सुरक्षा

इस बार रेल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रेल मंत्री ने सुरक्षा उपायों के लिए डीआरएफ निधि में 5500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत 1700 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ पुराने और जर्जर ट्रैकपुल, ट्रैक सर्किटिंग और रोलिंग स्टॉक को फिर से बनाने के काम को भी प्राथमिकता दी गई है। इस कार्य के मार्च 2008 में पूरे हो जाने की संभावना है । रेल मंत्री के अनुसार कॉर्पोरेट संरक्षा योजना के मुताबिक टक्कररोधी प्रणाली का परीक्षण भी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतिम चरण में है और मार्च 2007 तक इसे पूरा कर लिए जाने की संभावना है ।

रेलवे सुरक्षा बल प्रतिदिन 1450 से अधिक ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है । रेलवे सुरक्षा बल में लगभग 8000 रिक्त पदों को जल्द भर लिया जाएगा । साथ ही रेलवे सुरक्षा बल की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सूचना तकनीक का बेहतर प्रयोग

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल सेवाओं में सूचना तकनीक का और अधिक इस्तेमाल किया जाएगा ताकि रेल आधुनिकता और तकनीक का बेहतर समन्वय बन सके । इसलिए इन योजनाओं पर निवेश कई गुना बढ़ा कर किया जाएगा । आय प्रबंधन के लिए विशेषकर खाली गाड़ियों में माल ट्रैफिक आकर्षित करने और खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए कमर्शियल पोर्टल अगले तीन वर्षों में शुरु किया जाएगा । रेलवे में चल रही 50 से अधिक वेबसाइटों को मिला कर एक समेकित वेबसाइट ई–पेमेंट और ई–टेड्रिंग को विकसित किया जाएगा ।

अनुसूचित जाति–जनजाति के लिए विशेष भर्ती अभियान

अनुसूचित जाति–जनजाति के लिए विशेष भर्ती अभियान जिसमें 95 प्रतिशत रिक्तियों को भर लिया गया है । इसी तरह पदोन्नति कोटा में रिक्तियों को भरने के कम में 75 प्रतिशत से ज्यादा बैक–लॉग समाप्त करने में सफलता हासिल कर ली गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कश्मीर से कन्याकुमारी और गुवाहाटी से अमृतसर तक चारों दिशाओं में विद्युतिकरण रेल नेटवर्क का विस्तार कर लिया जाएगा । प्रथम चरण में वर्ष 2007–08 में जालंधर से जम्मू –बाराबंकी–गोरखपुर– बरौनी और तिरुचिरापल्ली–मदुरै का विद्युतिकरण 2007–08 में करने का प्रस्ताव है ।

एम्पटी फ्लो डायरेक्शन फ्रेट डिस्काउंट स्कीम

गत वर्ष एम्पटी फ्लो डायरेक्शन में की गई अतिरिक्त लोडिंग पर लीन सीजन में 30 प्रतिशत और पीक सीजन में 20 प्रतिशत तक माल भाड़े में छूट देने की घोषणा की थी । पीक सीजन में भी एम्पटी फ्लो डिस्काउंट 20 प्रतिशत की बजाए 30 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा । खुली निविदा के माध्यम से एसएलआर एवं पार्सल वैन को पार्सल की अनुसूचित दर अथवा उससे कम पद लीज पर देने के अच्छे परिणाम सामने आए हैं । लेकिन अभी भी ऐसी अनेक गाड़ियां हैं जिनमें गत वर्ष एसएलआर क्षमता का 60 प्रतिशत से कम उपयोग हुआ है एवं जिसकी एक भी एसएलआर खुली निविदा निकालने के बावजूद लीज पर लेने के ऑफर नहीं मिले ।

नई परियोजनाएं

बिहार के मधेपुरा में रेल विद्युत इंजन कारखाने की स्थापना जो कि लगभग 1300 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा । रेलवे केरल सरकार के साथ मिल कर यात्री कोच निर्माण के लिए संयुक्त उपकम भी लगाएगा ।

भारतीय रेल ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए इटली, जर्मनी, रूस और दक्षिण अफ्रीका की रेलों के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । भारतीय रेल सरकार की लुक–इस्ट पॉलिसी को प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभा रही है । भारतीय रेल ने अफ्रीकी रेल कर्मियों के लिए चालू वित्त वर्ष से निःशुल्क प्रशिक्षण का प्रावधान भी किया है ।

रेल बजट की विशेष बातें

· यात्री किराये में किसी भी श्रेणी में कोई बढ़ोतरी नहीं · माल भाड़े में बढ़ोतरी नहीं · डीजल–पेट्रोल के माल भाड़े में पांच फीसदी की कटौती · लौह अयस्क और चूना पत्थर के माल भाड़े में छह फीसदी की कमी · व्यस्त और मंद सीजन में यात्री किराये में छूट · रेलवे सुरक्षा बल में 8000 खाली पदों को भरा जाना · संवेदनशील मंडलों में ट्रेनों और स्टेशनों पर बम का पता लगाने के लिए डोर फ्रेम और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर मुहैया कराना · संवेदनशील स्टेशनों पर सीसीटीवी स्मार्ट वीडियो कैमरे लगाना · नौ महीनों में माल ढुलाई से आय में 17 फीसदी की बढ़ोतरी · लाभांश से पहले नकद सरप्लस 20 हजार करोड़ रुपये · शुद्ध राजस्व 14870 करोड़ रुपये रहने का अनुमान · माल ढुलाई से 46943 करोड़ रुपये की आय का अनुमान · रेलवे के 31 हजार करोड़ रुपये की अब तक की सबसे बड़ी सलाना योजना · मुम्बई उपनगरीय ट्रेनों में पर्यटक टिकटों की शुरुआत · मधेपुरा में नया इलेक्ट्रिक लोको कारखाना · डालमिया में वैगन बोगी परिसर · एल्लेपी में केरल सरकार के साथ रोलिंग स्टॉक बोगी के लिए संयुक्त उद्यम

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	550 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	750 रुपये (वार्षिक)

रेल बजट 2007–08

मुख्य विशेषताएं

- लोकप्रिय रेलगाड़ियों में अतिरिक्त कोचों के इस्तेमाल से यात्री आय में 14 प्रतिशत की वृद्धि, अन्य कोचों से आय में 48 प्रतिशत की वृद्धि
- माल ढुलाई से प्राप्त आय और सकल यातायात आय से रेलवे की आय में 17 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि
- 8 नए गरीब रथ चलाए जाएंगे
- 32 जोड़ी नई गाड़ियां शुरू की जाएंगी और 23 जोड़ी गाड़ियों का विस्तार किया जाएगा
- गैरउपनगरीय एवं गैर सुपर फास्ट मेल-एक्सप्रेस साधारण पैसेंजर गाड़ियों के किराये में प्रति यात्री एक रुपये की कमी
- डायनामिक किराया नीति-लीन सीजन में और पीक सीजन के दौरान वातानुकूलित गाड़ियों में अलग-अलग छूट
- इंटरनेट के जरिए बुक की गई ई-टिकटों के शुल्क में रियायत
- मालभाड़ा संबंधी ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया जारी
- मालभाड़ा दरों में कोई सामान्य वृद्धि नहीं
- मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में रेलवे का ऐतिहासिक कार्यनिष्पादन
- लाभांश पूर्व कैश सरप्लस 20 हजार करोड़ रुपये होने की आशा
- ऑपरेटिंग रेशियो सुधरकर 78.8 प्रतिशत होने की संभावना जो भारतीय रेल के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
- वर्ष 2007-08 के दौरान माल व्यवसाय के लिए 7850 लाख टन होने का लक्ष्य
- नया मिशन लक्ष्य : वर्ष 2011-12 तक 2000 लाख टन सीमेंट और स्टील की ढुलाई का लक्ष्य
- वर्ष 2011-12 तक कंटेनर ट्रैफिक 1000 लाख टन करने की योजना
- डीजल रूट पर ट्रिपल स्टाक वाली कंटेनर ट्रेन एवं विद्युत रूट पर डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन चलाने की योजना
- कोयला और इस्पात के परिवहन में रेलवे की ओर से सहायता का प्रस्ताव, उद्यमियों को बेहतर ऑपरेटिंग क्षमता के लिए सेवा स्तर समझौते हेतु आमंत्रण
- एक महीने में 15 से अधिक रैक हैंडिल करने वाले फ्रेट टर्मिनलों का उन्नयन
- 22.9 तथा 25 टन एक्सल लोड वाली मालगाड़ियों के रूटों में वृद्धि
- उच्चतर एक्सल लोड और नई प्रौद्योगिकी वाले वैगनों के उत्पादन के लिए वैगन निर्माताओं को प्रोत्साहन
- अधिकांश एयर ब्रेक वाली गाड़ियों का परीक्षण प्रीमियम सीसी अथवा प्रीमियम एंड टू एंड परिक्षण पद्धति के अनुसार
- लोकप्रिय यात्री गाड़ियों में 800 अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे
- अनारक्षित सेकेंड क्लास सवारी डिब्बों में गद्देदार कुशन सीटों का प्रावधान
- प्रत्येक नई रेलगाड़ी में अनारक्षित सेकैंड क्लास के 4 के जगह 6 सवारी डिब्बे लगाए जाएंगे
- विकलांग यात्रियों के लिए विशेषरूप से डिजायन किए गए कोचों की व्यवस्था की जाएगी
- पैसेंजर गाड़ियों में खुदरा वस्तुओं के विक्रेताओं के लिए विशेष वेंडर्स कोच लगाए जाएंगे
- यात्रियों के लिए बेहतर यात्री सुविधाएं : देशभर में ट्रेन इंक्वायरी कॉल सेंटर की स्थापना, आरक्षित/अनारक्षित टिकट सुविधाओं का विस्तार, अगले दो वर्षो में मेट्रोपॉलीटन शहरों में स्वचालित टिकट बिक्री मशीनें लगाई जाएंगी
- वर्ष 2007 को 'स्वच्छता वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा
- 11वीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे का नया चेहरा : परिवहन क्षमता का विस्तार कर दोगुना करना तथा वॉल्यूम बढ़ाकर प्रति इकाई लागत में कमी लाने पर बल
- अगले वित्त वर्ष के दौरान पूर्वी और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निमार्ण
- रेल गाड़ियों के 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परिचालन हेतु हाई स्पीड पैसेंजर कोरिडोर के लिए पूर्व व्यावहार्यता अध्ययन
- चेन्ने, कोलकाता एवं मुम्बई में वातानुकूलित श्रेणी उपनगरीय गाड़ियों चलाने तथा प्रमुख स्टेशनों पर एस्केलेटर्स लगाने के प्रयास रोलिंग स्टॉक का उत्पादन को पूर्व योजना से दोगुना किया जाएगा, अधिक अश्वशक्ति एवं कम ऊर्जा खपत वाले नई तकनीकी के लोको का उत्पादन बढ़ाया जाएगा
- आय बढ़ाने के लिए आईटी में निवेश में कई गुना वृद्धि, मानव एवं भौतिक संसाधनों पर प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना एवं दीर्घकालीन नीतिगत निर्णयों में सहयोग के लिए आईटी का उपयोग
- बेहतर आय प्रबंधन के लिए आगामी तीन वर्षों में कामर्शियल पोर्टल तैयार करना
- एंटी कोलिजन डिवाइस का परीक्षण अंतिम चरण में है
- संवेदनशील मंडलों में विस्फोटक का पता लगाने वाली मशीनें, डोर-फ्रेम का हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी और स्मार्ट वीडियो कैमरे आदि लगाए जाएंगे

- विशेष भर्ती अभियान के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की 95 प्रतिशत रिक्तियां भर ली गई हैं और पदोन्नति कोटे में 75 प्रतिशत बैकलॉग समाप्त कर दिया गया है
- मधेपुर में नए विद्युत इंजन कारखाना, डालमियां नगर में वैगन बोगी कॉम्पलेक्स की स्थापना

केन्द्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में वर्ष 2007-08 का रेल बजट पेश करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय रेल के कार्यनिष्पादन पर गर्व है जिसने यात्री किरायों में रियायत के बावजूद भी अभूतपूर्व लाभ अर्जित किया है। पिछले 9 महीनों के दौरान भारतीय रेल के अभूतपूर्व वित्तीय कार्यनिष्पादन की चर्चा करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे ने माल ढुलाई और सकल यातायात आय दोनों के ही संदर्भ में 17 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। रेलवे को लाभांश पूर्व कैश सरप्लस के लगभग 20 हजार करोड़ रुपये होने की आशा है और यह 78.7 प्रतिशत का अभूतपूर्व ऑपरेटिंग रेशियो तक पहुंचने वाली है।

माल परिवहन में लगातार तीसरे साल भारतीय रेल का प्रदर्शन शानदार रहा है और इस वर्ष लगभग 600 लाख टन की अतिरिक्त लोडिंग होने की संभावना है। भारतीय रेल ने वर्ष 2011-12 तक 2000 लाख टन सीमेंट और स्टील के परिवहन लक्ष्य तक पहुंचने का एक नया मिशन निर्धारित किया। मिशन 1000 लाख टन के अंतर्गत भारतीय रेल में वर्ष 2011-12 तक कटेंनर ट्रैफिक 200 लाख टन से बढ़ाकर 1000 लाख टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह का गठन किया गया है।

अगामी वर्ष में पायलट बेसिक पर डीजल रूट पर तीन मंजिल वाली कंटेनर ट्रेन एवं विद्युतीकृत मार्गों पर डबल स्टेक कंटेनर चलाने के प्रयास किए जाएंगे। वाणिज्यिक व्यापारिक रणनीति के तहत भारतीय रेल ने निजी उद्यमियों के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रमों जैसे एनटीपीसी को विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले के परिवहन हेतु सेवा स्तर समझौते में प्रवेश के लिए आमंत्रित किया है।

(पसूका)

एसजीएसवाई के तहत अरुणाचल प्रदेश को केन्द्रीय सहायताः ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत अरुणाचल प्रदेश की तिराप जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को वर्ष 2006.07 के लिए 3.76 लाख रुपये की पहली किस्त जारी की। दूसरी किस्त के रूप में 9 लाख रूये की धनराशि अरूणाचल प्रेदश की दो जिला विकास एजेंसियों–लोहित को 3.77 लाख रूपये और त्वांग को 5.22 लाख रूपये जारी किए गए।

एसजीएसवाई के तहत झारखण्ड को केन्द्रीय सहायताः ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत झारखंड की पांच जिला ग्रामीण विकास एंजेंसियों को वर्ष 2006–07 के लिए 3.05 करोड़ रूपये की धनराशि दूसरी किस्त के रूप में जारी की है। कुल आबंटन में से गुमला 57.34 लाख रुपये, पश्चिम सिंहभूम को 107.91 लाख रुपये, दुमका को 114.42 लाख रुपये, जमात्रा को 18.24 लाख रुपये, लातेहर को 7.37 लाख रुपये जारी किए गए।

एसजीएसवाई के तहत पश्चिम बंगाल की चार जिला विकास एजेंसियों को केन्द्रीय सहायताः ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत पश्चिम बंगाल की चार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को वर्ष 2006–07 के लिए 4.70 करोड़ रुपये की धनराशि दूसरी किस्त के रूप में जारी की है। इनमें पूर्वी मिदनापुर को 136.64 लाख रुपये, चौबीस दक्षिण परगना को 112.56 लाख रुपये, कूच बिहार को 188.34 लाख रुपये और दार्जिलिंग को 32.61 लाख रुपये जारी किए गए।

एसजीएसवाई के तहत बिहार को केन्द्रीय सहायताः ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत बिहार की दो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को वर्ष 2006–07 के लिए 2.30 करोड़ रुपये की धनराशि पहली किस्त के रूप में जारी की है। जिनमें सुपौल (1.99 करोड़ रुपये) और शिवहर (30.61 लाख रूपये) शामिल हैं। बिहार की 3 जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों बांका, जमूई और पूर्णिया को 32.25 लाख रूपये दूसरी किस्त के रूप में जारी की है।

एसजीएसवाई के तहत पंजाब को वित्तीय सहायताः ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत पंजाब की भटिंक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को वर्ष 2006–07 के लिए 6.59 लाख रूपये की धनराशि दूसरी किस्त के रूप में जारी की है।

एसजीएसवाई के तहत हिमाचल प्रदेश की तीन जिला विकास एजेंसियों को केन्द्रीय सहायताः ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत हिमाचल प्रदेश की तीन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को वर्ष 2006–07 के लिए 35.40 लाख रुपये की धनराशि दूसरी किस्त के रूप में जारी की है। इनमें सिरमोर को 12.87 लाख रुपये, ऊना को 10.92 लाख रुपये, हमीरपुर को 11.61 लाख रुपये जारी किए गए।

एसजीएसवाई के तहत जम्मू और कश्मीर की दो जिला विकास एजेंसियों को केन्द्रीय सहायताः ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत जम्मू–कश्मीर की दो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को वर्ष 2006–07 के लिए 53.51 लाख रुपये की धनराशि दूसरी किस्त के रूप में जारी की है। इनमें कथुआ को 15.77 लाख रुपये और उधमपुर को 37.74 लाख रूपये जारी किए हैं।

पारंपरिक से आधुनिक खेती तक

क्या खोया, क्या पाया ?

डा. शिवाधर सिंह और डा. नरेश कुमार सिंह

पारंपरिक खेती यानि सदियों एवं हजारों वर्षों से चली आ रही खेती के पुराने तरीके जिसे हमारे पूर्वजों ने समय के साथ खेती शुरू करने से आज तक अपनी आवश्यकताओं, पर्यावरण तथा जैव विविधता इत्यादि को ध्यान में रखकर विकसित किया जो आज तक खेती को स्थिरता प्रदान करता रहा। पारंपरिक खेती आज से करीब 35 वष पहले तक देश के लगभग सभी क्षेत्रों में अपनायी जाती रही है, परन्तु हरित क्रांति के आगमन के साथ जनसंख्या की बढ़ती खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पिछले करीब 35 वर्षों से देश में हरित क्रांति लाने वाले प्रमुख प्रदेशों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि के तमाम क्षेत्रों में बड़े किसानों द्वारा कृषि के पारंपरिक तरीकों का त्याग करके आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई, परन्तु इसके साथ-साथ कृषि कार्यों हेतु अपनाए जाने वाले मशीनों, वाहनों, डीजल इंजन इत्यादि को चलाने के लिए खनिज तेलों के प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं तथा अन्य रसायनों के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, यानी आधुनिक खेती से कृषि उत्पादकता में वृद्धि पर्यावरण की कीमत पर हो रही है।

आधुनिक खेती सिर्फ अनियंत्रित बढ़ती मानव जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनाई गई थी, परन्तु इसके काफी भयानक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। आधुनिक खेती से हमारा पर्यावरण बुरी तरह प्रदूषित हो रहा है और यदि इसको भविष्य में अधिक समय तक बनाये रखा गया तथा हम इसी तरह विभिन्न कृषि रसायनों का धड़ल्ले से प्रयोग करते रहे, तो, वो दिन दूर नहीं जब पीने के पानी की बोतल के साथ-साथ आदमी हवा का सिलेंडर भी लेकर घूमता फिरेगा क्योंकि भविष्य में शुद्ध जल, वायु तथा भोजन की भारी समस्या आने वाली है। यानी इन तमाम दुष्परिणामों की वजह सिर्फ बढ़ती हुई मानव जनसंख्या है और इसे नियंत्रित नहीं किया गया, तो पर्यावरण प्रदूषण की वजह से सम्पूर्ण जैविक समुदाय के नष्ट होने का खतरा बढ़ सकता है।

आधुनिक खेती के तरीकों से मिट्टी अनुपजाऊ, पानी क्षारीय एवं लवणीय तथा विषाक्त होता जा रहा है जिससे हवा, पानी तथा भोजन इत्यादि प्रदूषित होते जा रहे हैं और हम इन प्रदूषित संसाधनों का उपयोग करने के लिए बाध्य होते जा रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि कृषि के आधुनिक तरीकों से खाद्यान्न उत्पादन में सराहनीय वृद्धि हुई परन्तु यह बढ़ोतरी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित तथा खाद्यान्नों की गुणवत्ता में भारी कमी के कारण हुई है। परिणामस्वरूप कृषि के टिकाऊपन तथा स्थिरता को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है क्योंकि कोई भी खेती पर्यावरण की कीमत पर ज्यादा दिन टिक नहीं सकती है।

इसके विपरीत पारंपरिक खेती को आज भी देश के ज्यादातर भागों में विशेषकर छोटे तथा गरीब किसानों द्वारा अपनाया जाता है क्योंकि ये किसान आज के आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने में असमर्थ हैं। पारंपरिक खेती के तरीकों को हमारे पूर्वज अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति, पर्यावरण की शुद्धता, जैव विविधता, मृदा उर्वरता तथा खेती की स्थिरता एवं टिकाऊपन को ध्यान में रखकर हजारों वर्षों से अपनाते आ रहे हैं उसी का नतीजा है, कि पिछले 10 हजार वर्षों में जब से मानव ने खेती करना प्रारंभ किया है, आज तक बरकरार है। वरना आज के आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने से खेती कब की समाप्त हो गई होती। हरित क्रांति लाने वाले प्रदेशों में आधुनिक खेती के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं और आज आलम यह है कि किसान पुन: जैविक खेती की तरफ लौटने लगा है क्योंकि उनको इस आधुनिक रासायनिक खेती से स्वयं तथा पर्यावरण को खतरा महसूस होने लगा है।

आधुनिक खेती के तरीकों से सिर्फ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने को ही महत्व दिया जाता है, चाहे वह पर्यावरण की ही कीमत पर ही क्यों न हो। पारंपरिक खेती की उत्पादकता एवं स्थिरता भले ही कम हो परन्तु यह बहुत ही टिकाऊ है, क्योंकि इसके प्रयोग से आने वाले सभी संसाधनों चाहे वह ऊर्जा हो, या उर्वरक/दवाईयां, सभी प्राकृतिक होते हैं जिससे पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं रहता है। पारंपरिक खेती में डीजल तेल से संचालित ट्रैक्टर या भारी मशीनों के स्थान पर विभिन्न पालतू जानवरों जैसे बैलों, भैसों, खच्चरों तथा ऊंटों आदि से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है।

रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं की बजाय देशी खादों तथा दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जो पुन:चक्र द्वारा पर्यावरण में समावेश कर जाते हैं और इस तरह पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होता है। यानी पारंपरिक खेती आधुनिक खेती की अपेक्षा भले ही कम उत्पादक हो, परन्तु निश्चय ही ज्यादा सुरक्षित, वैज्ञानिक एवं टिकाऊ है। यही कारण है कि यह पिछले हजारों वर्षों

से बरकरार है। वास्तव में पारंपरिक खेती को ''पर्यावरण मैत्रिक खेती'' की संज्ञा दी जाती है, जो बिना पर्यावरण प्रदूषण के मानव जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति तथा समस्त जैविक समुदायों की रक्षा करने में सक्षम है, बशर्ते बढ़ती मानव जनसंख्या की रोकथाम हो।

पारंपरिक खेती का इतिहास

पारंपरिक खेती की शुरुआत करीब 10 हजार वष पहले सीरिया तथा टर्की में हुई थी। शुरू-शुरू में मानव ने जब पृथ्वी पर जन्म लिया, उस समय वे पूर्ण रूप से जंगली थे। अपने भरण-पोषण के लिए वे पूरी तरह जंगली जानवरों के शिकार पर निर्भर थे। हजारों वर्षों तक इंसान ने इसी तरह जंगली जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त किया, परन्तु जैसे-जैसे उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती गई, उन्हें अपने भोजन के लिए ज्यादा जंगली जानवरों का शिकार करना पड़ता था, फलस्वरूप उनके भोजन की उपलब्धता में कमी आने लगी। पूरे दिन शिकार करने के बावजूद भी कभी-कभी उन्हें भोजन नहीं मिल पाता था। इस तरह उन्होने अपने भोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऐसे स्थानों की खोज करनी शुरू कर दी जहां पर्याप्त जल तथा उपजाऊ मिट्टी हो और उन्होंने कुछ ऐसी जंगली फसलों का चुनाव किया, जिन्हें जंगलों से लाकर उगाया जा सके तथा कुछ खाद्य उत्पादन हो सके जिसे उपयोग करके पेट भरा जा सके। इस तरह मनुष्य ने पूर्णरूप से जंगली जानवरों पर आश्रित न होकर कुछ अंश तक जानवरों तथा कुछ अंश तक फसलों पर निर्भर रहना शुरू किया और इस तरह उस जगह जहां वे रहने लगे उस जमीन की फसल उत्पादकता धीरे-धीरे बढ़ने लगी और इस तरह मनुष्यों ने फसलों तथा जानवरों दोनों पर आश्रित रहना सीख लिया।

इसी दौरान उन्होंने तमाम तरह की फसलों को उगाना तथा कुछ जानवरों को पालना शुरू किया जिससे वे उनके मांस, दूध तथा अंडों का उपयोग करने लगे। शुरू में मनुष्य जंगलों को काटकर फसलों को उगाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होते रहते थे, परन्तु बाद में उन्होने छोटे-छोटे गांवों को बसाया तथा वही रहने लगे। आज भी बहुत से स्थानों पर आदिवासी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करते रहते हैं। समय के साथ-साथ मनुष्यों ने अपने अनुभवों से खेती के तमाम नायाब तरीके सीखे तथा उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते गए। इस तरह खेती के नए-नए तरीकों में इजाफा होता गया और नई-नई फसलों के विकास के साथ-साथ उनकी उत्पादकता में बढ़ोतरी होती गई।

इस तरह पारंपरिक खेती के साथ मनुष्य समृद्ध होता गया और उन्होंने जंगलों से निकलकर छोटे-छोटे गांवों में रहना प्रारंभ किया जहां रहने के लिए मकान, खाद्यान्न के लिए फसलों तथा पालतू जानवरों को वृहद् स्तर पर विकसित करना प्रारंभ किया, जिससे उसके परिवार की समस्त जरूरतों को पूरा किया जा सके। खेत की जुताई, बीज की बुवाई, मडाई, सिंचाई, ढुलाई, चारे की कटाई आदि कार्यों के लिए मनुष्यों ने बैलों, भैंसों, घोड़ों, ऊंटों, याको, मिथुनो आदि जानवरों का प्रयोग किया। दूध के लिए गायों, भैंसों, भेड़-बकरी, मांस के लिए भेड़-बकरी, मुर्गी तथा अंडों आदि के लिए मुर्गी व बत्तख आदि को पालना शुरू कर दिया। इसी तरह खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए तमाम तरह की फसलों जैसे-अनाजों, दलहनों, तिलहनों, सब्जियों, फलों, रेशेदार और चारे इत्यादि की फसलों की खेती करना शुरू की जिससे घर की सारी जरूरतें पूरी की जा सकें। इन तमाम तरह की फसलों एवं पालतू जानवरों के चुनाव में इंसानों को हजारों वर्ष लगे होंगे । फसलों तथा जानवरों की उत्पादकता तथा उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मनुष्य लगातार उनका चुनाव करते रहे और इस तरह उनकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता में लगातार सुधार होता गया। आज उसी का नतीजा है, कि हमारे पास सैंकड़ों तरह की फसलों तथा तमाम तरह के पालतू जानवरों की विविध ता मौजूद है, जिससे हमारे जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। पारंपरिक खेती में इंसानों ने सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग किया, इसलिए कभी भी पर्यावरण एवं प्रकृति को किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं हुआ, परन्तु चूंकि उस समय पारंपरिक खेती पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थी, इसलिए कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसमें अस्थिरता बनी रहती थी और इस तरह भोजन की कमी के कारण तमाम लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इस तरह मनुष्यों में भी प्राकृतिक चयन होता रहता था जिससे उनकी जनसंख्या का संतुलन बरकरार रखा जा सके। इस तरह पारंपरिक खेती प्राकृतिक दृष्टि से बहुत की संतुलित, टिकाऊ एवं अप्रदूषित थी। चूंकि पारंपरिक खेती में किसी तरह के कृत्रिम एवं संश्लेषित वस्तुओं का उपयोग, नहीं के बराबर होता है तथा ऊर्जा की आवश्यकता पालतू जानवरों से पूरी की जाती है इसलिए यह पूरी तरह पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होती है।

अत: कम उत्पादन तथा प्राकृतिक संसाधनों के ही उपयोग के कारण पारंपरिक खेती इतने वर्षों से चली आ रही है और इस तरह मानव जनसंख्या का संतुलन बरकरार रखा जा सकता। इसके विपरीत आध ुनिक खेती में ज्यादा से ज्यादा, कृत्रिम ऊर्जा एवं संसाधनों का उपयोग से पर्यावरण को प्रदूषित करके बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति की जा रही है, जिसके फलस्वरूप मानव जनसंख्या विकराल होती जा रही है। यानि फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि पर्यावरण की कीमत पर की जा रहा है जो मानव एवं अन्य जैविक समुदाय के लिए खतरनाक हो सकता है।

पारंपरिक एवं आधुनिक खेती की विशेषताएं

आज की आधुनिक खेती की अपेक्षा हमारी पारंपरिक खेती ज्यादा सुरक्षित, वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित एवं टिकाऊ होती है। आधुनिक खेती में सिर्फ उत्पादकता को ही ध्यान में रखा जाता है। जिसके अन्तर्गत फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम संसाधनों तथा ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग किया जाता है जिसके फलस्वरूप पैदावार में वृद्धि तो अवश्य होती है, परन्तु इसके साथ ही पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण के प्रदूषित होने के कारण अब कृषि उत्पादकता में कमी के सबूत मिलने लगे हैं क्योंकि इस तरह की खेती में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके विपरीत पारंपरिक खेती भले की कम उत्पादक है परन्तु इस खेती में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और इस तरह

यह ज्यादा टिकाऊ एवं पर्यावरण मैत्रिक है, जिससे मानव तथा अन्य जैविक समुदाय को किसी तरह का नुकसान नही पहुंचता है। इस लेख के द्वारा लेखकों ने पारंपरिक तथा आधुनिक खेती की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित हैं।

उत्पादकता की दृष्टि से

उत्पादकता की दृष्टि से आधुनिक खेती नि:संदेह पारंपरिक खेती से अच्छी रही है क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाना जरूरी था जो हमें आधुनिक खेती में नई व अधिक उपज देने वाली फसलों की प्रजातियों एवं मवेशियों की संकर नस्लों के विकास से ही संभव हो पाया है। आज से करीब 40 वर्षों पहले हमारे देश की जनसंख्या आज के मुकाबले एक तिहाई होने के बावजूद देश में खाद्यान्नों की भारी कमी थी और हमें प्रत्येक वर्ष विदेशों से आयात तथा अनुदान के रूप में खाद्यान्न मंगाना पड़ता था। परन्तु आधुनिक खेती यानी हरित क्रांति के दौरान विदेशों से गेहूं, चावल, मक्का तथा अन्य सब्जियों की बौनी तथा अधिक उपजाऊ किस्मों के आगमन तथा साथ में आधुनिक यंत्रों, उर्वरकों, सिंचाई के संसाधनों तथा कीटनाशकों के उपयोग के कारण फसलों का उत्पादन सन् 1950 से करीब 4 करोड़ टन की तुलना में आज करीब 20 करोड़ टन यानी चार गुणा बढ़ोतरी हुई।

इसी प्रकार गायों की दो नई नस्लों- हैल्सटन फ्रिजियन तथा जर्सी के आगमन तथा उनके हमारी देशी गायों की नस्लों जैसे साहीवाल एवं थारपारकर से क्रास करके संकर नस्लों के विकास के कारण आज हमारा देश पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। इसी प्रकार सब्जियों एवं फलों की उत्पादकता पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो गई है। अत: आधुनिक खेती के कारण हमारे देश में पहले जहां खाद्यान्न आयात करना पड़ता था, आज इस मायने में न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि दूसरे देशों को भी इसका निर्यात कर रहे हैं। स्वतंत्रता के समय हमारे देश की आबादी जहाँ करीब 36 करोड़ थी, आज एक अरब से ज्यादा हो गई है। इसकी तुलना में खाद्यान्न का उत्पादन 50 करोड़ टन से बढ़कर आज 210 करोड़ टन हो गया है, यानि खाद्यान्न वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से ज्यादा रही, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या में भारी वृद्धि होने के बावजूद प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता पहले से ज्यादा हो गई है। अत: खाद्यान्न उत्पादकता की दृष्टि से आधुनिक खेती पारंपरिक खेती की अपेक्षा बेहतर है। परन्तु इसके कारण पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय भी बढ़ी तथा उनकी आर्थिक हालत में भी सुधार हुआ। आज से 40 वर्ष पहले जहां जिस घर में खाने के लिए दाना भी नहीं होता था आज आधुनिक खेती की वजह से काफी खाद्यान्न उत्पादन होने लगा जिससे किसानों की माली हालत में अभूतपूर्व सुधार हुआ, विशेषकर छोटे एवं मझोले किसानों की आय में, क्योंकि आधुनिक खेती के कारण वर्ष भर खेती का काम चलता रहता है, जिससे उन्हें रोजगार मिलता रहता है। यह सब उन क्षेत्रों में ज्यादा सफल हुआ, जहां सिंचाई, यातायात तथा बाजार की अच्छी व्यवस्था है।

सुरक्षा की दृष्टि से

आज की आधुनिक कृत्रिम एवं रसायनिक खेती की अपेक्षा पारंपरिक खेती ज्यादा जैविक, प्राकृतिक एवं सुरक्षित है क्योंकि पारंपरिक खेती के उपयोग में आने वाली ऊर्जा तथा फसलों को पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यत: जैविक संसाधनों द्वारा की जाती है जिससे पर्यावरण एवं जैविक कारकों को कोई नुकसान नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों जैसे-जुताई, बुवाई, कटाई, मड़ाई, ढुलाई, गन्ने की पेराई, चारे की कटाई, सिंचाई इत्यादि को पालतू जानवरों जैस-बैलों, भैसों, घोड़ों, ऊटों, याको इत्यादि द्वारा किया जाता है, जो सिर्फ फसलों का अवशेष, भूसे, खली और मोटे अनाजों जिसका उपयोग मानव शायद ही करता है, का सदुपयोग करके ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। दूसरी तरफ पालतू जानवर सेल्यूलोज सम्पन्न फसलों के अवशेषों का पाचन तथा सदुपयोग करके बदले में जैव ऊर्जा तथा कार्बनिक खादों का उत्पादन करते हैं जिसे कृषि के प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह जानवर मनुष्य के साथ बिना प्रतियोगिता के उन खाद्यान्नों का उपयोग करता है जिसे इंसान नहीं खाता है और बदले में तमाम कृषि कार्यों को करता है जिससे किसानों को अपने कृषि कार्यों के लिए कृत्रिम ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। पारंपरिक खेती में ज्यादातर देशी खादों का प्रयोग किया जाता है जिससे मिट्टी, जल एवं वायु के प्रदूषण होने का खतरा बहुत ही कम रहता है। आधुनिक खेती की अपेक्षा पारंपरिक खेती में रसायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशकों तथा अन्य कृत्रिम दवाओं एवं रसायनों का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर होता है जिससे खाद्य उत्पाद एवं पर्यावरण ज्यादा सुरक्षित रहता है जिससे इसके टिकाऊपन की संभावना बढ़ जाती है।

वैज्ञानिक दृष्टि से

यद्यपि आधुनिक रासायनिक खेती की उत्पादकता पारंपरिक खेती की अपेक्षा ज्यादा होती है परन्तु पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक होती है, क्योंकि ज्यादा फसल उत्पादकता पर्यावरण की कीमत पर होती है। पारंपरिक खेती में किसान अपने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर भी ध्यान देता है क्योंकि उसे मालूम है कि पर्यावरण को प्रदूषित करके खेती ज्यादा दिन तक नहीं की जा सकती है। पारंपरिक खेती में मुख्यत: जैविक खादों जैसे-कम्पोस्ट खाद, गोबर की खाद, हरी खाद, खली, हडिड्यों का चूरा आदि का प्रयोग किया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता काफी लंबे समय तक बरकरार रहती है क्योंकि जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी के भौतिक, रसायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता रहता है और इस तरह खेती ज्यादा टिकाऊ होने के साथ-साथ वैज्ञानिक भी होती है। किसान अपने खेतों में हमेशा फसल चक्र, मिश्रित खेती, अंत:शस्य, पलिहर तथा अन्य विधियों का प्रयोग करता रहा है जिसमें अनाज, तिलहन, दलहन, रेशे, चारे, गन्ने, सब्जी आदि फसलों को हेर-फेर करके बोया जाता है जिसमें दलहनी फसलों तथा हरी खाद के प्रयोग से वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार किया जाता है।

देशी खादों के प्रयोग से फसलों द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों के ज्यादातर भाग को पुन: मिट्टी में मिला दिया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और मुख्य पोषक तत्वों के साथ-साथ सूक्ष्म तत्वों का भी मिट्टी में बराबर समावेश होता रहता है जिससे फसलों की उत्पादकता बनी रहती है। इस तरह पारंपरिक खेती, आधुनिक रसायनिक एवं कृत्रिम खेती की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित एवं वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के उपायों पर ध्यान देने के साथ पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने पर भी ध्यान दिया जाता है और इस खेती से परिवार की तमाम तरह की खाद्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जा सकती है।

जैव विविधता की दृष्टि से

पारंपरिक खेती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसान अपने परिवार की जरूरतों की पूर्ति के लिए तमाम तरह की फसलों जैसे-धान्य, दलहनी, तिलहनी, रेशे, चारे, सब्जियों, फलों एवं शर्करा वाली फसलों इत्यादि की खेती करता है तथा कई तरह के पालतू जानवरों को भी एक साथ पालता है जिससे न सिर्फ घर की ज्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति होती है बल्कि ऐसा करने से खेती से संबधित अन्य प्राणियों की भी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है और इस तरह कृषि संरचना काफी मजबूत, संगठित, टिकाऊ एवं उत्पादक होती है। इस तरह पारंपरिक खेती ज्यादा जैव विविध होती है और विभिन्न तरह के फसलों एवं प्राणियों में ज्यादा सामंजस्य एवं सहयोग होता है, फलस्वरूप कृषि तंत्र में होने वाले तमाम तरह के कार्यों का संचालन इन्हीं विभिन्न तरह के जीवों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। पारपंरिक खेती में जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तरह के सूक्ष्म जीवों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती रहती है जो मृदा को काफी उर्वरक, उत्पादक एवं टिकाऊ बनाते हैं। आज की अपेक्षा पहले खेती में ज्यादा संख्या में फसलों को एक साथ प्रयोग किया जाता था, जो विभिन्न परिस्थितियों में उत्पादन क्षमता रखती थी और इस तरह खाद्यान्नों का उत्पादन होता रहता था।

शुष्क क्षेत्र, जलमग्न क्षेत्र, लवणीय भूमि तथा विभिन्न मिट्टियों एवं जलवायु के लिए विभिन्न प्रकार की फसलों का प्रयोग किया जाता था। जबकि आधुनिक खेती में आजकल सिंचाई तथा रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं की अच्छी व्यवस्था एवं उपलब्धता के कारण तमाम तरह के मोटे अनाजों एवं दलहनी तथा तिलहनी फसलों की खेती में उल्लेखनीय कमी आई है। ऐसे क्षेत्र जहां कभी तमाम तरह की फसलों की खेती की जाती थी, आज वहीं सीमित फसलों की खेती की जा रही है। इस तरह आधुनिक खेती में शस्य विविधता घट रही है। तमाम तरह के मोटे अनाजों विशेषकर मिलेटस जैसे सांवा, कोदा, मडुंआ, रमदाना इत्यादि, जो शुष्क क्षेत्रों में कम समय के अंदर तैयार हो जाते थे, की खेती अब उन पारंपरिक क्षेत्रों में लगभग बंद हो चुकी है क्योंकि अब वहां सिंचाई के साधन हो गए हैं। आधुनिक खेती में शस्य विविधता लगातार घटती जा रही है जिसका मुख्य कारण अधिक पैदावार देने वाली फसलों की विभिन्न किस्मों एवं संकर का विकास है।

अत: आधुनिक खेती में तमाम तरह की बहुमूल्य फसलों तथा उनकी प्रजातियों का उनके मातृ स्थान से क्षरण हो रहा है जो हमारे कृषि विकास के लिए बहुत ही अशुभ एवं खतरनाक संकेत है क्योंकि एक बार जो प्रजाति नष्ट हो गई उसको पुन: प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। जैव विविधता टिकाऊ एवं सम्पन्न खेती के लिए नितान्त आवश्यक है, क्योंकि बिना विविधता के विकास असंभव है। अत: टिकाऊ एवं सुरक्षित खेती तथा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शस्य एवं प्राणी विविधता का होना नितान्त आवश्यक है। जैविक विविधता अंतत: जीवन सुरक्षा का आधार है। आधुनिक खेती में संकर एवं अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के विकास तथा विशिष्ट शस्य खेती के कारण शस्य आनुवंशिकीय क्षरण बहुत तेजी से हो रहा है। तमाम तरह की बहुमूल्य धान्य, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, दलहन एवं सब्जियों की प्रजातियां अपने स्थान से लुप्त हो रही हैं यदि समय रहते इनका क्षरण नहीं रोका गया तो बहुत सारी गुणवत्ताशील प्रजातियों के नष्ट होने का खतरा बढ़ सकता है जो हमारी कृषि सम्पन्नता के लिए नुकसानदायक है। जैव विविधता के कारण भविष्य में विभिन्न प्रकार की फसलों का विकास करना संभव है।

संरचनात्मक दृष्टि से

पारंपरिक खेती पारिस्थितकीय की दृष्टि से भी आधुनिक खेती की अपेक्षा ज्यादा स्थिर, सुरक्षित एवं टिकाऊ है क्योंकि इसमें उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच अधिक संतुलन तथा खाद्य शृंखलाओं एवं खाद्य जालों की संख्या, ज्यादा एवं मजबूत होती है। पारंपरिक खेती में चूंकि अधिक प्रकार की फसलों का समावेश होता है जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों एवं ऊर्जा का समुचित उपयोग होता रहता है, फलस्वरूप इसके ज्यादा टिकाऊपन की संभावना रहती है। पारंपरिक खेती में ज्यादा जैव विविधता खाद्य शृंखला एवं जटिल संरचना होने के कारण इसके उत्पाद में भी काफी विभिन्नता होती है जिससे पर्यावरण एवं पारिस्थितकीय तंत्र के समस्त जैविक समुदायों की खाद्य जरूरतों की आपूर्ति होती रहती है। ज्यादा खाद्य शृंखला एवं जटिल पारिस्थितकीय तंत्र होने के कारण पारंपरिक खेती किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं जैसे- सूखा, बाढ़, तूफान तथा कीड़ों एवं व्याधियों के प्रकोप को आसानी से सहन कर सकती है और खेती पूरी तरह से नष्ट होने से बची रहती है।

पारंपरिक खेती में जैविक विविधता अधिक होने के कारण जैविक समुदायों के बीच आपसी प्रतियोगिता बहुत कम तथा सहयोग ज्यादा रहता है, फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का शस्य जैविक समुदायों द्वारा सदुपयोग अधिक होता हैं। पारंपरिक खेती में बहुत कम रसायनों के प्रयोग से जैविक समुदायों की संख्या एवं प्रकार में कमी आने का खतरा बहुत ही कम रहता है जिससे सस्य एवं प्राणियों की विविधता बरकरार रहती है जो खेती को अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं।

पारंपरिक खेती में मृदा की उर्वरता एवं गुणवत्ता भी बनी रहती है क्योंकि इसमें पोषक तत्वों का पुन: चक्र द्वारा फसलों तथा मिट्टी के बीच आदान-प्रदान होता रहता है जो टिकाऊ खेती के लिए बहुत ही जरूरी है। पारंपरिक खेती, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होने के कारण मृदा में सूक्ष्म तत्वों तथा सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं विविधता बरकरार रहती है जिससे पर्यावरण एवं पारिस्थितकीय तंत्र बहुत ही मजबूत एवं टिकाऊ होता है। मृदा में सूक्ष्मजीवों के बरकरार रहने से कार्बनिक अवशेषों का विघटन होता रहता है जिससे उनको ऊर्जा तथा फसलों को पोषक तत्वों की आपूर्ति होती रहती है।

टिकाऊपन की दृष्टि से

पारंपरिक खेती की आयु आधुनिक खेती की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है कि पारंपरिक खेती सहस्त्रों एवं हजारों वर्षों से चली आ रही है, वरना जिस गति से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है इसके बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आधुनिक खेती का विकास ही पर्यावरण की कीमत पर हो रहा है। आधुनिक खेती में किसान बढ़ती हुई मानव जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा कृत्रिम तथा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य ज्यादा मुनाफा कमाना होता है, फलस्वरूप पर्यावरण एवं उत्पाद दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। इसके विपरीत पारंपरिक खेती में खाद्य उत्पादकता के साथ-साथ पर्यावरण एवं जीव पारिस्थितकी पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है जिसमें कम से कम कृत्रिम रसायनों तथा साधनों का प्रयोग किया जाता है जिससे पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहता है जोकि टिकाऊ खेती का मुख्य आधार है। प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग से खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता एवं पर्यावरण पूरी तरह सुरक्षित बने रहते हैं जिससे खेती की स्थिरता बनी रहती है। भले ही पारंपरिक खेती की उत्पादकता कम हो, परन्तु हर दृष्टि से यह ज्यादा सुरक्षित, वैज्ञानिक एवं टिकाऊ होती है। चूंकि इस खेती में ज्यादातर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है इसलिए फसलों, पालतू जानवरों, अन्य जैविक समुदायों तथा भौतिक पर्यावरण कारकों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन बना रहता है जिससे इसके नष्ट होने की संभावना बहुत की कम रहती है। इस खेती में जिन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है उनका पुन:चक्र द्वारा पर्यावरण में समावेश होता रहता है और इस तरह उनके समाप्त होने की संभावना कम रहती है। आज जब आधुनिक खेती की वजह से पर्यावरण एवं खाद्य पदार्थ प्रदूषित होने लगे तो, विकसित देश फिर से जैविक खेती की बात करने लगे हैं जिसको हमारे पूर्वज सदियों से अपनाते चले आ रहे हैं। हर समृद्ध व्यक्ति, प्राकृतिक रूप से बिना रसायनों के प्रयोग से उत्पादित खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत देने को तैयार हैं क्योंकि वह इन खाद्यान्नों को ज्यादा सुरक्षित एवं प्रदूषण मुक्त समझता है जिसे खाने से किसी प्रकार का खतरा नहीं है।

गुणात्मक दृष्टि से

इसमें दो मत नहीं कि आधुनिक खेती की वजह से भारत एवं दूसरे अन्य देशों तथा सम्पूर्ण विश्व का खाद्य उत्पादन कई गुणा बढ़ गया, जो मुख्यत: विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण संभव हो सका। फसलों एवं प्रक्षेत्र मवेशियों की उत्पादकता बढ़ाने के कई कारण हैं जिनमें ज्यादा उपज देने वाली फसलों की प्रजातियों तथा अधिक दूध देने वाली गायों और एवं अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों की संकर किस्में तथा उनका अच्छा प्रबंधन एवं पोषण मुख्य है। इसके अलावा किसानों को कृषि में उपयोग होने वाली सामग्री उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदनाशक दवाओं, मशीनों, विभिन्न कृषि यंत्रों तथा जानवरों को अच्छे किस्म के भोजन, सरकार द्वारा किसानों को बैंक कर्ज एवं कृषि सामग्री पर छूट, अच्छी विपणन व्यवस्था, अच्छी कीमत, सिंचाई एंव बिजली तथा डीजल की अच्छी उपलब्धता, कृषि प्रसारण इत्यादि हैं। इस तरह कृषि उत्पादकता में वृद्धि के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि से ही बढ़ती मानव जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति हो सकी वरना इससे बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न प्रदान करना मुश्किल ही नहीं असंभव भी था। परन्तु दूसरी तरफ ज्यादा खाद्य उत्पादन के चक्कर में अधिक पैदावार देने वाली फसलों की तथा पालतू मवेशियों की प्रजातियों एवं संकर किस्मों के उपयोग तथा उनके अच्छे प्रबन्ध के कारण खाद्य उत्पादन तो काफी हद तक बढ़ गया। परन्तु इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण में भारी वृद्धि हुई तथा खाद्यान्नों की गुणवत्ता में भारी कमी आ गयी क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि अधिक उपज देने वाली फसलों तथा ज्यादा दूध देने वाले जानवरों की नस्लों के उत्पाद की गुणवत्ता कम हो जाती है।

जहां भी मात्रा ज्यादा होती है गुणवत्ता कम हो जाती है चाहे वह इन्सान हो या जानवर या फसलें। मात्रा का गुण के साथ विपरीत सम्बन्ध होता है। सभी लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि अधिक उपज देने वाली आधुनिक प्रजातियां हैं चाहे वह फसलें हो या जानवर, सभी के उत्पाद की गुणवत्ता बहुत ही कम है। आजकल गेहूं, चावल, सब्जी, फल, मक्का, ज्वार, बाजरा, यहां तक की जर्सी एवं होल्सटेन फ्रिंजियन गायों के दूध की गुणवत्ता में भारी कमी आयी है। यही वजह है कि आज लोग पुन: देशी यानी पारंपरिक पुरानी प्रजातियों को बढ़ाना ज्यादा पसन्द करते हैं। उदाहरण के तौर पर बासमती चावल, एम. पी. सी. 306 गेहूं, महाराष्ट्र की ज्वार, जौनपुरी मक्का, देशी टमाटर एवं बैंगन या फिर देशी गायों का दूध सभी की मांग बढ़ती जा रही है। क्योंकि इनकी गुणवत्ता आज की आधुनिक प्रजातियों की अपेक्षा ज्यादा है। विदेशों में भी प्राकृतिक एवं जैविक खेती द्वारा उत्पादित खाद्यानों की भारी मांग तथा अच्छी कीमत है। आज तक ऐसी किसी फसल या जानवर की प्रजाति नहीं है जिसकी उत्पादकता तथा गुणवत्ता दोनों ज्यादा हो।

अगर किसी फसल की उत्पादकता अधिक है तो निश्चय ही उसकी गुणवत्ता कम होती है। यानि फसलों की प्रजातियों की

उत्पादकता में वृद्धि उनकी गुणवत्ता की कीमत पर हुई, उदाहरण के लिए दलहनी एवं तिलहनी फसलों की गुणवत्ता, धान्य फसलों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार की अपेक्षा ज्यादा होती है। परन्तु निश्चय ही उनकी उत्पादकता इन धान्य फसलों की अपेक्षा कम होती है। इसी तरह बासमती चावल, एम. पी. सी. 306 एंव के. 68 देशी गेहूं तथा अन्य देशी प्रजातियों की उत्पादकता भले ही आधुनिक प्रजातियों की अपेक्षा कम हो, परन्तु गुणवत्ता में निश्चय ही ज्यादा होती है यही बात गायों की प्रजातियों में भी लागू होती है। आधुनिक गायों की नस्लों जैसे जर्सी या हेल्स्टेन फ्रिजियन की दुग्ध उत्पादक क्षमता भले ही हमारी पारंपरिक देशी प्रजातियों जैसे साहीवाल, हरियाना, थारपारकर इत्यादि से ज्यादा होती है परन्तु दूध की गुणवत्ता कम होती है। आजकल सभी फसलों एवं मवेशियों विशेषकर संकर नस्ल की प्रजातियों की उत्पादकता तो बहुत अधिक होती है परन्तु उनकी गुणवत्ता उतनी ही बेकार होती है। ये सभी सिर्फ पेट भरने के लिए है न कि स्वाद, सुगन्ध या गुणवत्ता के लिए, परन्तु अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करना सरकार एवं किसान की मजबूरी है, क्योंकि इसकी आवश्यकता ज्यादा है। अत: पारंपरिक खेती के उपयोग में लाये जाने वाली फसलों की प्रजातियों तथा मवेशियों की उत्पादों की गुणवत्ता, आधुनिक खेती के प्रयोग में लाये जाने वाली फसलों एवं पालतू जानवरों की प्रजातियों से बेहतर होती है।

क्या खोया, क्या पाया?

प्रकृति का यह नियम है कि बिना कुछ खोये कुछ भी नहीं पाया जा सकता है यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है यही हाल हमारी खेती का भी है। पारंपरिक से आधुनिक खेती तक की यात्रा में तमाम तरह के परिवर्तन हुए हैं और उन्ही परिवर्तनों की वजह से हमने बहुत कुछ खोया तथा बहुत कुछ पाया भी। जहां तक पाने का सवाल है नि:संदेह आधुनिक खेती से हमारी बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्नों की मांग को पूरा किया जा सकता है तथा आज हम हरित क्रांति के कारण ही खाद्यान्न के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि आज दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहे हैं। अत: उत्पादकता बढ़ने के कारण ही उत्पादन बढ़ सका, क्योंकि खेती की जमीन का क्षेत्रफल बढ़ा नहीं बल्कि घट ही गया होगा। आज हम खाद्यान्न, दुग्ध, फलों, सब्जियों, अण्डों इत्यादि के मामले में आत्मनिर्भर हैं। वरना सन् 1960 के पहले हमारे देश को हमेशा विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था और हमारी खेती प्रकृति पर ज्यादा निर्भर होती थी क्योंकि सिंचाई के संसाधन उपलब्ध नहीं थे। हरित क्रांति के कारण न सिर्फ, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, बल्कि मौसम अनियंत्रित प्रजातियों के विकास के कारण बेमौसमी खेती सम्भव हो पायी है। प्रकाश एवं तापक्रम अनियंत्रित प्रजातियों के विकास के कारण गर्मी के मौसम में पालक, भिण्डी, बैंगन, टमाटर, गोभी इत्यादि फसलों को उगाया जा सका है और इस तरह पूरे वर्ष इन फसलों की खेती करना सम्भव हो पाया है। हरित क्रांति के दौरान हमारे देश में विदेशों से तमाम तरह की नयी फसलों जैसे- ब्रोकली, ब्रूसूस्प्राउट, कीवी तथा तमाम फसलों की नयी-नयी प्रजातियों का आगमन हुआ जिससे हमारे शस्य जैवविविध ता में भरी बढ़ोतरी हुई।

पहले की अपेक्षा ज्यादा किस्मों का विकास हुआ जिससे उनकी पैदावार के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता को भी जोड़ा जा सका जैसे अधिक पैदावार देने वाली चावल की बासमती किस्म पूसा बासमती-1, पूसा सुगन्ध-2, पूसा सुगन्ध-3 और पूसा सुगन्ध-4, एवं दुधारू विदेशी गायों जैसे होल्सटन फ्रिजियन तथा जर्सी गायों के आगमन से और उनमें हमारी देशी गायों जैसे साहीवाल एवं थारपारकर से क्रास करके संकर नस्लें तैयार की गयी जिनकी वजह से आज हमारे देश का स्थान दूध उत्पादन में प्रथम हो गया है। पारंपरिक से आधुनिक खेती के दौरान खाद्यान्न उत्पादन नि:संदेह बढ़ा परन्तु उत्पादकों तथा मवेशियों की उपादकता बढ़ाने के दौरान हमने बहुत कुछ खोया भी जो शायद कभी पूरा न किया जा सके। आधुनिक खेती के दौरान विभिन्न फसलों की संकर एवं बौनी प्रजातियो के उगाये जाने के कारण तमाम तरह की देशी प्रजातियों का ह्रास होता गया। तमाम तरह की देशी फसलों विशेषकर मिलेटस जैसे पाखा, कोदो, रागी का करीब-करीब क्षरण हो गया है क्योंकि यें फसलें मुख्यत: शुष्क जलवायु मे उगायी जाती थी, परन्तु सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होने के कारण अब इन फसलों की खेती न के बराबर हो रही है।

आधुनिक खेती के दौरान फसलों के अलावा मवेशियों का आनुवांशिक क्षरण बहुत तेजी से हुआ। इसका मुख्य कारण है विदेशी तथा संकर नस्लों की गायों का पालना तथा ट्रैक्टर का उपयोग। ट्रैक्टर के उपयोग से बैलों का उपयोग करीब-करीब समाप्त हो चुका है, विशेषकर उत्तरी भारत में, जो कभी गायों की नस्लों का गढ़ हुआ करता था तथा सिंचाई के कारण जमीन में जल का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है और इसके कारण भूमिगत जल की उपलब्धता में काफी कमी आयी है। आधुनिक खेती के कारण व भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आने के कारण दीमक का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और खारे पानी के आने की संभावना बढ़ती जा रही है। देशी खाद के जगह पर रसायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उपयोग से पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, हवा तथा जल की शुद्धता में भारी गिरावट आने लगी है। पानी में नाइट्रेट प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आधुनिक खेती में रसायनों के प्रयोग से तमाम तरह के लाभदायक सूक्ष्म जीवों का विनाश हो रहा है। अधिक उत्पादकता वाली सस्य प्रजातियों के उपयोग से जहां उनकी उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुई, वहीं पर उनकी गुणवत्ता में भारी कमी आयी है। खाद्यान्नों तथा दूध की उत्पादकता में भारी कमी हुई है। इसके अलावा विदेशों से विभिन्न फसलों के आगमन के दौरान विभिन्न तरह के नये-नये खरपतवार जैसे लैन्टाना कैमरा, फेलरिस माइनर इत्यादि खरपतवारों का भी आगमन हो गया जो आज की एक प्रमुख समस्या बन गयी है। इसी तरह नई प्रजातियों के आगमन के दौरान नये-नये रोगों तथा कीड़ों का भी आगमन हो गया है जो हमारे देश में पहले कभी नहीं थे।

RAU'S IAS

A name that Nation trusts

Amazing Success

Our 2005 Exam Results : Nine positions secured by our students in first 20 and 49 in first 100 with overall 203 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

Unbeatable Strategy

Answers that matter : The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

Interview Guidance - 2006

Interview Guidance for Civil Services Exam 2006, in highly focused new format. **Weekly batches will start after the declaration of the results of Main Exam 2006**

Programme Highlights

Civil Services/PCS Exam - 2008

- Personal Guidance (English Medium) is available for -
  General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.
- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र भूगोल एवं लोक प्रशासन में उपलब्ध।

  Postal Guidance in English Medium available for -
  General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.
- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  केवल सामान्य अध्ययन, भारतीय इतिहास एवं भूगोल में उपलब्ध।
- Hostel facility arranged.

कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

If you are taught by the stars, sky is the limit.

New batches for 2008 Exam, start from 1st June, 2007

Admission Open, Apply Now.

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO of Rs. 50/- favouring

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

Head Office : 309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Phone : 23738906-07, 23318135-36, 32448880-81, 65391202, Fax: 23317153

Jaipur Centre : 701, Apex Mall, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur - 302015, Ph.: 0141-6450676, 3226167, 9351528027

For full details on fast-track log-on our website: www.rauias.com

The Original Rau's - Since 1953

KH-04/07/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2006-08
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-55/2006-08

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2006-08
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2006-08
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : वीना जैन, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : प्रभारी संपादक : कैलाश चन्द मीना